

**नगर परिषद रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखों
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक
भाग – एक**

1. प्रारम्भिक:-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगरपालिका अधिनियम-1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान कार्यकारी अधिकारी (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-1-378/81-फिन(एल०ए०) खण्ड-IV, दिनांक-18.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया।

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक नगर परिषद रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी के पद पर निम्न वर्णित कार्यरत रहे :-

(i) अध्यक्ष:-

क्रम सं.	नाम	अवधि
1	श्री चेतन चौहान	01.04.2021 से 31.03.2023

(ii) कार्यकारी अधिकारी :-

क्रम सं.	नाम	अवधि
1	श्री अनुभव शर्मा	01.04.2021 से 25.05.2022
2	श्री प्रदीप मेहता (नायब तहसीलदार)	26.05.2022 से 16.10.2022
3	श्री वरुण गुलाटी (तहसीलदार)	17.10.2022 से 31.03.2023

(ख) नगर परिषद रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

क्रम सं.	गम्भीर अनियमितताओं का सम्बन्धित सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1	अनुदानों की शेष राशि का उपयोग न करना	7(क)	497.51
2	अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध न करना	7(ख)	393.76
3	विविध संसाधनों से आय वसूली हेतु शेष	11	300.00
4	कार पार्किंग निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न करने के कारण नगर परिषद को आय की संभावित हानि	16	14.44
5	पारिवारिक पेंशनधारक को निर्धारित आयु के उपरांत भी पारिवारिक पेंशन का भुगतान जारी रखने के कारण अधिक भुगतान	19(क)	3.52
6	नगर परिषद द्वारा अपने स्तर पर बिना अनुमति के अनियमित नियुक्तियों के पश्चात वेतन हेतु अनियमित भुगतान	19(ख)	38.36
7	नगर परिषद द्वारा पेंशन व ग्रेच्युटी निधि से हस्तान्तरण करने बारे	21	5.71
8	बिजली बिलों में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा माँग किये गये "गत बकाया राशि" (Previous Arrears) तथा "लाइन मरम्मत शुल्क" (Line Maintenance Charges) राशि के लिये भुगतान करना	22 (क)	1.02
9	अनुमोदित ड्राइंग में प्रावधित कुल लम्बाई की तुलना में अधिक लम्बाई में इंटर लॉकिंग पेवर कार्य का निष्पादन करने के फलस्वरूप संविदाकार को संभावित अधिक भुगतान	23.1 व 23.2	3.06
10	निर्माण कार्य का निष्पादन टेंडर (Tenders) आमंत्रित न करके करने बारे	23.11	6.46

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के (परिशिष्ट "1") पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो अत्यंत

चिंताजनक हैं। अतः नगर परिषद प्रशासन इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/ कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

भाग – द्वितीय

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

नगर परिषद रोहडू, जिला शिमला के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गए हैं, दिनांक 26.02.2024 से 02.05.2024 तक श्री रविंदर कँवर, उप-निदेशक(ले.प.) व श्री विक्की कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा नगर परिषद रोहडू के कार्यालय में किया गया। विस्तृत अंकेक्षण करने हेतु आय के लिए मास **08/2021** और **05/2022** और एवं व्यय के लिए मास **05/2021** और **11/2022** का चयन किया गया।

“वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, नगर परिषद रोहडू द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।”

3. अंकेक्षण शुल्क :-

नगर परिषद रोहडू, जिला शिमला के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹47400/- आँका गया। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रोहडू, जिला शिमला को उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-16 दिनांक- 02.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया था।

4. वित्तीय विवरणियां:-

नगर परिषद अधिनियम, 1994 व नगर परिषद के Accounts Manual के पैरा 27.4 के अनुसार, नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियां तैयार की जानी आवश्यक हैं। अंकेक्षण के दौरान निम्न वर्णित वित्तीय विवरणियाँ आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/MCR/24-3 दिनांक 26.02.2024 द्वारा अनुरोध किया गया था, जिसके संदर्भ में निम्न वित्तीय विवरणियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

क्रम	वित्तीय विवरणी	प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई
1	तुलन पत्र (Balance Sheet)	प्रस्तुत की गई
2	आय व्यय विवरणी (Income Expenditure Statement)	प्रस्तुत की गई
3	नकदी प्रवाह विवरणी (Cash Flow Statement)	प्रस्तुत की गई
4	प्राप्ति एवम भुगतान विवरणी (Receipt & Payment Accounts)	प्रस्तुत की गई
5	लेखाओं पर टिप्पणियाँ (Notes to Accounts)	प्रस्तुत की गई
6	वित्तीय प्रदर्शक सूचक (Financial Performance Indicator)	प्रस्तुत नहीं की गई

5. (क) वित्तीय स्थिति: -

नगर परिषद रोहड़ू की अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैं, जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पर भी दिया गया है।

FINANCIAL POSITION of Municipal Council Rohru, Distt. Shimla							
YEAR	Name of Head	OPENING BALANCE (₹)	RECEIPT DURING THE YEAR (₹)	Interest Received (Saving) (₹)	TOTAL (₹)	Expenditure (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
2021-22	Own Sources	830553.64	5831817.00	1141142.00	7803512.64	7325585.76	477926.88
	Grant In Aid	35754289.81	22743806.00	0.00	58498095.81	22205172.72	36292923.09
	Total	36584843.45	28575623.00	1141142.00	66301608.45	29530758.48	36770849.97
2022-23	Own Sources	477926.88	4281958.14	2401227.00	7161112.02	4963721.72	2197390.30
	Grant In Aid	36292923.09	30628725.00	0.00	66921648.09	17170573.38	49751074.71
	Total	36770849.97	34910683.14	2401227.00	74082760.11	22134295.10	51948465.01

Total as per General Cash Book as on 31.03.2023.....	₹51948465.01
Total as per Bank account's as on 31.03.2023	₹51971269.01
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2023.....	₹ (-) 22804
Detail of Difference	
Add: Interest credited to Axis Bank account number 3996 on March 31, 2023, has not been recorded in the cash book as of March 31, 2023	₹ (+)60302
Add: Cheque number 000157, dated February 9, 2023, issued to HDFC Bank, has not been debited by the bank as of March 31, 2023.	₹ (+)1214
Less: Embezzlement amount prior to 31.03.2010	₹ (-)38712
Net Difference	Nil
Detail of Bank Accounts and FDR's as on 31.03.2023	
(1) HP state co-op bank a/c no 43210165987	₹959402.57
(2) Punjab national bank a/c no. 4536000100010253	₹932513.29
(3) Punjab national bank a/c no. 4536000100139479	₹4240486.00
(4) Icici Bank A/c No. 373301000357	₹15780125.00
(5) HDFC bank A/c 50100051659590	₹8607.15
(6) HDFC bank A/c 50100525796405	₹274418.00
(7) Axis bank A/c No.919010041623996	₹6373697.00
(8) HPSCB TDR Receipt No. 2846210	₹1719906.00
(9) HPSCB TDR Receipt No. 2728030	₹8686586.00
(10) HPSCB TDR Receipt No. 2728029	₹2895528.00
(11) HPSCB TDR Receipt No. 2845172	₹10100000.00
Total	₹51971269.01

(ख) एकल नोडल बैंक खाता द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की वित्तीय स्थिति:-

नगर परिषद रोहड़ू की अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के एकल नोडल बैंक खाता द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैं, जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" पर भी दिया गया है।

Financial Year	Opening Balance (₹)	Receipts (₹)	Total (₹)	Expenditure (₹)	Closing Balance (₹)
2021-22	0	970184.00	970184.00	970184.00	0
2022-23	0	1935000.00	1935000.00	1935000.00	0

(ग) एकल नोडल बैंक खाता द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की बैंक समाधान विवरणी :-

Closing Balance as per financial position as on 31.03.2023	₹0.00
Closing Balance as per UCO Bank a/c no. 12550110043356 as on 31.03.2023	₹0.00
Difference	-Nil-

6. सावधि जमा निवेश:-

नगर परिषद, रोहड़ू द्वारा दिनांक 31.03.2023 को ₹28639124/- की राशि सावधि जमा में निवेश की गई थी, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न व विस्तृत विवरण परिशिष्ट - "ग" पर दिया गया है। अतः सावधि जमा में निवेशित राशिओं को उनकी परिपक्वता तिथि को आहरित करना अथवा पुनः निवेश करना सुनिश्चित किया जाए।

TDR No.	Date of Investment	Amount Invested (₹)	Date of Maturity	Rate of Interest (%)	Amount of Maturity (₹)	Name of Fund
HPSCB TDR no. 2846210	19.09.2022	1719906	19.09.2023	5.50	1816470	General Fund
HPSCB TDR no. 2728030	28.10.2022	8686586	28.10.2023	5.50	9174293	General Fund

HPSCB TDR no. 2728029	28.10.2022	2895528	28.10.2023	5.50	3058097	General Fund
HPSCB TDR no. 2845172	16.03.2023	10100000	16.03.2024	7.10	10836420	General Fund
HPSCB TDR no. 2846471	10.09.2022	2709128	10.09.2023	5.50	2861231	Pension Fund
HPSCB TDR no. 2845953	22.06.2022	1040926	15.07.2023	5.25	1098831	Pension Fund
HPSCB TDR no. 2315738	22.04.2022	892215	22.04.2023	5.25	939987	Gratuity Fund
HPSCB TDR no. 2315737	22.04.2022	594835	22.04.2023	5.25	626684	Gratuity Fund
Total amt. Invested as on 31.03.2023		₹28639124				

7. अनुदान:-

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रोहडू द्वारा अंकेक्षण को परिशिष्ट "घ" पर उपलब्ध करवाए गए विवरण का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई:-

(क) दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹497.51 लाख उपयोग हेतु शेष:-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को परिशिष्ट "घ" द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी की पड़ताल पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2023 को ₹49751074.71 की अनुदान राशि व्यय/उपयोग हेतु शेष थी। इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-14 दिनांक 25.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रोहडू को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-689 दिनांक: 26.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अनुपयोग अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय कर दिया जायेगा तदनुसार की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः इन अनुपयोगी अनुदान राशियों को निर्धारित समय के अन्दर व्यय किया जाए अथवा इन्हें सक्षम प्राधिकारी से समय बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उन्हीं उद्देश्य हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिस उद्देश्य हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया था।

(ख) अनुदानों से सम्बन्धित ₹393.76 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध न करवाना:-

अंकेक्षण को परिशिष्ट-"ड" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना व अनुदानों से सम्बन्धित विवरण की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान अनुदानों से क्रमशः ₹22205172.72/- और ₹17170573.38/- (कुल ₹39375746.10/-) व्यय किए गए थे किन्तु किये गये इस व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-14 दिनांक 25.04.2024 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू ने पत्र संख्या-689 दिनांक: 26.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित किए जाए व जारी किए उपयोगिता प्रमाण पत्र की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना:-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था अर्थात् इसमें न तो प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान का पूर्ण विवरण दिया गया था एवम न तो प्राप्त अनुदान में से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण नहीं रखा गया था, जिसके अभाव में अनुदान से किए गए व्यय की अंकेक्षण में पूर्णतः सत्यापना नहीं की जा सकी। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-14 दिनांक 25.04.2024 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू ने पत्र संख्या-689 दिनांक: 26.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि इस विषय पर भविष्य में नियमानुसार कारवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः भविष्य में अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. दोहरी लेखा पद्धति को लागू न करना:-

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र सं. UD -H(C)-15-49/2003-III 3332-3379 Dt. 25.03.2009, UD -H(C)-15-49/2003-III 9337-9385 Dt. 07.09.2009, और पत्र सं. UD-H(C)-15-49/2003-IV 5215-63 Dt. 19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गए थे कि लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accrual Basis) से रख-रखाव किया जाए किन्तु वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लेखा खातों को नगर परिषद रोहडू द्वारा उक्त आधार पर तैयार नहीं किया गया था। संस्था द्वारा अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार

पर बनाया गया था जिसका सत्यापन अंकेक्षण के दौरान कर लिए गया है। अतः निदेशक, शहरी विकास विभाग हि.प्र. के निर्देशों की अवहेलना करके लेखों को दोहरी लेखापद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के स्थान पर एकल लेखा पद्धति के आधार पर बनाये जाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए।

9 बजट को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही नगर पंचायत निधि से ₹393.76 लाख का व्यय करना :-

हि०प्र० नगर पालिका अधिनियम-1994 की धारा 249 के प्रावधानानुसार, नगर परिषद को प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु बजट प्राकलन तैयार करके उसको सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित करवाना अपेक्षित है। अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 2021-22 व 2022-23 का वार्षिक बजट न ही बनाया गया और न ही सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाया गया था, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि में निम्न विवरण अनुसार ₹39375746.10 का व्यय बिना बजट अनुमोदन के किया गया था।

Year	Total Expenditure (₹)
2021-22	22205172.72
2022-23	17170573.38
Total	₹39375746.10

अतः अंकेक्षण अवधि का व्यय वर्तमान में सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में व्यय करने से पूर्व वार्षिक आधार पर सक्षम प्राधिकारी से बजट अनुमोदित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. नगर परिषद की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण:-

नगर परिषद की गत तीन वर्षों से सम्बन्धित आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

वित्तीय वर्ष	आय (स्व: स्रोत+अनुदान+ब्याज) (₹)	व्यय (₹)
2018-19	58410021.49	30710527.6
2019-20	53102422.89	22869258.36
2020-21	66946692.49	30361849.04

11 विविध संसाधनों से ₹300.00 लाख की आय वसूली हेतु शेष:-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2023 को निम्न तालिका अनुसार संक्षिप्त रूप में संकलित विविध संसाधनों से ₹30008922/- की आय वसूली हेतु शेष थी। इस वसूली का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "च" व "ज" पर उपलब्ध है।

क्रम संख्या	आय की मद	परिशिष्ट संख्या	दिनांक 31.03.2023 को वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	गृह कर	परिशिष्ट-"च"	19908234.00
2	सफाई कर	परिशिष्ट-"च"	3639990.00
3	दुकान किराया	परिशिष्ट-"च"	1477497.00
4	घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभार	----	4726700.00
5	स्टॉटर हाउस शुल्क	----	79000.00
6	मोबाईल टावर नवीनीकरण व स्थापना शुल्क	परिशिष्ट-"ज"	177501.00
योग			₹30008922

12 गृहकर व सफाई कर :-

(क) दिनांक 31.03.2023 तक गृह कर वसूली हेतु शेष दर्शाई गई राशि ₹199.08 लाख की जाँच हेतु अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

हि0प्र0 म्यूनिसिपल अधिनियम, 1994 की धारा 65 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले भवनों तथा जमीन पर गृह कर अधिरोपित करने का प्रावधान है। अंकेक्षण को परिशिष्ट-"च" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक ₹19908234/- की राशि गृह कर वसूली हेतु शेष दर्शायी गई थी, जिसकी सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान संभव नहीं हो सकी, क्योंकि इस सम्बन्धी नगर परिषद द्वारा न तो गृह कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर का संधारण किया गया था और न ही इस संबंधी कोई अन्य अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-12 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- 680 दिनांक-26.04.2024 द्वारा कहा गया कि गृह कर से सम्बंधित मांग व

प्राप्ति सम्बन्धी कार्य Plan Foundation नामक संस्था के माध्यम से करवाया जा रहा है तथा इससे सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण व अद्यतन का कार्य भी Plan Foundation संस्था के द्वारा किया जा रहा है, किन्तु इस संबंधी संस्था स्तर पर इस तरह का कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण वसूली हेतु शेष दर्शाई गई उक्त राशि को न्यायोचित ठहराया जा सके। अतः अंकेक्षण को अविलम्ब उन सभी कारणों से अवगत करवाया जाए जिसके कारण गृह कर से सम्बंधित अभिलेखों को तैयार नहीं किया गया तथा मामलों में वर्तमान में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र. सं.	विवरण	वसूली योग्य राशि (₹)
1	गृह कर	19908234.00
कुल योग		₹19908234.00

(ख) नये गृह करदाताओं से गृहकर का निर्धारण न करना:-

अंकेक्षण को पत्र संख्या 527 दिनांक 19.03.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार निम्न मामलों में गृह निर्माण पश्चात बिजली, पानी हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी किए गये परन्तु नये गृह करदाताओं के गृहकर का निर्धारण नहीं किया गया जोकि गम्भीर अनियमितता है।

Sr. No.	Name in favour of NOC issued	Date of issue of NOC	Weather house tax assessed or not
1	Smt. Kushala Devi	21.06.2021	No
2	Smt. Neera Devi	21.06.2021	No
3	Sh. Radhy Shayam Sharma	07.07.2021	No
4	Sh. Krishan Lal	20.12.2021	No
5	Sh. Sardav Singh	01.02.2022	No
6	Sh. Jyoti Prakash	31.03.2022	No
7	Sh. Basant Lal	12.05.2022	No
8	Sh. Gritish Thakur	15.09.2022	No
9	Sh. Anil Kumar	10.10.2022	No

10	Sh. Jawhar Lal	10.10.2022	No
11	Smt. Uma Devi	26.11.2022	No
12	Smt. Reena Kumari	28.03.2023	No
13	Sh. Mohan Singh	29.03.2023	No

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-12 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- 680 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि मामलों में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः अनुपालना अंकेक्षण में वांछित रहेगी।

(ग) दिनांक 31.03.2023 तक ₹36.40 लाख सफाई कर की वसूली हेतु शेष :-

अंकेक्षण को परिशिष्ट-“च” पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक ₹3639990/- की राशि सफाई कर के रूप में वसूली हेतु शेष दर्शायी गई थी, वर्णित के संदर्भ में उपलब्ध करवाए गये अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सफाई कर से सम्बन्धित वार्षिक मांग व प्राप्ति रजिस्टर को दिनांक 31.03.2021 के बाद अद्यतन (Update) नहीं किया गया था, तथा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण अवधि हेतु सफाई कर की वार्षिक मांग शून्य दर्शायी गई थी।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-12 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- 680 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान में नगर परिषद द्वारा अपने परिक्षेत्र में सफाई कर के स्थान पर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन शुल्क की वसूली की जा रही हैं, जिस कारण सफाई शुल्क मांग व प्राप्ति रजिस्टर का अद्यतन नहीं किया गया। अतः इस सम्बन्ध में आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत वास्तविक वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व सफाई शुल्क के रूप में वसूली हेतु जो राशि शेष बचती हो उसकी वसूली हेतु शीघ्र ठोस प्राप्त किये जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 दुकानों के किराये से आय:-

(क) दुकानों का किराया ₹14.77 लाख वसूली हेतु शेष:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद रोहड़ू द्वारा दिनांक 31.03.2023 को ₹1477497/- दुकानों के किराये के रूप में वसूली हेतु शेष थे। जिसका सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट- “च” एवं संक्षिप्त ब्यौरा निम्न दिया गया है।

क्र. सं.	विवरण	वसूली योग्य राशि (₹)
1	दुकान किराया	1477497.00
	कुल योग	₹1477497.00

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-12 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- 680 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में दुकान किराए की वसूली कर ली जाएगी अतः वर्णित राशि की वसूली हेतु अति शीघ्र ठोस कदम उठाये जाने सुनिश्चित किए जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) दुकानों के किराये के साथ वस्तु व सेवा कर (GST) की वसूली न करने के कारण सरकार को ₹6.89 लाख के राजस्व की हानि:-

अंकेक्षण के दौरान दुकान किराया मांग व प्राप्ति रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा किराये पर दी गई दुकानों के किरायेदारों से देय किराये पर वस्तु व सेवा कर (GST) की वसूली नहीं की जा रही थी, जबकि वस्तु व सेवा अधिनियम- 2017 के भाग-5 और भाग-9 में वर्णित प्रावधानों अनुसार, वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर @18% GST की वसूली की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचनानुसार, नगर परिषद की अवधि-2021-23 के दौरान दुकानों के किराये के रूप में की गई कुल मांग ₹3827166/- पर देय GST (18% of ₹3827166/- = ₹688889/-) की वसूली उपरांत इसे सम्बंधित विभाग में जमा की जानी अपेक्षित थी, किन्तु नियमों के विपरीत कार्यप्रणाली अपनाते हुए नगर परिषद द्वारा निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार देय किराये पर GST ₹688889/- की वसूली नहीं की गई जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

Year	Annual Demand of Shop Rent (₹)	Due GST @18% on Demand of Shop Rent (₹)
2021-22	1805358.00	324964
2022-23	2021808.00	363925
Total	₹3827166/-	₹688889/-

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-12 दिनांक 24.04.2024 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू ने पत्र संख्या: पत्र संख्या- 680 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अनुपालना अंकेक्षण में वांछित रहेगी।

(ग) दुकान किराये में अनुबंध की शर्तानुसार वृद्धि न करने के फलस्वरूप ₹0.12 लाख की वित्तीय हानि: -

नगर परिषद व दुकानों के निम्न वर्णित आबंटियों के मध्य किये गये करार में विहित शर्त संख्या-5 के अनुसार, {That the monthly rent will be enhanced @3% per annum on first day of April every following year} अंकेक्षण अवधि में किराया अभिलेख की नमूना पड़ताल में पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार, दुकान किराये में उक्त शर्तानुसार वृद्धि नहीं की गई थी, जिस कारण नगर परिषद को ₹12600/- की वित्तीय हानि हुई।

Sr. No.	Name & Address of Shop keeper	Date of execution of the rental agreement	Due date for rent enhancement as per the agreement clause	Monthly rent	Monthly rent following a 3% increase	Difference	Total No. of months up to March 2023	Total less Demand raised
1	Sh. Sagar s/o Sh. Pappu Shop no. 1	1 April, 2021	1 April, 2022	5000	5150	150	12	1800
2	Sh. Sanjeev Singh s/o Sh. Joginder Singh Shop no. 2	1 April, 2021	1 April, 2022	5000	5150	150	12	1800
3	Sh. Ravi Kumar s/o Joginder	1 April, 2021	1 April, 2022	5000	5150	150	12	1800

	Singh Shop no. 3							
4	Smt. Banti Devi w/o Sh. Tulsi Ram Shop no. 4	1 April, 2021	1 April, 2022	5000	5150	150	12	1800
5	Sh. Sunder Singh s/o Sh. Mast Ram Shop no. 5	1 April, 2021	1 April, 2022	5000	5150	150	12	1800
6	Smt. Vanita w/o Sh. Jitender Kumar Shop no. 6	1 April, 2021	1 April, 2022	5000	5150	150	12	1800
7	Sh. Jagnath s/o Sh. Jalmu Shop no. 7	1 April, 2021	1 April, 2022	5000	5150	150	12	1800
Total								₹12600/-

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएंडी/एमसीआर/24-12 दिनांक 24.04.2024 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू ने पत्र संख्या- 680 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्रवाई उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अनुपालना अंकेक्षण में वांछित रहेगी।

(घ) दुकान किराया देरी से जमा करने पर ₹0.03 लाख विलम्ब शुल्क की वसूली न करना:-

नगर परिषद व दुकानों के आबंटियों के मध्य किये गये करार में विहित की शर्त संख्या-11 के अनुसार, {If the tenant fails to deposit the said rent by the prescribed date mentioned above (Condition No.2- On or before 10th day of each month) he shall pay @12% interest on the

amount due} अंकेक्षण अवधि में किराया अभिलेख की नमूना पड़ताल में पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार, दुकान किराया माह की 10 तारीख के पश्चात जमा करने पर भी बकाया व देय किराये पर 12 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क ₹3635/- की वसूली नहीं की गई थी।

Sr. No.	Name of Shopkeeper	Shop No.	Amount received as shop rent	Date of Receipt	The amount of interest that should have been recovered on the outstanding rent @12%
1	The Rohru Tehsil Co-op. Union	13 to 16	2400	11.08.2021	288
2	Sh. Prakash Chand	30	2000	11.08.2021	240
3	Sh. Joginder Chauhan	64	1210	11.08.2021	145
4	Sh. Ghansu Ram	91	1210	11.08.2021	145
5	Smt. Uma Sharma	25	1500	13.08.2021	180
6	Smt. Bimla Devi	21	600	16.08.2021	72
7	Smt. Sushma Kumari	37	2000	16.08.2021	240
8	Smt. Ripa	51	600	19.08.2021	72
9	Sh. Kirti Bhadar Singh	52 to 53	2000	19.08.2021	240
10	Sh. Rakesh Kumar	27	5000	24.08.2021	600
11	Sh. Ashok Kumar	65	1175	24.08.2021	141
12	Smt. Kavita Devi	44	750	24.08.2021	90
13	Sh. Bihari Lal Sharma	33	2620	25.08.2021	314
14	Sh. Bihari Lal Sharma	50	1200	25.08.2021	144
15	Sh. Hem Chand	24	600	28.08.2021	72
16	Sh. Hem Chand	101	3960	28.08.2021	475
17	Smt. Chand Rani	36	1475	28.08.2021	177
Total					₹3635/-

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-12 दिनांक 24.04.2024 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू ने पत्र संख्या- 680 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित से करने उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अतः अनुपालना अंकेक्षण में वांछित रहेगी।

(ड) नगर परिषद द्वारा दुकान का आबंटन अनियमित ढंग से किये जाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वार्ड संख्या- 3 में स्थित दुकान स. 103 का आबंटन सदन की कार्यवाही में पास किये गये प्रस्ताव संख्या-54 दिनांक 22.09.2021 द्वारा "The Rohru Tehsil Co-Op Union Rohru" को ₹7500/- मासिक किराये पर किया गया था, जबकि नियमानुसार व The leasing out of Stalls/Shops constructed by the Municipalities in Himachal Pradesh Rules, 2001 के Rule-4 के अनुसार, "The lease money of the Stalls/Shops shall be determined by the Municipality on the basis of competitive bids. The minimum lease amount shall be worked out by the Municipality on the basis of the market value of the land and cost of construction of Stall/Shops and other relevant factor such as location of Stall/Shop etc." अर्थात् दुकान का आबंटन करने से पूर्व दुकान की नीलामी की एक न्यूनतम राशि परिषद द्वारा उक्त वर्णित मानकों के आधार पर निर्धारित की जानी अपेक्षित थी, तत्पश्चात समाचार पत्रों के माध्यम से दुकान की नीलामी के लिए विज्ञापन सम्बन्धी सूचना प्रकाशित करके निर्धारित तिथि को खुली बोली आमंत्रित करके अधिकतम बोली कर्ता के पक्ष में दुकान का आबंटन किया जाना अपेक्षित था, किन्तु उक्त नियमों की अवेहलना करके परिषद द्वारा अपने स्तर पर ही दुकान का आबंटन अनियमित ढंग से किया गया जोकि नगर परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियमों के प्रति लापरवाही को परिलक्षित करता है, यदि उक्त नियमों की अनुपालना करके दुकान का आबंटन किया जाता तो स्वतः ही परिषद को किराये के रूप में अधिक राशि की प्राप्ति हो सकती थी।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-12 दिनांक 24.04.2024 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू ने पत्र संख्या- 680 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि मामलों में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः नियमों की अवेहलना करके अनियमित ढंग से दुकान का आबंटन करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा दुकान के आबंटन के सम्बन्ध

में विहित प्रक्रिया अमल में लाकर नये सिरे से दुकान का आबंटन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदोपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(च) दुकानों के किराए के अनुबंध का नवीनीकरण न करना:-

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना व दुकानों के किराये से सम्बंधित अभिलेखों का अंकेक्षण में अवलोकन करने पर पाया गया कि दुकानों के किरायेदारों के साथ नगर परिषद द्वारा किए गए किराये से सम्बंधित अनुबंध के समाप्त होने के उपरांत वर्तमान समय तक **परिशिष्ट-“छ”** में दिए गये विवरण अनुसार किराये के अनुबंध का नवीनीकरण (Renew) नहीं किया गया था, जबकि नियमानुसार किराये के अनुबंध का नवीनीकरण (Renew) वार्षिक आधार/अनुबंध शर्त अनुसार किया जाना अपेक्षित है। किन्तु नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि तक दुकानदारों के साथ, किराये के अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं किया गया था जोकि स्वतः आपत्तिजनक हैं।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-12 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- 680 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतः दुकानों के किराए के अनुबंध का नवीनीकरण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवम मामलों में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लायी जानी सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

14. घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में ₹47.27 लाख की कम वसूली:-

(क) नगर परिषद रोहड़ू द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना व सम्बंधित अभिलेखों की पड़ताल पर गया कि नगर परिषद रोहड़ू के अधीन सात वार्ड हैं, जिनमें अंकेक्षण अवधि 2021-23 के दौरान 3503 परिवार व लगभग 800 दुकानें स्थित थीं। घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभार के रूप में प्रत्येक परिवार से प्रति माह ₹50 व दुकानों से प्रति माह ₹100 की दर से वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान कुल ₹6123600/- की वसूली की जानी अपेक्षित थी, लेकिन नगर परिषद द्वारा उक्त अवधि के दौरान मात्र ₹1396900/- की वसूली ही की गई जो कुल मांग का मात्र 29.55% था। फलस्वरूप घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में ₹4726700/- की कम वसूली हुई है, जोकि एक गंभीर चिंता का विषय है।

Financial Year	Type of Establishment	No.	Rate of recovery	Recoverable Amount per annum	Amount recovered	Less amount recovered	Average percentage of amount recovered out of total demand
2021-22	Families	3503	50 Per month, per family	2101800	709500	2352300	30.16%
	Shops	800	100 Per month, per Shops	960000			
Total				₹3061800/-	₹709500	₹2352300	
2022-23	Families	3503	50 Per month, per family	2101800	687400	2374400	28.95%
	Shops	800	100 Per month, per Shops	960000			
Total				₹3061800/-	₹687400/-	₹2374400/-	29.55%
G/Total				₹6123600/-	₹1396900/-	₹4726700/-	

(ख) अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभार के रूप में किस परिवार व दुकानों से कितनी राशि की वसूली की जानी अपेक्षित थी, कितनी राशि वसूली गई है व दिनांक 31.03.2023 को कितनी राशि वसूली हेतु शेष है, का कोई भी विवरण नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था।

(ग) अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों की मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर नियमानुसार तैयार नहीं किया गया है अर्थात घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों के रूप में कितनी राशि वसूली जानी अपेक्षित थी, वर्ष के दौरान कितनी राशि वसूली गई है व दिनांक 31.03.2023 तक कितनी राशि वसूली हेतु शेष है, इस सम्बन्धी स्पष्ट विवरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है।

(घ) घर-घर कूड़ा संग्रहण प्रभारों हेतु ज़ारी की गई रसीद बुकों को न तो सक्षम अधिकारी से सत्यापित किया गया था और न ही रसीदों हेतु स्टॉक रजिस्टर का संधारण किया गया था, जोकि रसीदों के अनियमित वितरण की स्थिति को उजागर करता है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-12 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- 680 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस में आवश्यक कार्यवाही क्र ली जाएगी। अतः पाई गई उक्त अनियमितता बारे आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत वस्तु स्थिति स्पष्ट की जानी

सुनिश्चित की जाए तथा मामलों में वर्तमान में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 स्लॉटर हाउस शुल्क ₹0.79 लाख की वसूली न करना: -

नगर परिषद को अपने परिक्षेत्र में कटने वाले बकरों में प्रति बकरा ₹10 स्लॉटर हाउस शुल्क के रूप में स्लॉटर हाउस धारको से वसूल किया जाना अपेक्षित है, अंकेक्षण के दौरान स्लॉटर हाउस शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान माह सितम्बर-22 से मार्च-23 तक अपने परिक्षेत्र में निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार कटे 7900 बकरों पर ₹10 प्रति बकरों की दर से कुल ₹79000/- स्लॉटर हाउस शुल्क की वसूली नहीं की गई थी, जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

Sr. No.	Month	Total No. of slaughters during the month as per register	Rate for recovery per slaughters	Recoverable amount (₹)
1	September-22	789	10	7890
2	October-22	927	10	9270
3	November-22	929	10	9290
4	December-22	1449	10	14490
5	January-23	1910	10	19100
6	February-23	1127	10	11270
7	March-23	769	10	7690
Total		7900 Nos	@10	₹79000/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-12 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या- 680 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतः Slaughter House शुल्क की उक्त राशि को सम्बन्धित Slaughter House धारकों से वसूल न किये जाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धितों से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 कार पार्किंग निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न करने के कारण नगर परिषद को ₹14.44 लाख आय की संभावित हानि :-

अंकेक्षण के दौरान कार पार्किंग से संबंधित अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद के द्वारा Ward No. 4 में कार पार्किंग निर्माण के लिए दिनांक- 22-10-2016 को M/s Shikru Maharaj Builders Pvt. Ltd. के साथ MOU हस्ताक्षरित किया गया था MOU की शर्तों के अनुसार, नगर परिषद के द्वारा कार पार्किंग के निर्माण कार्य से सम्बंधित औपचारिकताये जैसे कि- Land Clearance for Construction work इत्यादि संस्था को इस अनुबंध के हस्ताक्षरित होने के 120 दिनों के भीतर दी जानी अपेक्षित थी, तत्पश्चात कार पार्किंग निर्माण कार्य शुरू होना संभव था, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद के द्वारा MOU करने के पश्चात Land Clearance for Construction work इत्यादि में देरी की गई तथा MOU पश्चात M/s Shikru Maharaj Builders Pvt. Ltd. के साथ जो अनुबंध किया गया व दिनांक- 20-07-2019 को हस्ताक्षरित किया गया था । जिस संदर्भ में नगर परिषद द्वारा पत्र संख्या 525 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि वर्णित निर्माण कार्य साईट पर सीवरेज लाईन, बिजली ट्रांसफार्मर इत्यादि कई अन्य विवादित मुद्दों के चलते समय पर निर्माण कार्य साईट संविदाकार को उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। चूंकि अनुबंध की शर्तानुसार कार पार्किंग के निर्माण कार्य से सम्बंधित औपचारिकताये जैसे कि- Land Clearance for Construction work संविदाकार को 120 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाई जानी अपेक्षित थी किंतु इस कार्य हेतु नगर परिषद द्वारा लगभग 3 वर्ष का समय लिया गया, जोकि नगर परिषद की कार्य के प्रति लचर कार्यशैली को परिलक्षित करता हैं, तथा दिया गया उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं होता ।

अंकेक्षण में आगे पाया गया कि संविदाकार द्वारा यह निर्माण कार्य 15 माह के भीतर पूर्ण किया जाना अपेक्षित था, चूंकि संविदाकार के साथ इस सम्बन्ध में दिनांक 20-07-2019 को अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया था, जिस कारण यह कार्य दिनांक 20.10.2020 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था, अभिलेखों की जाँच पर पाया गया कि यह कार्य संविदाकार द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक भी पूर्ण नहीं किया गया था, इस संदर्भ में विशेष सचिव, शहरी विकास हि. प्र. के पत्र संख्या UD-F(5)-4/2021 दिनांक 29.07.2021 द्वारा संविदाकार को इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 10 माह का समय विस्तार दिया गया था, इस समय विस्तार अनुसार यह कार्य संविदाकार द्वारा 20.08.2021 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था । दिए गये समय विस्तार के उपरांत भी यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया तथा दिनांक 31.03.2023 तक भी अधुरा ही पड़ा रहा ।

नगर परिषद एवं M/s Shikru Maharaj Builders Pvt. Ltd. के साथ हस्ताक्षरित MOU शर्त अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद कम्पनी द्वारा प्रतिवर्ष 9 लाख रुपए की राशि नगर परिषद को भुगतान

की जानी अपेक्षित थी। यदि यह कार्य उक्त विवरण अनुसार दिए गये समय विस्तार तक भी पूर्ण कर लिया जाता तो नगर परिषद को आय के रूप में दिनांक 31.03.2023 तक निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार ₹1444931/- की राशि प्राप्त हो सकती थी। किन्तु इस कार्य में हुए अनावश्यक अविलम्ब के कारण नगर परिषद को कार पार्किंग के रूप में प्राप्त हो सकने वाली आय की अनुवर्ती हानि हुई है।

Sr. No.	Date of signing of agreement	Time period for completion of work	Due date Date of completion of Parking	Extention given by UD	Due date Date of completion of Parking after extention period	Period of Delay upto 31.03.2023	Expected loss of revenue amount up to 31.03.2023
1	20.07.2019	15 months	20.10.2020	10 months further	20.08.2021	1 Y 7 Months 11 days (586 days)	900000/365days x586 days= 1444931/-
Total							₹1444931/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-12 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-680 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतः उक्त तथ्यों की पुष्टि की जाए तथा कार पार्किंग निर्माण कार्य में हो रही अनावश्यक देरी बारे नवीनतम स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा मामलें में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17. मोबाईल टावर शुल्क:-

अंकेक्षण को परिशिष्ट-"ज" पर उपलब्ध करवाए गये प्रमाण पत्र अनुसार नगर परिषद रोहड़ू द्वारा अधिकृत जमीन पर कोई भी मोबाइल टावर स्थापित नहीं है एवम दिनांक 31.03.2023 तक मोबाईल टावर कम्पनियों से ₹177501.00 की राशि बकाया है, जिसकी वसूली हेतु ठोस प्रयास करने उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18. शराब व बिजली उपकर:-

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान शराब उप-कर की प्राप्त राशि ₹8.46 लाख की जाँच हेतु सम्बंधित आवश्यक विवरण प्राप्त न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू.एल.बी.-एच(सी)(9)-28/96-1, दिनांक 01.12.99 के अनुसार, नगर परिषद क्षेत्र के अन्दर शराब के ठेकों में बिकने वाली शराब की बोतलों पर ₹1.00 प्रति बोतल की दर से शराब उप-कर आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकायों को भुगतान किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान नगर परिषद को निम्न विवरणानुसार ₹846015/- आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला हि.प्र. से शराब उप-कर के रूप में प्राप्त हुए थे परन्तु नगर परिषद द्वारा उक्त अवधि के दौरान शराब की बोतलों की बिक्री का पूर्ण विवरण, आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला हि.प्र. से प्राप्त नहीं किया गया था, जिसके अभाव में प्राप्त राशि के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह संभव नहीं हो सका कि उपरोक्त राशि किस अवधि के शराब बिक्री की एवज में प्राप्त हुई। अतः परामर्श दिया जाता है कि आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला, हि. प्र. से नगर परिषद क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान शराब की बोतलों की बिक्री का पूर्ण विवरण प्राप्त किया जाए ताकि उक्त अवधि में प्राप्त शुल्क की राशि के सही होने की पुष्टि की जा सके। इसके अतिरिक्त यदि कोई राशि वर्णित से वसूली हेतु बकाया शेष हो की भी वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Liquor Cess Statement for the Year 2021-22 to 2022-23				
Year	Amount Received	Date Of Receipt	Cash book Page no	Remarks
2021-22	495824	01.11.2021 & 10.02.2022	22 & 104	
2022-23	350191	25.08.2022	169	
Total	₹846015/-			

(ख) बिजली बोर्ड से देय बिजली उपकर की वसूली लगभग पिछले 6 वर्षों से न करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल. एस. जी.-(डी)(1)-9/94, दिनांक 01.12.99 एवं हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा-69 के अनुसार, नगर परिषद द्वारा अपने परिक्षेत्र में खर्च होने

वाली बिजली पर प्रति यूनिट 1 पैसा की दर से बिजली उप-कर हि.प्र. बिजली बोर्ड से वसूल किया जाना अपेक्षित हैं। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद रोहड़ू को अवधि 04/2017 से 03/2023 के दौरान बिजली शुल्क की कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः यह प्रकरण तुरन्त बिजली बोर्ड से उठाया जाए तथा वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान देय बिजली शुल्क की राशि को बिजली खपत के पूर्ण विवरण सहित प्राप्त करने के अतिरिक्त अपेक्षित मांग व प्राप्ति रजिस्टर का उचित संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए तदनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

19. संस्थापना: -

(क) पारिवारिक पेंशनधारक को निर्धारित आयु के उपरांत भी पारिवारिक पेंशन का भुगतान जारी रखने के कारण ₹3.52 लाख का अधिक भुगतान:-

सी.सी.एस. (पेशन) रूल्स 1972 के रूल 54 के प्रावधानानुसार, “In the case of an unmarried son, the period for which family pension is payable is until he attains the age of twenty-five years or until he gets married or until he starts earning his livelihood, whichever is the earliest.” अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्णित पारिवारिक पेंशनधारक द्वारा दिनांक 23.04.2022 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त की गई थी, जिस कारण इस तिथि के पश्चात सामान्य दशा में वर्णित पारिवारिक पेंशनधारक, पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं था, किन्तु नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक वर्णित को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया गया था जिस कारण ₹352622/- का अधिक भुगतान सम्बन्धित पारिवारिक पेंशनधारक को किया गया, जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता हैं।

Sr. No.	Names of family pensioner/ date of birth & PPO No.	Date of Birth/ Date of retirement /Date of death of the employee	Enhanced Family Pension paid upto / due upto/ Period of overpayment	Rate of Family pension (Rs.)	Consolidated Pension paid for the period 22.04.2022 to 31.03.2024	Amount overpaid (Rs.)
1.	Mr. Aman Kumar s/o Late Sh. Babu Ram (Safai Staff) <u>D.O.B. 23.04.1997</u> P.P.O. No. 1543/2016-17	07.05.1963 02.01.2014 In service death	31.03.2024 23.04.2022 1Y 11M 8D	5405 (Enhanced rates)	15134	352622
Total						₹352622/-

वर्णित अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-12 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू के ध्यानार्थ लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-680 दिनांक-26.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्रवाई की जानी सुनिचित की जाएगी। अतः वर्णित पारिवारिक पेंशनधारक को किये गये अधिक भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा किये गये अधिक भुगतान की वसूली संबंधित से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) नगर परिषद द्वारा अपने स्तर पर बिना अनुमति के अनियमित नियुक्तियों के पश्चात वेतन हेतु ₹38.36 लाख की राशि का अनियमित भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अपने स्तर पर निम्न विवरण अनुसार विभिन्न व्यक्तियों को नगर परिषद के कार्य हेतु नियुक्त किया गया था तथा इन व्यक्तियों के वेतन पर वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान **परिशिष्ट-"झ"** में दिए गये विवरण जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न भी दिया गया है, ₹3836170/- की राशि का अनियमित व्यय भी किया गया, परन्तु कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी और न ही इन व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु पदों का सृजन किया गया था जबकि Himachal Pradesh Municipal Service Act 1994 के प्रावधानानुसार यदि नगर परिषद को किसी कर्मचारी की किसी पद पर नियुक्ति करनी है तो उस स्थिति में पद सृजन व नियुक्ति हेतु निदेशक शहरी विकास की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

Details of salary paid to employees without the creation or sanction of posts				
Sl. No.	Name & designation of employee	Date of appointment	Detail of appointment	Amount of salary expenditure incurred from 01.04.2017 to 31.03.2023 (₹)
1	Sh. Parmod Kumar Saffai Staff	1.12.2014	Engaged on a daily wages basis for sanitation work as per resolution no. 710 dated 21.11.2014.	445810
2	Sh. Gaurav Kumar Saffai Staff	1.12.2014	Engaged on a daily wages basis for sanitation work as per resolution no. 74 dated 08.08.2018	558210

3	Sh. Chottu Saffai Staff	1.12.2014	---do---	591810
4	Sh. Jaswant Saffai Staff	1.12.2014	---do---	576360
5	Sh. Aman Kumar Saffai Staff	1.12.2014	---do---	572560
6	Sh. Akshay Saffai Staff	1.12.2014	---do---	545610
7	Sh. Govinda Saffai Staff	1.12.2014	---do---	545810
Total				₹3836170/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-12 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-680 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि मामलें में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

20. पेंशन और ग्रेच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति :-

(क) पेंशन निधि :-

अंकेक्षण को परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार नगर परिषद के पेंशन निधि की अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

FINANCIAL POSITION (Pension Fund) of Municipal Council Rohru Distt. Shimla (H.P.)					
YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	TOTAL PAYMENTS	CLOSING BALANCE
2021-22	3663447.00	965735.00	4629182.00	550662.00	4078520.00
2022-23	4078520.00	871401.00	4949921.00	885398.00	4064523.00

Total as per Cash Book as on 31.03.2023	4064523.00
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2023 (Detail Given Below)	4064523.00
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2023	0.00
Detail of Bank Accounts As on 31.03.2023	
HPSCB a/c no. 43210121195	314469.00
HPSCB TDR no. 2846471	2709128.00
HPSCB TDR no. 2845953	1040926.00
Total	₹4064523.00

(ख) ग्रेच्युटी निधि :-

अंकेक्षण को परिशिष्ट-"ट" पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार नगर परिषद के ग्रेच्युटी निधि की अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

FINANCIAL POSITION (Gratuity Fund) of Municipal Council Rohru Distt. Shimla (H.P.)					
YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	TOTAL PAYMENTS	CLOSING BALANCE
2021-22	2276985.00	403110.00	2680095.00	0.00	2680095.00
2022-23	2680095.00	392693.00	3072788.00	217290.00	2855498.00
Total as per Cash Book as on 31.03.2023	2855498.00				
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2023 (Detail Given Below)	2855498.00				
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2023	0.00				

Detail of Bank Accounts As on 31.03.2023	
HPSCB a/c no. 43210121194	1368448.00
HPSCB TDR no. 2315738	892215.00
HPSCB TDR no. 2315737	594835.00
Total	₹2855498.00

(ग) पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के लेखों का रख-रखाव नियमानुसार न किया जाना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG B91)-1/79/III दिनांक 25.04.2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & general Provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए थे तथा इन नियमों के नियम- 3 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के कर्मचारियों को पेंशन लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु निदेशक द्वारा पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ-साथ इस का रख-रखाव भी किया जायेगा और उप नियम 3 में प्रावधान अनुसार सभी नगरपालिकों के कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम पर क्रमशः 12% तथा 5% की दर से पेंशन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान पेंशन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करेगी। नगर परिषद के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त वर्णित निधियों के लेखों का रख-रखाव निदेशक की अपेक्षा स्वयं नगर परिषद द्वारा ही किया जा रहा था जोकि Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 की सरासर अवहेलना है। अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(घ) नगर परिषद द्वारा अंशदायी पेंशन निधि (CPS) की रोकड़ बही व लैज़र खातों का अनुरक्षण न करना:-

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंशदायी पेंशन निधि हेतु खातों का रख रखाव प्रत्येक कर्मचारी का अलग-अलग बैंक खाता खोलकर उसे कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के पक्ष में गिरवी (pledge) करके संचालन किया जा रहा है, किन्तु इस हेतु रोकड़ बही व लैज़र खातों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, जिस कारण वर्णित निधि में जमा होने वाले कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान व निधि से होने वाले किसी भी भुगतान आसानी से पता लगाना संभव नहीं है। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त निधि हेतु अपेक्षित रोकड़ बही व लैज़र खातों का अनुरक्षण यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाए व तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 नगर परिषद द्वारा पेंशन व ग्रेच्युटी निधि से ₹5.71 लाख का हस्तान्तरण करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG B91)-1/79/III दिनांक 25.04.2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & general Provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए थे तथा इन नियमों के नियम- 3 में प्रावधान किया गया है कि सभी नगरपालिकायें कर्मचारियों के समय वेतनमान (Time Scale) के अधिकतम पर क्रमशः 12% तथा 5% की दर से पेंशन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान पेंशन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करेगी। नगरपालिका कर्मचारियों के पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान इसी निधि से किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान इस निधि की रोकड़ बही व सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न तालिका में दिए विवरण अनुसार ₹571504/- की राशि अपने पेंशन व ग्रेच्युटी निधि से नगर पंचायत नारकंडा को हस्तांतरित की गई थी। अभिलेख पड़ताल में आगे यह पाया गया कि यह राशि श्री कमल कान्त, ड्राफ्ट्समैन जोकि नगर पंचायत नारकंडा से दिनांक 31.08.2022 को सेवानिवृत्त हुए थे तथा मई 1994 से फरवरी 2012 तक नगर परिषद कार्यालय, रोहडू में कार्यरत रहें थे, की एवज में नगर पंचायत नारकंडा को उनके पेंशन व ग्रेच्युटी अभिदान के रूप में हस्तांतरित की गई थी, किन्तु हस्तांतरित की गई इस राशि के सम्बन्ध में परिकलन पत्रक (Calculation Sheet) व इस सम्बन्ध अन्य आवश्यक अभिलेख वॉउचर नस्ति में मौजूद नहीं थे, जिस कारण हस्तांतरित की गई इस राशि के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान संभव नहीं हो सकी।

Name of Fund	Voucher No & Dated	Transfer in favour of	Transferred to	Amount Transferred
Pension & Gratuity	84/24.06.2022	Sh. Kamal Kant Draughtsman posted during may 1994 to feb 2012 against vacant post of JE	NP Narkanda Distt. Shimla	12% Pension= ₹403424/- 5% Gratuity= ₹168080/-
Total				₹571504/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या :एसएडी/एमसीआर/24-15 दिनांक 25.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या68-9 दिनांक 26.04.2024-द्वारा सूचित किया कि मामलें में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अतः वर्णित मामलें में आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत नियमों के दृष्टिगत पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सम्बन्धी आवश्यक अभिलेख तैयार करने उपरांत सत्यापन हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाएँ।

22 व्यय:-

(क) बिजली बिलों में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा माँग किये गये "गत बकाया राशि" (Previous Arrears) तथा "लाईन मरम्मत शुल्क" (Line Maintenance Charges) राशि के लिये ₹1.02 लाख का भुगतान करना:-

अंकेक्षण में पाया गया है कि नगर परिषद द्वारा भुगतान किये गये बिजली के बिलों में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा "गत बकाया राशि" (Previous Arrears) तथा "लाईन मरम्मत शुल्क" (Line Maintenance Charges) की माँग लगभग प्रत्येक बिल में की गई थी जिसे बिना किसी पड़ताल के चुकता कर दिया गया।

Sr. No.	Voucher No. & Dated	Bill No.	Line Maintenance Charges Paid	Arrears Paid
1	16/03.11.2022	150000540322	5918.40	0.37
2		100000541596	3107.16	0.26
3		170000543004	2466.00	0
4		190000542548	1134.36	0.29
5		110000543133	690.48	0.22
6		190000542550	1380.96	0
7		190000542553	2120.76	0.06
8		180000542215	1627.56	0
9		120000540559	887.76	0.47
10		180000542223	887.76	0.47
11	24/17.11.2022	120000553501	7890.00	238.51
12		120000553506	3210.48	61.56

13		170000556374	2548.00	224.27
14		110000556016	1172.08	19.37
15		190000555613	713.44	13.70
16		120000563507	1426.88	23.92
17		170000556382	2191.28	54.08
18		120000553513	1681.68	26.13
19		150000593641	917.28	15.47
20		140000555121	917.28	15.71
21	37/26.07.2021	150000359783	10027.40	0
22		150000359787	4416.09	0
23		120000359457	6016.50	0
24		140000359672	4416.09	0
25		190000360962	4416.09	0
26		150000359790	4416.09	0
27		160000359502	4416.09	0
28		160000359505	4416.09	0
29		170000360451	4416.09	0
30		180000360343	4416.09	7285.49
Total			₹94262.22	₹7980.35
G/Total			₹102243/-	

नियमानुसार भुगतान से पूर्व विद्युत परिषद कार्यालय से इसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करके ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था परन्तु नगर परिषद द्वारा इन बिलों का भुगतान करने से पूर्व विद्युत परिषद् द्वारा माँग की गई इन राशियों की पड़ताल करके वस्तुस्थिति स्पष्ट करवाया जाना उचित नहीं समझा गया और माँगी गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है। सामान्यतः विद्युत परिषद द्वारा बकाया राशि की माँग निम्न दो परिस्थितियों में की जाती है:-

1. जिस बिल में माँग की गई है उससे पूर्व के एक अथवा अधिक बिलों का भुगतान नहीं किया गया था।
2. बिल का भुगतान देय दिनांक के पश्चात किया गया जिस पर विद्युत परिषद द्वारा दण्ड शुल्क लगाया गया है।

परन्तु परिषद द्वारा अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि सभी बिजली बिलों का भुगतान यथासमय और सम्पूर्ण राशि के लिये किया गया जिस कारण विद्युत परिषद द्वारा यह बकाया राशि की माँग अनुचित प्रतीत होती है। इसी प्रकार लाईन मैन्टेनेन्स चार्ज का भी कोई स्पष्ट आधार होना आवश्यक है।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-15 दिनांक 25.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-689 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि यह मामला हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद के समक्ष उठाया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अनुपालना अंकेक्षण में वांछित रहेगी।

(ख) स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत प्लास्टिक कचरों का प्रबंधन न करने के फलस्वरूप नगर परिषद पर हि० प्र० राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगायी गई पेनल्टी राशि ₹0.25 लाख :-

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के दिशा निर्देशों के अनुसार प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए नगर परिषद स्तर पर समग्र कार्य योजना तैयार किया जाना आवश्यक है जिसके अंतर्गत प्लास्टिक कचरे का प्रथक्करण, संग्रहण, धुलाई, भण्डारण और पुर्नचक्रण योग्य भाग को पंजीकृत एजेंसियों को भेजना इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक कचरे को खुले में जलाने पर रोक लगाना तथा सभी हित धारकों में उनकी जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाना भी शामिल है।

नगर परिषद रोहड़ू में अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए अंकेक्षण अवधि तक कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। नगर परिषद द्वारा विभिन्न स्तरों पर अर्थात् घरेलू स्तर, संस्थान, स्वस्थ देखभाल केंद्र, वाणिज्यिक क्षेत्र और बाजारों में सृजित कचरे (प्रकार और मात्रा) का कोई आकलन नहीं किया गया था।

नगर परिषद क्षेत्र में प्लास्टिक कचरों को सुनियोजित ढंग से संग्रहण तो किया जा रहा है किन्तु इस कचरों को डंप करने व खुले में जलाने पर कोई रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाया गया था।

इस तथ्य की पुष्टि इस बात से की जा सकती है कि नगर परिषद द्वारा प्लास्टिक कचरे को रोहड़ू बस अड्डे के नजदीक डंप करने और खुले में जलाने के कारण हि० प्र० राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पत्र संख्या (2)PCB/MSW/M.C. Rohroo/2020-1199-1201 दिनांक 01.02.2020 के माध्यम से नगर परिषद पर ₹25 हजार की पेनल्टी लगाई थी, जिसका भुगतान वॉउचर संख्या 17 दिनांक 01.11.2021 द्वारा सम्बन्धित बोर्ड को किया गया, जोकि स्पष्ट रूप से नीतिगत खामियों का परिणाम है व इसके चलते नगर परिषद निधि पर अनियमित वित्तीय बोझ भी पड़ा है।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-15 दिनांक 25.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-689 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। अतः स्वच्छ भारत मिशन के प्लास्टिक कचरे के प्रबन्धन से सम्बन्ध दिशानिर्देशों की अनुपालना न करने बारे आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत नवीनतम स्थिति से अवगत करवाया जाए एवम हि० प्र० राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्लास्टिक कचरों को खुले में डंप करने व जलाने की एवज़ में नगर परिषद द्वारा भुगतान की गई पेनल्टी हेतु ज़िमेवारी निर्धारित करके सम्बन्धित राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए इसके अतिरिक्त भविष्य में स्वच्छ भारत मिशन के प्लास्टिक कचरे के प्रबन्धन से सम्बन्धित दिशानिर्देशों की अनुपालना हेतु आवश्यक नीतिगत उपाय किये जाने सुनिश्चित की जाए।

(ग) अधिवक्ता को विविध शुल्क (Miscellaneous expenses) के रूप में ₹0.48 लाख का अधिक भुगतान व स्रोत पर आयकर की कटौती न करने के कारण ₹0.14 लाख की वित्तीय हानि :-

अंकेक्षण के दौरान व्यय वॉउचरों की नमूना पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा माननीय उप-मंडलीय दण्डाधिकारी रोहडू न्यायालय में दुकानों के Subletting के दर्ज़ 32 मुकदमों के निपटारे हेतु निम्न सारणी अनुसार अधिवक्ता को ₹144000/- भुगतान किया था इस भुगतान का अंकेक्षण करने पर निम्न अनियमिताएं पाई गई :-

Sr. No.	Voucher No. & dated	Amount paid	Paid to	Description	Remarks
1	40 & 26.07.2021	144000	Sh. Bharat Bhushan (Advocate)	Payment of legal fee and miscellaneous expenses	1. Fee paid 32@2500=80000 (Shown 50% payment) 2. miscellaneous expenses 32@2000=64000/-

(i) हि० प्र० सरकार, विधि विभाग के पत्र संख्या: LLR-E(9)-S/2018-Loose दिनांक 12.10.2019 द्वारा अधिवक्ताओं को राजस्व से सम्बन्धित मुकदमों हेतु प्रति मुकदमा ₹5000 लीगल फीस व ₹500 विविध शुल्क का भुगतान किया जाना अपेक्षित हैं। उक्त व्यय वॉउचरों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद

द्वारा उक्त अधिवक्ता को वर्णित मुकदमों के निपटारे हेतु प्रति मुकदमा ₹2500 लीगल फीस का भुगतान किया गया था। व्यय वाउचर जाँच में पाया गया कि लीगल फीस के रूप यह भुगतान कुल भुगतान का 50% किया दर्शाया गया था, जिसकी पूर्ण पड़ताल अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी क्योंकि नगर परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में न तो कोई अभिलेख का संधारण किया गया था और न ही इस सम्बन्धी कोई भी रजिस्टर लगाया गया था, जिससे यह पता लगाया जाना संभव होता कि अधिवक्ता को कितना भुगतान किया जा चुका है व कितना भुगतान करने हेतु शेष है, व क्या भुगतान उक्त पत्र अनुसार अनुमोदित की गई दरों अनुसार किया गया है या नहीं। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख तैयार करके सत्यापन हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) उक्त के अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा उक्त अधिवक्ता को वर्णित मुकदमों के निपटारे हेतु प्रति मुकदमा ₹2000 का भुगतान विविध शुल्क (Miscellaneous expenses) के रूप में किया था। किन्तु उक्त पत्र में अनुमोदित की गई दरों अनुसार, अधिवक्ता को प्रति मुकदमा ₹500 का ही भुगतान विविध शुल्क के रूप में देय बनता था, जिस कारण अधिवक्ता को कुल 32 मुकदमों हेतु प्रति मुकदमा ₹1500 व कुल ₹48000 (32 मुकदमों x 1500=48000) का अधिक भुगतान किया प्रतीत होता है। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(iii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(J) के अनुसार, पेशेवर सेवाओं की एवज में यदि ₹30000/- से अधिक की अदायगी की जाती है तो, भुगतानकर्ता/आहरण व संवितरण अधिकारी, सेवा प्रदाता के बिल से स्रोत पर 10% आयकर की कटौती करेगा, लेकिन वर्णित प्रकरण में किये गये कुल भुगतान ₹144000/- से 10% अर्थात् ₹14400/- की स्रोत पर आयकर के रूप में कटौती नहीं की गई थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसएंडी/एमसीआर/24-15 दिनांक 25.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-689 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि मामलें में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। अतः अधिक भुगतान व पायी गई अन्य अनियमितताओं का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए यथा प्रकरण में किये गये अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) ₹3510/- का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान व्यय की जाँच हेतु चयनित माह में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरण में ₹3510/- का अनियमित भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न तालिका में दिए गया है।

Voucher No-18 Dated-03.11.2023							
Sr. No.	Name of Officer/ Employee	Relation with Patient	Name of medicine/ tests	Amount Claimed (₹)	Amount admissible (₹)	Excess amount Claimed (₹)	Remarks
1	Sh. Sanjeev Bhranta, Junior Assistant	Self	Anaesthesia	440	110	330	An amount of ₹440 was claimed but only ₹110 is admissible according to the rates specified by IGMC Shimla
			Echo	440	220	220	An amount of ₹440 was claimed but only ₹220 is admissible according to the rates specified by IGMC Shimla
			Operation major private	2200	550	1650	An amount of ₹2200 was claimed but only ₹550 is admissible according to the rates specified by IGMC Shimla
			Anaesthesia	440	110	330	An amount of ₹440 was claimed but only ₹110 is admissible according to the rates specified by IGMC Shimla

			Ultrasound	800	130	670	An amount of ₹800 was claimed but only ₹130 is admissible according to the rates specified by IGMC Shimla
			HCV	350	220	130	An amount of ₹350 was claimed but only ₹220 is admissible according to the rates specified by IGMC Shimla
			HBSAG	250	70	180	An amount of ₹250 was claimed but only ₹70 is admissible according to the rates specified by IGMC Shimla
Total						₹3510/-	

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-15 दिनांक 25.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-689 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि मामलें में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अतः किये गये भुगतान का या तो नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड) यात्रा भत्ते ₹2642/- का अनुचित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6-4/74-वित्त (विनियम), दिनांक 25.4.1975 जिसे कार्यालय ज्ञापन संख्या वित्त (सी बी (7)-14/98, दिनांक 08.12.1998 के साथ पढ़ा जाये, द्वारा यात्रा भत्ते दावों को नियमित करने सम्बंधित नियम प्रतिपादित किये गए हैं जिसके दृष्टिगत नगर परिषद रोहडू के यात्रा भत्ते बिलों का नमूना अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न तालिका में दिए विवरणानुसार ₹2642/- के यात्रा भत्ते का भुगतान कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू को निजी वाहन से यात्रा करने हेतु किया

गया था जबकि नियमानुसार निजी वाहन से यात्रा की पात्रता केवल ₹6600 ग्रेड पे से अधिक आहरित करने वाले कर्मचारियों के लिए ही है परन्तु उक्त वर्णित कार्यकारी अधिकारी की ग्रेड पे यात्रा के समय ₹4800 थी इसलिए निजी वाहन हेतु भुगतान यात्रा भत्ता अनियमित है।

Name & Designation of officer/employee: - Anubhav Sharma, Executive Officer (BP: 10300+4800GP)							
Voucher No. 23, Dated 03.05.2021							
Date & Time of Journey	Travel Details	Travelling Allowance Paid	Travelling Allowance Admissible	Daily Allowance Paid	Daily Allowance Admissible	Excess Payment	Remarks
20.04.2021 (7.00 am to 11:30 am)	Rohru to Shimla	120KM x 13= 1560	120KM x 2.19= 263	160	160	1297	-----
21.04.2021	Halt at Shimla	----	----	160	160	0	-----
22.04.2021 (6.30 am to 10:00 am)	Shimla to Rohru	120KM x 13= 1560	120KM x 2.19= 263	160	70% of 160= 112	1345	-----
Total						₹2642/-	

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-15 दिनांक 25.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-689 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि मामलों में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अतः किये गये भुगतान का या तो नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(च) खडं विकास अधिकारी, रोहड़ू को वापिस की गई राशि ₹1.75 लाख की भुगतान प्राप्ति की रसीद को अंकेक्षण में उपलब्ध न करवाना :-

नगर परिषद को खडं विकास अधिकारी, रोहड़ू के पत्र संख्या: 64 दिनांक 08.04.2021 के माध्यम से ₹175000/- की राशि निक्षेप निर्माण कार्य "Fencing and protection wall in DSP officer Rohru mohal" के निष्पादन हेतु प्राप्त हुई थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि प्राप्त राशि को वॉउचर संख्या 25 दिनांक 06.05.2021 के माध्यम से पुनः खडं विकास अधिकारी, रोहड़ू को वापिस किया दर्शाया गया था, किन्तु इस भुगतान से सम्बन्धित भुगतान उपरान्त वर्णित राशि का सम्बन्धित खातों में जमा होने से

सम्बन्धित वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद अभिलेख में संलग्न नहीं पाई गई जिसके कारण उक्त राशि के सही खाते में जमा होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-15 दिनांक 25.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-689 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि वर्णित अभिलेख खंड विकास अधिकारी, रोहडू कार्यालय से प्राप्त करके सत्यापन हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। अनुपालना अंकेक्षण में वांछित रहेगी।

(छ) सफाई कार्य से सम्बन्धित ठेकेदार के बिल से ₹0.90 लाख की स्रोत पर आयकर की कटौती न करना:-

आयकर की धारा 194(C) में विहित प्रावधानों के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति, संविदाकार अथवा फर्म को किये गए ₹300000/- से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹1000000/- से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान सफाई कार्य के आबंटन व भुगतान किये गये बिलों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ठेकेदार के बिल से भुगतान से पूर्व निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार ₹900000/- की स्रोत पर आयकर के रूप में कटौती नहीं की गई थी, जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

Sr. No.	Months	Total No. of Months	Monthly Rate (₹)	Total Payments (₹)	Due Income Tax @ 2 % (₹)
1	April-21 to June-22	15	162000	2430000	48600
2	July-22 to March-23	9	230000	2070000	41400
Total					₹900000/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-15 दिनांक 25.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-689 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही

अमल में लायी जाएगी। अतः सफाई कार्य से सम्बन्धित ठेकेदार से स्रोत पर आयकर की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की कटौती सम्बन्धित से करके राशि को सरकारी कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ज) सफाई ठेके से सम्बन्धित कार्य में कार्यरत कर्मचारियों के ई.पी.एफ. की कटौती से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किये बिना ठेकेदार को ₹5.40 लाख अनुचित/अनियमित भुगतान करना:-

सहायक आयुक्त, भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कसुम्पटी शिमला के पत्र संख्या: RO/HP/Intelligence/Contract Workers/23337 दिनांक 30.12.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार सफाई या किसी भी अन्य कार्य में अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि खाते (EPF) में नियोक्ता अंशदान के रूप में अपेक्षित 12 प्रतिशत की दर से राशियाँ जमा की जानी अपेक्षित हैं। अंकेक्षण में पाया गया कि संविदाकार द्वारा सफाई व्यवस्था हेतु आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों की मजदूरी पर नियमानुसार देय ई.पी.एफ. के भुगतान से सम्बन्धित चालान/अभिलेख को नगर परिषद कार्यालय में जमा नहीं करवाया गया था, जिस कारण नगर परिषद द्वारा संविदाकार को ई.पी.एफ. के भुगतान से सम्बन्धित चालान/अभिलेख को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करवाए बिना ही ₹540000/- का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया।

Sr. No.	Months	Total No. of Months	Monthly Rate (₹)	Total Payments (₹)	Rate of EPF @12% not deducted before making payment (₹)	Total no. of employees engaged for work (₹)
1	April-21 to June-22	15	162000	2430000	291600	15
2	July-22 to March-23	9	230000	2070000	248400	16
Total					₹540000/-	

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-15 दिनांक 25.04.2024 द्वारा इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-689 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेगा। अतः सफाई ठेके से सम्बन्धित कार्य में कार्यरत

कर्मचारियों के ई.पी.एफ. की कटौती से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किये बिना ठेकेदार को गये उक्त अनियमित/अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा मामलें में अब आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिचित किया जाए।

(झ) समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन पर ₹4244/- का अधिक भुगतान:-

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या-2006/01-15pub-92-14263 दिनांक 30-08-2006 व पत्र संख्या 1 &PR-H(F)-4(APP)/2013 दिनांक 5-7-2013 में दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विभागों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन द्वारा दिये जाने वाले सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छपवाये जाने आवश्यक थे। सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की कार्यकारी एजेंसी ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कोम्युनिकेशन (Bureau of Outreach and Communication) (erstwhile DAVP) व विभिन्न समाचार पत्रों के प्रकाशकों के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार सभी सरकारी संस्थान विभिन्न विज्ञापन हेतु अनुबंधित प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर पर 15% की छूट लेने हेतु योग्य है। अंकेक्षण के दौरान समाचार पत्रों को दिए विज्ञापनों की नमूना पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा जो भुगतान विज्ञापनों हेतु किया गया उन पर 15% की छूट प्राप्त नहीं की गई थी, जिस कारण निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार विज्ञापनों हेतु भुगतान अनुबंधित दरों की तुलना में अधिक दरों से करने के कारण ₹4244/- का अधिक भुगतान किया गया।

Detail of expenditure incurred on advertisements						
Sr. No.	Voucher No	C.B. Page No.	Amount (₹)	15% Discount (₹)	To Whom Paid	Purpose
1	30	61	3441	516	Amar Ujala	Advertisement regarding court cases
2	31	108	4920	738	Himachal Dastak	Under SBM
3	28	115	12868	1930	----do----	Publication of property tax bye laws
4	40	119	757	114	----do----	Pulication of corrigendum
5	16	129	2523	378	----do----	Registraation of SVC

6	52	139	3785	568	----do----	NIT car parking slots
Total				₹4244/-		

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-15 दिनांक 25.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-689 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन पर किये गये इस भुगतान का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं मामलों में अब आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 निर्माण कार्य: -

23.1 वाउचर संख्या 33 दिनांक: 28.05.2021 राशि ₹668393/-

निर्माण कार्य का नाम	P/L interlocking paver from Tejta house towards Basu house in ward no. 2 in MC Rohru (RD 0/250 to 0/375 Length=125 mtr.)
संविदाकार का नाम	Sh. Gourav Mohan
आबंटन पत्र संख्या	No. MC/Works/RHU/2020/356-58 dt. 27.07.2020
माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या	01/62

अनुमोदित ड्राइंग में प्रावधित कुल लम्बाई की तुलना में अधिक लम्बाई में इंटर लॉकिंग पेवर कार्य का निष्पादन करने के फलस्वरूप संविदाकार को ₹1.46 लाख का संभावित अधिक भुगतान:-

उपरोक्त कार्य हेतु अनुमोदित की गई ड्राइंग अनुसार, टेजटा हाउस से बासु हाउस की तरफ कुल 125 mtr. (RD 0/250 से 0/355 मीटर) में इंटर लॉकिंग पेवर लगाने सम्बन्धी कार्य किया जाना प्रस्तावित था। अंकेक्षण के दौरान वर्णित ड्राइंग व माप पुस्तिका में निष्पादित किये गये कार्य की तुलनात्मक पड़ताल पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या-001 पृष्ठ संख्या-60 से 62 पर कुल 150mtr. लम्बाई में इंटर लॉकिंग पेवर सम्बन्धी कार्य किया गया था, अतः अनुमोदित की गई ड्राइंग की तुलना में 25mtr की अधिक RD में इंटर लॉकिंग पेवर संबंधी कार्य निष्पादित किया गया था, यह निष्पादन निश्चित रूप से इस कार्य हेतु अनुमोदित की गई ड्राइंग के प्रावधानों के बाहर था, एवम अभिलेखों में अनुमोदित की गई ड्राइंग के प्रावधानों के बाहर किये

गये इस कार्य के संदर्भ में कोई भी स्पष्टीकरण मौजूद नहीं था, जिस कारण निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार, बिना अनुमोदित ड्राइंग के अधिक कार्य का निष्पादन करके संविदाकार को किया गया ₹146306/- का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

MB No. & Page No.	Name of item	Qty. Executed & paid beyond RD 0/250 to 0/355	Rate	Total
001/60	1. Removal of unsuitable soil including excavation, loading and disposal upto 1000m lead	RD: 125/130mtr. $1 \times 5 \times (3.40 + 4.80) / 2 = 20.5 \text{m}^2$ RD: 130/140 mtr. $1 \times 10 \times (4.80 + 4.40) / 2 = 46 \text{m}^2$ RD: 140/150 mtr. $1 \times 10 \times (4.40 + 4.40) / 2 = 44 \text{m}^2$ Total=110.50m² Total in cum=110.50m² × 0.075=8.29m³	46m ³	381
001/60	2. P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver blocks M-50 grade (60mm thick)	Total Qty. as per item no.1 = 110.50m ² Deduction for side locking $25 \times 2 \times 0.20 = 10 \text{m}^2$ (Note: length: 25mtr.) Net Qty.=110.50-10=100.50m²	1400m ²	140700
001/61	3. P/L cement concrete 1:2:4 in foundation and plinth (for side locking)	$2 \times 25 \times 0.20 \times 0.10 = 1 \text{m}^3$ (Note: length: 25mtr.)	5225m ³	5225
Total				₹146306/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-14 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-690 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। अतः वर्णित मामलें में आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत वास्तविक वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व मामलें में आवश्यक कार्यवाही उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23.2 वॉचर संख्या 35 दिनांक: 28.05.2021 राशि ₹684545/-

निर्माण कार्य का नाम	P/L interlocking paver from Naik residence towards Avinash house in ward no. 7 in MC Rohru (RD 0/0 to 0/135 Length=135 mtr.)
संविदाकार का नाम	Sh. Nitish Sharma
आबंटन पत्र संख्या	No. MC/Works/RHU/2020/356-58 dt. 27.07.2020
माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या	01/66

अनुमोदित ड्राइंग में प्रावधित कुल लम्बाई की तुलना में अधिक लम्बाई में इंटर लॉकिंग पेवर कार्य का निष्पादन करने के फलस्वरूप संविदाकार को संभावित ₹1.59 लाख का अधिक भुगतान:-

उपरोक्त कार्य हेतु अनुमोदित की गई ड्राइंग अनुसार, नायक रेजिडेंस से अविनाश रेजिडेंस की ओर कुल लम्बाई 135mtr. (RD 0/0 से 0/135 मीटर) में इंटर लॉकिंग पेवर लगाने सम्बन्धी कार्य किया जाना प्रस्तावित था। अंकेक्षण के दौरान इस कार्य हेतु अनुमोदित की गई ड्राइंग व माप पुस्तिका में निष्पादित किये गये कार्य की तुलनात्मक पड़ताल पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या-001 पृष्ठ संख्या-66 पर कुल 176.20mtr. लम्बाई में इंटर लॉकिंग पेवर सम्बन्धी कार्य निष्पादित किया गया था, अतः अनुमोदित की गई ड्राइंग की तुलना में वास्तव में 41.20mtr (176.20-135) की अधिक लम्बाई में इंटर लॉकिंग पेवर लगाये गये थे, किन्तु अनुमोदित की गई ड्राइंग की तुलना में किस आधार पर RD की प्रमात्रा बढ़ाई गई थी, इस संबंधी कोई भी प्रमाण अभिलेखों में संलग्न नहीं था। चूँकि माप पुस्तिका में दर्ज किये गये इस कार्य हेतु RD की प्रमात्रा को दो भागों में बांटकर RD 00/00 से 00/45 और पुनः RD 00/00 से 00/131.20 कुल RD 176.20 मीटर में इंटर लॉकिंग पेवर कार्य निष्पादित किया गया दर्शाया गया था, तथा इसके निष्पादन सम्बन्धी पूर्ण विवरण जैसे कि इंटर लॉकिंग पेवर किस क्षेत्र पर लगाए गये थे, इत्यादि विवरण माप पुस्तिका में दर्ज नहीं किया गया था, इसके अभाव में अनुमोदित की गई ड्राइंग की तुलना में अधिक निष्पादित किये गये इंटर

लॉकिंग पेवर हेतु किये गये वास्तविक अधिक भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकती । हालांकि निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार प्रति RD हेतु किये गये औसतन भुगतान को आधार मानते हुए अधिक निष्पादित किये गये कार्य हेतु निम्न तालिका अनुसार ₹159993/- का संभावित अधिक भुगतान किया प्रतीत होता है जिसे नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए ।

MB No. & Page No.	Name of item	RD as per approved drawing/RD in which work already executed /Excess takein	Total Amount Paid	Average excess payment made
001/60	1. Removal of unsuitable soil including excavation, loading and disposal upto 1000m lead	135mtr./ 176.20mtr./ 41.20mtr.	4960	$4660/176.20 \times 41.20 =$ 1089
001/60	2. P/L heavy duty precast cement concrete inter locking paver blocks M-50 grade (60mm thick)	135mtr./ 176.20mtr./ 41.20mtr.	641823	$641823/176.20 \times 41.20 =$ 150074
001/61	3. P/L cement concrete 1:2:4 in foundation and plinth (for side locking)	135mtr./ 176.20mtr./ 41.20mtr.	37762	$37762/176.20 \times 41.20 =$ 8830
Total				₹159993/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-14 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-690 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अतः वर्णित मामलें में आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत वास्तविक वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व मामलें में आवश्यक कार्यवाही उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23.3 निर्माण कार्यों का संविदाकारों को अनियमित आबंटन करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्यों के आबंटन से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना पड़ताल पर पाया गया कि निम्न निर्माण कार्यों का आबंटन टेंडर्स (Tenders) में विभिन्न मदों हेतु न्यूनतम दरें भरने वाले संविदाकार को न करके अन्य संविदाकार को किया गया था, इसके अतिरिक्त अभिलेखों में टेंडर्स (Tenders) में विभिन्न मदों हेतु न्यूनतम दरें भरने वाले संविदाकार को कार्य का आबंटन न करके अन्य संविदाकार को करने का कोई भी औचित्य स्पष्ट नहीं था। जिस कारण ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकारों को अनियमित लाभ पहुंचाने हेतु निर्माण कार्यों का अनियमित आबंटन किया गया है। इस तरह की अनियमितताएं पारदर्शिता और निर्माण कार्य के आबंटन हेतु आमंत्रित किये जा रहे टेंडर्स (Tenders) हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न पैदा करती हैं। अतः इस सन्दर्भ में आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत अनियमित रूप से आबंटित किये गये निर्माण कार्यों बारे पूर्ण औचित्य अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr. No.	Name of work	Award letter No. & Dated/ Estimated cost of work	Name of contractor to whom work awarded/ total quoted amount by contractor	Name of contractor to whom work should be awarded/ total quoted amount by contractor
1	C/o path & drain in ward no. 3 KTC to Bimla cottage MC Rohru	No.MC/Works/2022/611-12 dt. 05.05.2022/ Rs. 198128/-	Sh. Akshay Sharma	Sh. Harsh Chauhan
			178330/- (9.99% below)	139102/- (29.79% below)
2	C/o drain in ward no. 2 from Kushal house to Dolly house MC Rohru	No.MC/Works/2022/ 609-10 dt. 05.05.2022/ Rs. 250411/-	Sh. Deepak Sharma	Sh. Sandeep
			225369/- (10.00% below)	187401/- (25.16% below)

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-14 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-690 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अतः अनियमित रूप से निर्माण कार्यों को टेंडर्स में न्यूनतम दरें भरने वाले संविदाकार को न करके अन्य संविदाकार को करने बारे आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत पूर्ण वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए व इस संदर्भ में अब आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23.4 वॉउचर संख्या 14 दिनांक 01.12.2021 राशि ₹314376/-

निर्माण कार्य का नाम	C/o footpath from transformer to foot bridge in ward no. 1
संविदाकार का नाम	Sh. Parmod Sharma
आबंटन पत्र संख्या	No.MC/Works/2020/792-793 Dt. 10.02.2021
माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या	002/09

(क) अनुबंध की मद संख्या 2 i.e. "Earth work in excavation" की तुलना में अनुबंध की मद संख्या 3 i.e. "P/L CC 1:6:12" हेतु चौड़ाई की अधिक प्रमात्रा लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.17 लाख का अधिक भुगतान: -

उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में अनुबंध की मद संख्या 2 i.e. "Earth work in excavation" व मद संख्या 3 i.e. "P/L CC 1:6:12" के लिए माप पुस्तिका में वर्णित चौड़ाई की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 002 पृष्ठ सं. 09 पर मद संख्या 3 हेतु मद संख्या 2 की तुलना में चौड़ाई की मात्रा अधिक ली गई थी। इस प्रकार मद संख्या 3 हेतु मद संख्या 2 की तुलना में चौड़ाई की मात्रा अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹16828/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है।

MB No. & Page No.	Qty Executed & Paid for Item No. 2 i.e. "Earth work in excavation"	Qty Executed & Paid for Item No. 3 i.e. "P/L CC 1:6:12"	Qty should be Executed & Paid for Item No. 3 i.e. "P/L CC 1:6:12"	Diff.	Rate per Cum	Total Excess Payment
002/09	1x31x(0.60+0.80)/ 2x1.80=39.06m ³	1x31x1.25x0.30= 11.625m ³	1x31x(0.60+0.80)/ 2x0.30= 6.51m ³	5.115m ³	3290m ³	16828
Total						₹16828/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-14 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-690 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस सन्दर्भ में आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत किये गये अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

(ख) अनुबंध की मद संख्या 2 i.e. "Earth work in excavation" की तुलना में अनुबंध की मद संख्या 4 i.e. "RR masonry /stone masonry in CC 1:5" हेतु चौड़ाई की अधिक प्रमात्रा लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.45 लाख का अधिक भुगतान: -

उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में अनुबंध की मद संख्या 2 i.e. "Earth work in excavation" व 4 i.e. "RR masonry /stone masonry in CC 1:6" के लिए माप पुस्तिका में वर्णित चौड़ाई की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 001 पृष्ठ सं. 95 पर मद संख्या 4 हेतु मद संख्या 2 की तुलना में चौड़ाई की मात्रा अधिक ली गई थी जबकि निर्धारित मापदंडों अनुसार मद संख्या 1 हेतु ली गई चौड़ाई की प्रमात्रा से अधिक चौड़ाई में RR वॉल का कार्य निष्पादित किया जाना संभव नहीं था। अतः इस प्रकार मद संख्या 4 हेतु चौड़ाई की मात्रा अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को इस प्रकरण में ₹45340/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है।

MB No. & Page No.	Qty Executed & Paid for Item No. 2 i.e. "Earth work in excavation"	Qty Executed & Paid for Item No. 4 i.e. "RR masonry /stone masonry in CC 1:6"	Qty should be Executed & Paid for Item No. 4 i.e. "RR masonry /stone masonry in CC 1:6"	Diff.	Rate per Cum	Total Excess Payment
002/09	1x31x(0.60+0.80)/2x1.80=39.06 m3	31x(1.10+0.60)/2x(2.50+3.00)/2=72.462m3	31x(0.80+0.60)/2x(2.50+3.00)/2=59.67m3	12.79 m3	3545	45340
Total						₹45340/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-14 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-690 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस सन्दर्भ में आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत किये गये अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

23.5 वॉचर संख्या 22, दिनांक:15.09.2021 राशि ₹168803/-

निर्माण कार्य का नाम	C/o of R/wall near Bittu House ward no. 7
संविदाकार का नाम	Sh. Harpal
आबंटन पत्र संख्या	No. MC/Works/2020/842-843 dt. 04.03.2021
माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या	01/95

(क) अनुबंध की मद संख्या 2 i.e. "Earth work in excavation" की तुलना में अनुबंध की मद संख्या 3 i.e. "P/L CC 1:6:12" हेतु चौड़ाई की अधिक प्रमात्रा लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹4895/- का अधिक भुगतान: -

उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में अनुबंध की मद संख्या 2 i.e. "Earth work in excavation" व 3 i.e. "P/L CC 1:6:12" के लिए माप पुस्तिका में वर्णित चौड़ाई की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि

माप पुस्तिका संख्या 001 पृष्ठ सं. 95 पर मद संख्या 3 हेतु मद संख्या 2 की तुलना में चौड़ाई की मात्रा अधिक ली गई थी। इस प्रकार मद संख्या 3 हेतु चौड़ाई की मात्रा अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹4895/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निचे दिया गया है।

MB No. & Page No.	Qty Executed & Paid for Item No. 2 i.e. "Earth work in excavation"	Qty Executed & Paid for Item No. 3 i.e. "P/L CC 1:6:12"	Qty should be Executed & Paid for Item No. 3 i.e. "P/L CC 1:6:12"	Diff.	Rate per Cum	Total Excess Payment
001/95	11.50x1.31x1= 15.07m ³	11.50x1.87x0.23= 4.95m ³	11.50x1.31x0.23= 3.46m ³	1.49m ³	3285	4895
Total						₹4895/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-14 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-690 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस सन्दर्भ में आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत किये गये अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

(ख) अनुबंध की मद संख्या 2 i.e. "Earth work in excavation" की तुलना में अनुबंध की मद संख्या 4 i.e. "RR masonry /stone masonry in CC 1:6" हेतु चौड़ाई की अधिक प्रमात्रा लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान: -

उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में अनुबंध की मद संख्या 2 i.e. "Earth work in excavation" व 4 i.e. "RR masonry /stone masonry in CC 1:6" के लिए माप पुस्तिका में वर्णित चौड़ाई की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 001 पृष्ठ सं. 95 पर मद संख्या 4 हेतु मद संख्या 2 की तुलना में चौड़ाई की मात्रा अधिक ली गई थी जबकि निर्धारित मापदंडों अनुसार मद संख्या 1 हेतु ली गई चौड़ाई की प्रमात्रा से अधिक चौड़ाई में RR वॉल का कार्य निष्पादित किया जाना संभव नहीं था। अतः इस प्रकार मद संख्या 4 हेतु चौड़ाई की मात्रा अधिक लिए जाने के कारण संविदाकार को ₹12195/- का अधिक भुगतान किया गया जिसका विस्तृत विवरण निचे दिया गया है।

MB No. & Page No.	Qty Executed & Paid for Item No. 2 i.e. "Earth work in excavation"	Qty Executed & Paid for Item No. 4 i.e. "RR masonry /stone masonry in CC 1:6"	Qty should be Executed & Paid for Item No. 4 i.e. "RR masonry /stone masonry in CC 1:6"	Diff.	Rate per Cum	Total Excess Payment
001/95	11.50x1.31x1=15.07m ³	11.50x{0.75+1.50/2}x{3.30+3.00/2}=40.75m ³	11.50x{0.75+1.31/2}x{3.30+3.00/2}=37.31m ³	3.44m ³	3545	12195
Total						₹12195/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-14 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-690 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस सन्दर्भ में आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत किये गये अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

23.6 इंटर लॉकिंग पेवर को बिखरने से बचाने हेतु की गई सीमेंट कंक्रीट की लॉकिंग की ऊँचाई की प्रमात्रा अधिक लिए जाने के कारण संविदाकारों को ₹0.14 लाख का अधिक भुगतान: -

अंकेक्षण के दौरान निम्न तालिका में दिए गये निर्माण कार्यों की पड़ताल पर पाया गया कि इन निर्माण कार्यों में इंटर लॉकिंग पेवर मद के निष्पादन हेतु जमीन पर खुदाई, लोडिंग और निपटान सहित अनुपयुक्त मिट्टी को हटाने सम्बन्धी कार्य के पश्चात 25mm(0.025mtr.) ऊँचाई में सीमेंट व रेत की एक अनुपात चार (1:4) की स्लरी बिछाई गई थी, इस स्लरी के ऊपर 60mm(0.06mm) की ऊँचाई के पेवर लगाये गये थे, सामान्यतः इन पेवर को बिखरने से बचाने के लिए पेवर के चारों ओर सीमेंट कंक्रीट की लॉकिंग लगायी जाती है, चूँकि इन 60mm(0.06mtr.) की ऊँचाई वाले पेवर को लगाने से पूर्व जमीन पर सीमेंट व रेत की एक अनुपात चार (1:4) की स्लरी बिछाई गई थी, इस कारण इन पेवर को बिखरने से बचाने के लिए पेवर के चारों ओर 0.085mtr (i.e. 25mm sub base of cement and sand+ 60mm height of paver) की ऊँचाई में सीमेंट कंक्रीट की लॉकिंग लगाई जानी अपेक्षित थी, किन्तु निम्न तालिका अनुसार माप पुस्तिका में वर्णित लॉकिंग 0.10mtr. की ऊँचाई में लगाई गई थी, जिस कारण साईड लॉकिंग हेतु 0.015mtr(0.10-0.085) की ऊँचाई अधिक लिया जाना संदिग्ध प्रतीत होता है तथा इस अनियमितता के कारण निम्न निर्माण कार्यों हेतु कुल ₹14413/- का अधिक भुगतान संविदाकार को किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

Name of Work	Voucher No. & Dated	MB No. & Page No.	Brief name of Item	Qty. Executed	Qty. should be Executed	Excess Qty. Executed	Rate	Total Excess Payment	Remarks
P/L interlocking paver from Tejta house to wards Basu house in ward no. 2	33/ 28.05.2021	001/61	3. P/L CC 1:2:4 (for side locking)	$2 \times 150 \times 0.20 \times 0.10 = 6\text{m}^3$ $(3.50+4.30) \times 0.20 \times 0.10 = 0.156$ Total=6.156m³	$2 \times 150 \times 0.20 \times 0.085 = 5.10\text{m}^3$ $(3.50+4.30) \times 0.20 \times 0.085 = 0.132$ Total=5.23m³	0.93m ³	5225	4859	The thickness or height of the paver is 80mm, and the sub-base consists of concrete with a thickness of 25mm (in the ratio of 1:4). Therefore, the total height is calculated as follows: (60mm + 25mm) / 1000 = 0.085mtr.
P/L interlocking paver from Ashok house to Hardev house in ward no. 4	34/ 28.05.2021	001/63	3. P/L CC 1:2:4 (for side locking)	$49.42 \times 0.10 = 4.94\text{m}^3$	$49.42 \times 0.085 = 4.20\text{m}^3$	0.74m ³	5255	3889	---do---
P/L interlocking paver from Naik residence towards Avinash residence ward no. 7	35/ 28.05.2021	001/65	3. P/L CC 1:2:4 (for side locking)	$71.86 \times 0.10 = 7.186\text{m}^3$	$71.86 \times 0.085 = 6.108\text{m}^3$	1.078	5255	5665	---do---
Total								₹14413/-	

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-14 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-690 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस सन्दर्भ में आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत किये गये अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

23.7 लेबर रेट के अंतर्गत निष्पादित किए गए विभागीय निर्माण कार्य के मूल्य का आकलन {Value of work done} करते समय कार्य मद की दर में से नियमानुसार 10% संविदाकार लाभ और 5% ओवर हैड चार्जिस की कटौती न किए जाने के कारण ₹0.46 लाख का अनियमित भुगतान :-

नियमानुसार विभागीय निर्माण कार्यों से सम्बंधित लेबर रेट द्वारा मजदूरी हेतु जो भुगतान किया जाता है उसको न्याय संगत सिद्ध करने के लिए निष्पादित कार्यों के मूल्य का आकलन {Value of work done} कार्य मद की अनुसूची दर में से %10 संविदाकार लाभ और %5 ओवरहैड चार्जिस की कटौती करके किया जाना अपेक्षित है तथा Labour Rate द्वारा मजदूरी का दावा निष्पादित निर्माण कार्य के मूल्यांकन से अधिक नहीं होना चाहिए अंकेक्षण अवधि के दौरान विभागीय निर्माण कार्यों के संदर्भ में अंकेक्षण करने पर। पाया गया किलेबर रेट द्वारा मजदूरी हेतु किए गए भुगतान को न्याय संगत सिद्ध करने हेतु निष्पादित कार्य का मूल्यांकन कार्यमद की अनुसूची दर में से उक्त वर्णित नियमानुसार वांछित %10 ठेकेदार लाभ और %5 ओवरहैड चार्जिस की कटौती नहीं की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹45822 का -/ व्यय निष्पादित निर्माण कार्य के मूल्य से अधिक किया था जोकि अनियमित है।

Sr. No	Name of Work	Voucher No & Date	M.B. No/Page No	Work assessed labour & payment made as per M.B. (₹)	Payment due after deduction of 10% C.P and 5% overhead charges (₹)	Excess Paid (₹)
1	C/o edging on the path of GSSS Rohru in ward no.1 MC Rohru	18/03.11.2021	002/03	83535	71005	12530

2	Pedestrianisation of main bazar from main chowk to meat market Rohru	15/01.12.2021	002/8	221945	188653	33292
Total						₹45822/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-14 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-690 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस सन्दर्भ में आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत मामलों में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। अतः नियमानुसार वर्णित अनियमितता को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अनियमित व्यय की उचित स्त्रोत से वसूली करते हुए भविष्य में उक्त नियमों की अनुपालना करके व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23.8 निर्माण कार्यों में प्रयोग किये गये इन्टर लॉकिंग पेवर हेतु अवार्ड पत्र की शर्तानुसार NTC की खरीद करने सम्बन्धी के बिल एवं अन्य प्रमाण इत्यादि प्रस्तुत न करने बारे: -

नगर परिषद द्वारा निम्न निर्माण कार्यों हेतु जारी किये गये अवार्ड पत्र की शर्त संख्या 21 अनुसार, "If the item of paver in the work will only be considered NTC(M-50) product, submit the bill at the time of payment." अतः निम्न निर्माण कार्यों में NTC (M-50) कंपनी के इन्टर लॉकिंग पेवर मद का प्रयोग किया जाना अपेक्षित था, एवम इस मद के भुगतान से पूर्व कार्य में प्रयोग किये गये उक्त कम्पनी के इन्टर लॉकिंग पेवर के बिल प्रस्तुत करने उपरांत संविदाकार को इस मद हेतु भुगतान किया जा सकता था, अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा संविदाकार से वर्णित मद के प्रयोग सम्बन्धी बिल प्राप्त किये बिना ही इस मद हेतु संविदाकार को निम्न विवरण अनुसार ₹1831956/- का भुगतान किया गया था, किन्तु वर्णित अभिलेखों के अभाव में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकती कि वास्तव में अवार्ड पत्र की शर्तानुसार अपेक्षित गुणवत्ता की सामग्री की निर्माण कार्यों के निष्पादन में प्रयोग किया गया या नहीं। अतः अवार्ड पत्र की उपरोक्त वर्णित शर्त के अनुसार निर्माण कार्य के लिए प्रयोग में लाई गई NTC (M-50) कंपनी के इन्टर लॉकिंग पेवर के खरीद सम्बन्धी बिल इत्यादि प्रस्तुत न किए जाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए।

Name of Work	Brief description of item	Amount paid	Voucher No. & Dated	MB No. & Page No	Name of contractor
P/L paver from Tejta house towards Basu house in ward no. 2	2. P/L heavy duty precast cc interlocking paver M-50 grade (60mm thickness)	634452	33/ 28.05.2021	001/61	Sh. Gaurav Mohan
P/L paver from Ashok house to Hardev house in ward no. 4	2. P/L heavy duty precast cc interlocking paver M-50 grade (60mm thickness)	555681	34/ 28.05.2021	001/63	Sh. Shiwang Shukla
P/L paver from Naik residence Avinash residence ward no. 7	2. P/L heavy duty precast cc interlocking paver M-50 grade (60mm thickness)	641823	35/ 28.05.2021	001/66	Sh. Nitish Sharma
Total		₹1831956/-			

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-14 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-690 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस सन्दर्भ में आवश्यक अभिलेख सम्बन्धित संविदाकार से प्राप्त करने उपरांत सत्यापन हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिए जायेंगे। अनुपालना अंकेक्षण में वांछित रहेगी।

23.9 निर्माण कार्यों को तीन/पांच लाख से कम भागों में बांटने के कारण ₹15.35 लाख का अनियमित भुगतान: -

Himachal Pradesh Municipal works Rule 2010 के नियम 3(1) अनुसार नगर पालिका को केवल पांच लाख तक के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है तथा नियम 4(2) के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता को केवल तीन लाख की राशि व सहायक अभियन्ता को दस लाख की राशि तक के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है। अंकेक्षण में नगर परिषद के विभिन्न निर्माण कार्य की पड़ताल करने पर पाया गया कि परिषद ने प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति को Avoid करने के लिए एक ही प्रकार के विभिन्न निर्माण कार्य को अलग अलग कार्यों में बांटकर अपने स्तर पर ही प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई जो कि वर्णित नियमों की अनदेखी करने के कारण गंभीर

वित्तीय अनियमितता है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों को अलग-2 भागों में बांटने के कारण इन कार्यों पर समाचार पत्रों के माध्यम से अलग-2 विज्ञापन पर भी अधिक व्यय किया गया। अतः ₹1535335/- के निर्माण कार्य जिसका विवरण निम्न दिया गया है, को अलग-2 भागों में बांटने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

Sr. No.	Name of Work	Award letter no. & date of award	Name of Contractor	Estimated amount	Awarded amount	Remarks
1	Widening of road behind old GSSS(Girls) Dashalini Rohru Ward No. 1	No. MC/Works/2020/800-801 dt.10.02.2021	Sh. Sachin Negi	171945	300601	Word split to avoid technical sanction from Assistant Engineer.
2	Widening of road behind old GSSS(Girls) Dashalini Rohru Ward No. 1	No. MC/Works/2020/806-807 dt. 11.02.2021	Sh. Rajnish Thakur	275413	510771	Word split to avoid technical sanction from Assistant Engineer.
3	C/o of R/wall in jeepable road/Ambulance Road main road to Sh. Jagdish Sharma house ward no 4	No. MC/Works/RHU/2020/564-66 dt. 16.10.2020	Sh. Akash Dutta	287364	451263	Word split to avoid technical sanction from Assistant Engineer.
4	R/M Jeepable road from main road towards house of Jagdish Sharma ward no. 4	No. MC/Works/2020/579-81 dt. 16.10.2020	Sh. Akash Dutta	152414	272700	
Total					₹1535335/-	

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-14 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-690 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस सन्दर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। अतः वर्णित अनियमितता का या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा मामलें में आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23.10 प्रशासनिक अनुमोदन व E-Tendering के बगैर ₹6.22 लाख के निर्माण कार्यों का निष्पादन करना:-

उप सचिव, शहरी विकास विभाग, शिमला-2, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: यू० डी० – ए० (3) 5/2007 दिनांक 10-03- (2010 के नियम 23) के अनुसार नगर परिषद ₹5.00 लाख तक के कार्यों के प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु सक्षम है व ₹5.00 लाख से अधिक के कार्यों हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न वर्णित प्रकरण में कार्य के निष्पादन से पूर्व निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था जो कि अनियमित है।

Name of Work	P/L interlocking paver from school Gangtoly to Gangtoly village in ward no. 6 in MC Rohru
Name of contractor	Sh. Gaurav Mohan
Award Letter No	No.MC/Works/RHU/2020/377-79 dt. 377-79
Date of award	27.07.2020
Estimated Cost of Work	₹621937/-
Work has been executed without taking administrative approval from The Director, UD Shimla and E-terdering has not been also invited.	

इसके अतिरिक्त निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या UD-H(F)-Tender-Engg-Cell -23793-847 दिनांक 07.04.2015 के अनुसार अवधि 21-03-2016 तक ₹1.00 लाख तथा अवधि 21-03-2016 के पश्चात ₹5.00 लाख से अधिक के निर्माण कार्यों को E-Tendering के माध्यम से आबंटित किया जाना अपेक्षित था, किन्तु अभिलेख जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्णित कार्य हेतु E-Tendering की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया था, जोकि वर्णित आदेशों के विपरीत होने के कारण अनियमित हैं।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसएईडी/एमसीआर/24-14 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-690 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही

अमल में लाई जायेगी। अतः पाई गई उक्त अनियमितता को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा मामलों में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23.11 ₹6.46 लाख के निर्माण कार्य का निष्पादन टेंडर (Tenders) आमंत्रित न करके करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 101 के अनुसार एक लाख से अधिक की राशि के सभी संदाय/कार्य टेंडर आमंत्रित करके किये जाने अनिवार्य थे, व हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 103 “में वर्णित प्रावधानानुसार Limited Tender System shall be adopted one lakh and upto 10 lakh or such limit may be prescribed. Copied of the tender document shall be sent directly by speed post or registered post or courier or e-mail to the firms dealing with the required goods to obtain more responsive bids on competitive basis. The number of firms in Limited Tender System shall not be less than three.” अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार ₹645741/- के निर्माण कार्यों का निष्पादन कुटेशन आमंत्रित करके किया गया था जबकि इन कार्यों के निष्पादन हेतु टेंडर आमंत्रित किये जाने अपेक्षित थे जोकि उक्त नियमों के विपरीत होने के कारण एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

Sr. No.	Name of work	MB No. & Page No.	Voucher No. & Dated	Gross amount of bill (₹)
1	Pedestrianisation of main bazar from main chowk to meat market Rohru.	002/06	15/01.12.2021	221945
2	C/o railing work in the path in ward no. 4 in Samoti Mohalla	002/35	35/24.03.2022	148166
3	R/M of path & drain in all ward no. 4 near Shiv Shakti temple.	002/57	20/05.08.2022	140000
4	C/o of railing work in path in ward no. 6 near Chopra house	002/60	13/01.09.2022	135630
Total				₹645741/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएईडी/एमसीआर/24-14 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-690 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अतः बिना टेंडर्स आमंत्रित करके निष्पादित किये गये इन निर्माण कार्यों हेतु किये

गये अनियमित व्यय का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए एवम किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23.12 जे. सी. बी. व टिप्पर द्वारा करवाए गये निर्माण कार्य हेतु संविदाकार को ₹0.91 लाख का अनियमित भुगतान: -

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों की नमूना पड़ताल पर पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गये निर्माण कार्य हेतु संविदाकार को ₹91220/- का भुगतान किया गया था, जिसका अंकेक्षण करने पर निम्न आपत्तियां पाई गई:-

Name of Work	Name of contractor	Voucher No. & Dated	Amount Paid
Hiring of JCB & Tipper for restoration of dumping site road	Sh. Amol Chauhan	29/17.11.2022	91220
Total			₹91220/-

(क) अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि इस निर्माण कार्य का आबंटन नगर परिषद द्वारा निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था, जिस कारण ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति विशेष को निजी लाभ पहुँचाने की दृष्टि से निविदा संबंधी औपचारिकताओं से परिहार किया गया, जोकि हि० प्र० वित्तीय नियम 2009 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अनियमित हैं, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) इस निर्माण कार्य का मूल्यांकन (Assesment) माप पुस्तिका में नहीं किया गया था, यह भुगतान मात्र एक कोरे कागज़ पर बिल तैयार करके संविदाकार को किया गया था, जबकि नियमानुसार माप पुस्तिका में JCB व टिप्पर के माध्यम से करवाए गये निर्माण कार्य का पूर्ण मूल्यांकन पश्चात की भुगतान किया जाना वांछित था, जिस कारण किया गया उक्त भुगतान संदिग्ध हैं तथा मामलों में किसी भी अधिक भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ग) नगर परिषद द्वारा संविदाकार को किये गये कुल भुगतान ₹91220/- से स्रोत पर आय कर के रूप में 1% की दर से कुल ₹912/- (i.e. 1% of 91220) की कटौती नहीं की गई थी, जोकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (C) में विहित प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अनियमित हैं, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-15 दिनांक 25.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-689 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अतः इस निर्माण कार्य में पाई गई अनियमिताओं बारे आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत पूर्ण वस्तु स्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जानी सुनिश्चित की जाए व प्रकरण में किये गये अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत से करने उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23.13 संविदाकार के निर्माण कार्य बिलों से ₹8662/- की कम वैधानिक कटौतियां करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य बिलों की नमूना पड़ताल पर पाया गया कि संविदाकार के बिल से आयकर, वस्तु व सेवा कर व श्रम उपकर के रूप में अपेक्षित वैधानिक कटौतियों की तुलना में निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार ₹8662/- की कम कटौती की गई थी। जिस कारण जहां एक ओर संविदाकार को इस राशि का अनुचित अधिक भुगतान किया गया वहीं सरकारी कोष को भी राजस्व की हानि हुई है।

(1)Name of Work- P/L paver from Tejta House towards Basu House in w.n. 2						
MB No. & Page No.	Gross Amount of Bill	Total statutory deductions deducted from the Contractor's bill		Total statutory deductions to be deducted from the Contractor's bill		Less deducted
01/62	668393	Income Tax@1%	5968	Income Tax@1%	6684	716
		GST@2%	11936	GST@2%	13368	1432
		Labour Cess@1%	5968	Labour Cess@1%	6684	716
		Total Less Deduction				₹2864/-
(2)Name of Work- P/L interlocking paver from Ashok Kumar House to Hardev House in w.n. 2						
MB No. & Page No.	Gross Amount of Bill	Total statutory deductions deducted from the Contractor's bill		Total statutory deductions to be deducted from the Contractor's bill		Less deducted
01/64	583171	Income Tax@1%	5207	Income Tax@1%	5832	625
		GST@2%	10414	GST@2%	11664	1250
		Labour Cess@1%	5207	Labour Cess@1%	5832	625

		Total Less Deduction				₹2500/-
(3)Name of Work- P/L interlocking paver from Naik Resi towards Avinash House w.n. 7						
MB No. & Page No.	Gross Amount of Bill	Total statutory deductions deducted from the Contractor's bill		Total statutory deductions to be deducted from the Contractor's bill		Less deducted
01/66	684545	Income Tax@1%	6112	Income Tax@1%	6845	733
		GST@2%	12224	GST@2%	13690	1466
		Labour Cess@1%	6112	Labour Cess@1%	6845	733
		Total Less Deduction				₹2932/-
(4)Name of Work- C/o Path of drain in ward no. 3 KTC to Bimla cottage						
MB No. & Page No.	Gross Amount of Bill	Total statutory deductions deducted from the Contractor's bill		Total statutory deductions to be deducted from the Contractor's bill		Less deducted
02/63	171150	Income Tax@1%	1528	Income Tax@1%	1711	183
		GST@2%	3056	GST@2%	0	0
		Labour Cess@1%	1528	Labour Cess@1%	1711	183
		Total Less Deduction				₹366/-
G/Total						₹8662/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-15 दिनांक 25.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-689 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि मामलें में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। अतः वर्णित अनियमिता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23.14 देरी से निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने के परिणामस्वरूप अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार संविदाकार से दण्ड की राशि ₹0.15 लाख को वसूल न करना:-

अंकेक्षण में उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकार को आबंटित किये गये अवार्ड पत्र की शर्त संख्या 4 के अनुसार "Work should be completed within three months positively in all respect failing which a penalty of ₹300/- per day up to maximum of ₹3000/- in addition to the provision of the agreement clause." अर्थात् ये कार्य संविदाकार द्वारा 3 माह में पूर्ण किये जाने अपेक्षित थे। देरी की स्थिति में संविदाकार द्वारा ₹300/- प्रति दिन की दर से दण्ड देय था तथा अधिकतम दण्ड ₹3000/- तक देय था परन्तु माप पुस्तिका में की गई प्रविष्टी अनुसार निर्माण कार्य देरी से पूर्ण किए गए जिसका विवरण निचे दिया गया है, जिस अनुसार संविदाकार से दण्ड के रूप में राशि ₹15000/- की वसूली नहीं की गई। अतः देरी से कार्य पूर्ण किए जाने के कारण संविदाकार पर दण्ड न लगाए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए।

S.N.	Name of work	Name of contractor	MB/Page No.	Date Start of work	Due date of completion of work	Date on which work actually completed	Delay in Days	Amount of Penalty as per agreement clause maximum as per condition
1	P/L paver from Tejta house towards Basu house in ward no. 2.	Sh. Gourav Mohan	001/60	11.08.2020	11.11.2020	25.02.2021	106	3000
2	P/L paver from Ashok house to Hardev house in ward no. 4	Sh. Shiwang Shukla	001/62	11.08.2020	11.11.2020	25.02.2021	106	3000
3	P/L paver from Naik residence	Sh. Nitish Sharma	001/64	11.08.2020	11.11.2020	25.02.2021	106	3000

	Avinash residence ward no. 7							
4	C/o Jeepable road from main road towards house of Jagdish	Sh. Akash Dutta	002/29	30.10.2020	30.01.2021	01.01.2022	11 months approx.	3000
5	P/L pavers from Mehta house to Pritam house in ward no. 4	Sh. Devinder Chauhan	002/38	11.08.2020	11.11.2020	02.02.2022	15 month approx..	3000
Total								₹15000/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-14 दिनांक 24.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहडू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-690 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अतः देरी से पूर्ण किये गये इन निर्माण कार्यों में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार संविदाकार से दण्ड की राशि की वसूली न करने को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामलों में आवश्यक कार्यवाही उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23.15 सेवा प्रदाता फर्म के भुगतान बिल से नियमानुसार स्रोत पर आयकर ₹2963/- की कटौती न करना:-

अंकेक्षण के दौरान निम्न वर्णित कार्य से सम्बंधित भुगतान किये गये बिल के अवलोकन पर पाया गया कि संविदाकार के बिल से निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार स्रोत पर आयकर के रूप में ₹2963/- की कटौती नहीं की गई थी, जोकि अधिनियम की धारा 194C के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अनियमित हैं जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

Name of Work	Name of Contractor/ Firm	MB No & Page No	Voucher No. & Date	Gross amount of Bill	Amount of TDS not deducted
C/o of railing work in the path in ward	M/s Jai Devta Shallonu welding works Samala	002/35	35/24.03.2022	148166	2963 (2%)

no. 1 (Samoti Mohalla)					
Total					₹2963/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-15 दिनांक 25.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-690 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अतः अनुपालना अंकेक्षण में वांछित रहेगी।

23.16 सेवा प्रदाता फर्म के भुगतान बिल से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर ₹707/- की कम कटौती करना:-

अंकेक्षण के दौरान निम्न वर्णित कार्य से सम्बंधित भुगतान किये गये बिल के अवलोकन पर पाया गया कि सेवा प्रदाता फर्म से आयकर की कटौती 1 प्रतिशत की दर से की गई थी जबकि आयकर अधिनियम की धारा 194C के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था अथवा सरकारी विभाग द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं प्रदान करने के बदले एक बार/एकमुश्त ₹30000/- से अधिक व एक वित्तीय वर्ष में ₹100000/- से अधिक राशि के भुगतान पर व्यक्ति व एचयूएफ (HUF) से 1% की दर से तथा अन्य (Other than Person or HUF) से 2 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती नगदी अथवा बैंक खाते में राशि की अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है। किन्तु निम्न मामले में सेवा प्रदाता फर्म से अपेक्षित आयकर कटौती की तुलना में ₹707/- की कम कटौती की गई थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

Name of Work	Name of Contractor/ Firm	MB No & Page No & Running Bill No	Voucher No. & Date	Gross amount of Bill	TDS Deducted 1 % of Gross amount	TDS Due 2 % of Gross amount	Less Deduction of TDS
Steel work of drain curve & tank etc.	M/s Jai Devta Shallonu welding works Samala	002/41	28-25.04.2022	70750	708	1415	707
Total							₹707/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसएडी/एमसीआर/24-15 दिनांक 25.04.2024 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रोहड़ू से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या-690 दिनांक-26.04.2024 द्वारा सूचित किया कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अतः अनुपालना अंकेक्षण में वांछित रहेगी।

23.17 संविदाकारों के बिलों से की गई वैधानिक कटौतियों श्रम कर व रॉयल्टी ₹2.08 लाख को सम्बंधित विभाग में जमा न करना: -

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: SAD/MCR/24-7 दिनांक 02.03.2024 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या M.C./Rohru/Audit/2024-499 दिनांक 11.03.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान संविदाकारों के बिलों से श्रमकर व रॉयल्टी के रूप में काटी गई ₹208226/- की राशि को दिनांक 31.03.2023 तक सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं किया गया था, अतः वर्णित राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब इस राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करके तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Name of Head	Year	Amt. of Statutory Deduction Collected during 2021-23	Amount Deposited into concerned deptt. during 2021-23
Royalty	2021-22	199150	0
	2022-23	7449	0
Labour Cess	2021-22	782	0
	2022-23	845	0
Total		₹208226/-	0

24 वाहनों की औसत डीजल खपत निर्धारित न करना :-

हि०प्र० वित्त विभाग के पत्र संख्या:- फिन-1-सी०(14)1/83, दिनांक 8.9.1987 के अनुसार विभागों के नियन्त्रण अधिकारी प्रति वर्ष वाहनों का टेस्ट लेंगे व माइलेज को लॉग बुक में दर्ज करेंगे तथा चालक यह माइलेज बनाये रखेंगे। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद के पास 2 वाहन ट्रैक्टर हैं जिनको परिषद की सीमा के भीतर कूड़ा-कंकट उठाने व फेंकने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वाहनों की लॉग बुक का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा किसी भी वाहन की माइलेज निर्धारित

नहीं की गई थी जिसके अभाव में डीजल की खपत पर परिषद का कोई नियन्त्रण नहीं है। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति उठाई गई थी परन्तु इसके बावजूद भी परिषद द्वारा कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा प्रति वर्ष नियमानुसार समस्त वाहनों की प्रति कि० मी० माइलेज निर्धारित करके लॉग बुक्स में दर्ज की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक माह के अन्त में डीजल की प्रति कि० मी० वास्तविक औसत खपत का नियन्त्रण अधिकारी द्वारा निर्धारित औसत खपत से मिलान करके डीजल की औसत खपत पर नियन्त्रण रखा जा सके व किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता से बचा जा सके एवम कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव नियमानुसार न करना:-

अंकेक्षण में विभिन्न स्टॉक रजिस्ट्रों की पड़ताल करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्ट्रों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया गया था। स्टॉक रजिस्टर में खरीदे गए सामान की प्रविष्टि बिल अनुसार की गई थी और सामान की एक मुश्त खपत दर्शाई गई थी जोकि नियमानुसार नहीं थी क्योंकि क्रय मदों की स्टॉक रजिस्ट्रों में प्रविष्टि व खपत Item wise पृथक पृष्ठ पर की जानी अपेक्षित है ताकि एक विशेष तिथि को इनके शेष की जानकारी सुलभता से उपलब्ध हो सके। अतः नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर का रख रखाव सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 अचल संपत्ति रजिस्टर (Immovable property register) का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अकाउंट कोड -1975 की धारा 244 के अनुसार नगर परिषद अपनी हर संपत्ति (चल एवं अचल) की प्रविष्टि अचल सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा उस रजिस्टर का सत्यापन नगर परिषद के सदस्य या सदस्यों की कमेटी द्वारा तीन वर्षों में एक बार किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अचल सम्पत्ति रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था जोकि एक गंभीर अनियमितता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि अचल संपत्ति रजिस्टर का तुरन्त रख रखाव एवं अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अचल सम्पत्तियों की प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

27 स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) न करना:-

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अध्याय-12 के पैरा-12.43(सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद या अधिकृत कर्मचारी स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से किया जायेगा साथ ही प्रत्यक्ष सत्यापन और किताबी अभिलेख में अंतर

पाये जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाये जायेंगे। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद रोहड़ू द्वारा अंकेक्षण अवधि में स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया था जोकि अनियमित हैं। अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अध्याय-12 के पैरा-12.43(सी) के अनुसार स्टॉक/स्टोर का वार्षिक आधार पर प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 तुलन-पत्र :-

नगर परिषद के तुलन पत्र पर अंकेक्षण टिप्पणियाँ:-

निदेशक, शहरी विकास, हि0प्र0 के पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III-3332-3379 Dt. 25.03.2009, समसंख्यक पत्र दिनांक 07.09.2009 व 19.07.2010 व पन्द्रहवाँ वित्तायोग के प्रावधानों की अनुपालना में नगर परिषद द्वारा अपने वर्ष 2021-22 व 2022-23 के लेखों का तुलन पत्र (Balance Sheet) (परिशिष्ट-"ठ") अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। तुलन पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें दर्ज आंकड़े वर्तमान अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई वित्तीय विवरणियों के आँकड़ों से भिन्न हैं। इस भिन्नता का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	मद	आय (₹)	व्यय(₹)
2021-22	वित्तीय विवरणी के अनुसार आंकड़े	29716765.00	29530758.48
	तुलन पत्र के अनुसार आंकड़े	29577976.00	29099673.48
	अंतर	₹138789/-	₹431085/-
2022-23	वित्तीय विवरणी के अनुसार आंकड़े	37311910.14	22134295.10
	तुलन पत्र के अनुसार आंकड़े	37311910.14	22113373.10
	अंतर	₹0/-	₹20922/-
कुल अंतर		₹138789/-	₹452007/-

1. परिषद की चल व अचल सम्पत्तियों तथा लेनदारियों को तुलन पत्र में न दर्शाना:-

इसके अतिरिक्त तुलन पत्र (Balance Sheet) के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें स्थाई सम्पत्तियों का मूल्य दिनांक 31.03.2023 को मात्र ₹264323/- दर्ज किया गया है। जबकि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत विविध सूचियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद के पास निम्नलिखित चल व अचल सम्पत्तियाँ उपलब्ध थीं जिन्हें इस तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया है:-

(i) परिशिष्ट "ड" के अनुसार नगर परिषद के पास दिनांक 31.03.2023 को अपना रैन बसेरा, वाहन पार्किंग, 103 दुकानें, 5 सामुदायिक शौचालय व एक स्टोर आदि अनेक अचल सम्पत्तियाँ हैं। अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत आय-व्यय के आंकड़ों के अनुसार इनसे वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में लगभग ₹2716862/- की राशि किराए के रूप में वसूल की गई थी, परन्तु इन सम्पत्तियों को तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया है जबकि लेखा सिद्धान्तों अनुसार समस्त चल/अचल सम्पत्तियाँ तुलन-पत्र में दर्शाई जानी अपेक्षित है।

(ii) नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत विविध आय सम्बन्धी सूचना, जो कि उप-अनुच्छेद 11 में संकलित है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद द्वारा ₹30008922/- की लेनदारियाँ वसूल करने की शेष थीं। उपरोक्त लेनदारियाँ तुलन पत्र में नहीं दर्शाई गई हैं।

2. परिषद देनदारियों को तुलन पत्र में न दर्शाना:-

तुलन पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें देनदारियाँ शून्य दर्शाई गई हैं, जबकि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उक्त पैरा संख्या 23.17 के संदर्भ में प्रस्तुत सूचना के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिषद को श्रम उपकर व रॉयल्टी के रूप में अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹208226/- प्राप्त हुई थी, जिसे दिनांक 31.03.2023 तक सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया था।

3. अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन न करना/करवाना:-

दोहरी लेखा प्रणाली के नियमों के अनुसार नगर परिषद द्वारा वार्षिक तुलन पत्र तैयार करने से पहले अपनी समस्त अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन करके उन्हें इसके सम्पत्ति पक्ष में दर्शाया जाना अपेक्षित था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

अतः नगर परिषद रोहड़ू द्वारा चल व अचल सम्पत्तियों को तुलन-पत्र में नहीं दर्शाया जाना लेखा सिद्धान्तों की अवहेलना है तथा ऐसे में नगर परिषद रोहड़ू का तुलन-पत्र सम्पत्ति की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करता है। अतः नगर परिषद की समस्त सम्पत्तियों को तुलन-पत्र में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

- 29 लघु आपत्ति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई हैं क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।
- 30 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय-2 पर अद्यतन (Updation) एवं पूर्ण करने व गत अंकेक्षण पैरों पर ठोस तथा तुरंत कार्रवाई करने की नितांत आवश्यकता है।

12 JUL 2024

(अनिल शर्मा)

संयुक्त निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

फोन नं0 0177-2620046

3540-3542 क/0/00

पृष्ठांकन संख्या :- फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(5)73/78 खण्ड-V, दिनांक: शिमला-171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को पैरा संख्या:1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-04 (हि0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित है।
- पंजीकृत : 3 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रोहडू, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

12 JUL 2024

(अनिल शर्मा)

संयुक्त निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

फोन नं0 0177-2620046

क/0/00

परिशिष्ट-"1"

पैरा संख्या 1 (घ) में वर्णित

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1978 से 3/1981

1	पैरा 2 (बी)	अनिर्णीत	
2	पैरा 11 (ए)	अनिर्णीत	
3	पैरा 11 (बी)	अनिर्णीत	
4	पैरा 13(सी)	निर्णीत	₹723/- की वसूली रसीद संख्या 176/17508 दिनांक 22.03.2024 को करने पश्चात

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1981 से 3/1982

1	पैरा 3 (सी)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
2	पैरा 3 (डी)	अनिर्णीत	
3	पैरा 6 (ए)	अनिर्णीत	
4	पैरा 6 (बी)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6 (सी)	अनिर्णीत	
6	पैरा 7 (डी)	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही पश्चात
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
9	पैरा 14	अनिर्णीत	
10	पैरा 15	अनिर्णीत	
11	पैरा 16	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
12	पैरा 17	निर्णीत	₹1120/- वसूली रसीद संख्या 176/17509 दिनांक 22.03.2024 को करने पश्चात

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1992

1	पैरा 7 (क)	अनिर्णीत	
---	------------	----------	--

2	पैरा 8	अनिर्णीत	
3	पैरा 9	अनिर्णीत	
4	पैरा 10 (क से ड)	अनिर्णीत	
5	पैरा 11 (क)	निर्णीत	₹1610 की वसूली रसीद संख्या 37/1802 दिनांक 13.07.2004 (रोकड़ बही पृष्ठ संख्या: 144) को करने उपरांत
6	पैरा 11 (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा 11 (ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा 11 (घ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 12 (ट)	अनिर्णीत	
10	पैरा 12 (ड)	अनिर्णीत	
11	पैरा 12 (ढ) (1)	अनिर्णीत	
12	पैरा 13	अनिर्णीत	
13	पैरा 14	अनिर्णीत	
14	पैरा 15 (क)	अनिर्णीत	
15	पैरा 15 (ख)	अनिर्णीत	
16	पैरा 16	अनिर्णीत	
17	पैरा 17 (क)	अनिर्णीत	
18	पैरा 17 (ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा 20	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही पश्चात
20	पैरा 21	अनिर्णीत	
21	पैरा 22	अनिर्णीत	
22	पैरा 23 (क)	अनिर्णीत	
23	पैरा 23 (ख)	अनिर्णीत	

24	पैरा 23 (घ)	निर्णीत	₹600/- की वसूली रसीद संख्या 176/17510 दिनांक 22.03.2024 को करने उपरांत
25	पैरा 25	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
26	पैरा 26	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1996

1	पैरा 10 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 10 (छ)	अनिर्णीत	
3	पैरा 10 (ड)	अनिर्णीत	
4	पैरा 10 (ड)	अनिर्णीत	
5	पैरा 10 (त)	अनिर्णीत	
6	पैरा 10 (थ)	अनिर्णीत	
7	पैरा 10 (फ)	अनिर्णीत	
8	पैरा 10 (ब)	अनिर्णीत	
9	पैरा 10 (भ)	अनिर्णीत	
10	पैरा 10 (र)	निर्णीत	₹500/- की वसूली रसीद संख्या 176/17511 दिनांक 22.03.2024 को करने उपरांत
11	पैरा 12	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
12	पैरा 13 (ix)	अनिर्णीत	

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/2007

1	पैरा 3 (3)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
2	पैरा 5 (2)	अनिर्णीत	
3	पैरा 6 (2)	अनिर्णीत	
4	पैरा 6 (3)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6 (4)	अनिर्णीत	
6	पैरा 6 (5)	अनिर्णीत	

7	पैरा 6 (7)	अनिर्णीत	
8	पैरा 6 (8)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
9	पैरा 6 (10)	निर्णीत	₹1037/- की वसूली रसीद संख्या 176/17512 दिनांक 22.03.2024 को करने उपरांत
10	पैरा 6 (16)	अनिर्णीत	
11	पैरा 6 (20)	निर्णीत	पैरा मूल अंकेक्षण प्रतिवेदन में पहले से ही निर्णीत
12	पैरा 7 (2)	अनिर्णीत	
13	पैरा 7 (3)	अनिर्णीत	
14	पैरा 7 (5) (1)	अनिर्णीत	
15	पैरा 7 (5) (2)	अनिर्णीत	
16	पैरा 7 (5) (3)	अनिर्णीत	
17	पैरा 7 (5) (4)	अनिर्णीत	
18	पैरा 7 (5) (6)	अनिर्णीत	
19	पैरा 7 (6)	अनिर्णीत	
20	पैरा 7 (7)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
21	पैरा 7 (8) (1)	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही पश्चात
22	पैरा 7 (8) (2)	निर्णीत	₹1888/- की वसूली रसीद संख्या 176/17626 दिनांक 25.04.2024 द्वारा करने उपरांत
23	पैरा 7 (9) (1)	अनिर्णीत	
24	पैरा 7 (9) (2)	अनिर्णीत	
25	पैरा 7 (10) (1)	अनिर्णीत	
26	पैरा 7 (10)(2)	अनिर्णीत	
27	पैरा 7 (10) (3)	अनिर्णीत	
28	पैरा 7 (11)	अनिर्णीत	
29	पैरा 7 (12)	अनिर्णीत	

30	पैरा 7 (13)	अनिर्णीत	
31	पैरा 7 (14)	अनिर्णीत	
32	पैरा 7 (15)	अनिर्णीत	
33	पैरा 7 (16)	अनिर्णीत	
34	पैरा 8 (3)	अनिर्णीत	
35	पैरा 9	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1	पैरा 12	अनिर्णीत	
2	पैरा 14	अनिर्णीत	
3	पैरा 15	अनिर्णीत	
4	पैरा 16	अनिर्णीत	
5	पैरा 17 (क)	अनिर्णीत	
6	पैरा 17 (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा 17 (ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा 18 (क)	अनिर्णीत	
9	पैरा 18 (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा 18 (ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा 18 (घ)	अनिर्णीत	
12	पैरा 19 (क)	निर्णीत	₹1887/- की वसूली रसीद संख्या 177/17627 दिनांक 25.04.2024 द्वारा करने उपरांत
13	पैरा 20	अनिर्णीत	
14	पैरा 22 (ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा 33	अनिर्णीत	
16	पैरा 34	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1	पैरा 5 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 9 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा 16	अनिर्णीत	
4	पैरा 17	अनिर्णीत	
5	पैरा 20	अनिर्णीत	
6	पैरा 26 (क से घ)	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2015

1	पैरा 5 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा 8 (ग) (i)	अनिर्णीत	
3	पैरा 8 (ग) (ii)	अनिर्णीत	
4	पैरा 8 (ग) (iii)	अनिर्णीत	
5	पैरा 8 (घ)	अनिर्णीत	
6	पैरा 13	अनिर्णीत	
7	पैरा 14	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
8	पैरा 15	अनिर्णीत	
9	पैरा 16	अनिर्णीत	
10	पैरा 17 (क)	अनिर्णीत	
11	पैरा 17 (ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा 18 (क)	अनिर्णीत	
13	पैरा 18 (ख)	निर्णीत	₹600/- की वसूली रसीद संख्या 176/17513 दिनांक 22.03.2024 को करने उपरांत
14	पैरा 19	अनिर्णीत	
15	पैरा 20	अनिर्णीत	
16	पैरा 21	अनिर्णीत	

17	पैरा 22 (क)	अनिर्णीत	
18	पैरा 22 (ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा 23	अनिर्णीत	
20	पैरा 24	अनिर्णीत	
21	पैरा 25	अनिर्णीत	
22	पैरा 26	अनिर्णीत	
23	पैरा 27	अनिर्णीत	
24	पैरा 28	अनिर्णीत	
25	पैरा 29	अनिर्णीत	
26	पैरा 32 (ख)	निर्णीत	₹139014/- की वसूली वाउचर संख्या 31 दिनांक 19.11.2022 को करने उपरांत
27	पैरा 33	अनिर्णीत	
28	पैरा 38 (ख)	अनिर्णीत	
29	पैरा 39 (क)	अनिर्णीत	
30	पैरा 39 (ख)	अनिर्णीत	
31	पैरा 39 (ग)	अनिर्णीत	
32	पैरा 39 (घ)	अनिर्णीत	
33	पैरा 39 (ङ)	अनिर्णीत	
34	पैरा 41	अनिर्णीत	
35	पैरा 41 (क)	अनिर्णीत	
36	पैरा 41 (ख)	अनिर्णीत	
37	पैरा 41 (ग)	अनिर्णीत	
38	पैरा 41 (घ)	अनिर्णीत	
39	पैरा 41 (ङ)	अनिर्णीत	
40	पैरा 41 (च)	अनिर्णीत	

41	पैरा 42	अनिर्णीत	
42	पैरा 43 (ख)	अनिर्णीत	

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2017

1	पैरा 5 (1)	अनिर्णीत	
2	पैरा 6 (2)	अनिर्णीत	
3	पैरा 9 (2)	आंशिक निर्णीत	₹39556/- की वसूली रसीद संख्या 141/14018 दिनांक 16.08.2021 (₹20000) और रसीद संख्या 133/14270 दिनांक 11.10.2021 (₹19556) द्वारा श्री सुनील कुमार, कनिष्ठ अभियंता से कर ली गई हैं जबकि शेष ₹179563/- की वसूली श्री राजू राम से की जानी शेष हैं।
4	पैरा 10 (1)	अनिर्णीत	
5	पैरा 12	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
6	पैरा 14 (1)	अनिर्णीत	
7	पैरा 14 (2)	अनिर्णीत	
8	पैरा 14 (3)	अनिर्णीत	
9	पैरा 14(4)	निर्णीत	₹4088/- की वसूली रसीद संख्या 177/17628 दिनांक 25.04.2024 को करने उपरांत
10	पैरा 14(5)	निर्णीत	₹2066/- की वसूली रसीद संख्या 177/17629 दिनांक 25.04.2024 को करने उपरांत
11	पैरा 14(6)	अनिर्णीत	
12	पैरा 14(7)	अनिर्णीत	
13	पैरा 14(8)	अनिर्णीत	
14	पैरा 14(9)	अनिर्णीत	
15	पैरा 14(10)	अनिर्णीत	
16	पैरा 14(11)	अनिर्णीत	

17	पैरा 14 (12)	अनिर्णीत	
----	--------------	----------	--

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2019

1	पैरा 5 (क)	निर्णीत	सावधि जमा की परिष्कृता पर ब्याज के रूप में बैंक से कम प्राप्त राशि ₹63177/- को सम्बन्धित बैंक द्वारा नगर परिषद खातों में दिनांक 16.01.2024 को जमा करने पश्चात (सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ संख्या-151, पेंशन रोकड़ बही पृष्ठ संख्या-61 और ग्रेच्युटी पृष्ठ संख्या-4)
2	पैरा 14 (क)(i)	अनिर्णीत	
3	पैरा 14 (क)(ii)	अनिर्णीत	
4	पैरा 14 (क)(iii)	अनिर्णीत	
5	पैरा 14 (क)(iv)	अनिर्णीत	
6	पैरा 14(क)(v)	अनिर्णीत	
7	पैरा 14 (vi)	अनिर्णीत	
8	पैरा 14 (च)	अनिर्णीत	
9	पैरा 14 (छ)	अनिर्णीत	
10	पैरा 14 (ज)	अनिर्णीत	
11	पैरा 14 (झ)	अनिर्णीत	

(ट) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021

1	पैरा 3	अनिर्णीत	
2	पैरा 4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
3	पैरा 5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
4	पैरा 5.1	निर्णीत	सावधि जमा की परिष्कृता पर ब्याज के रूप में बैंक से कम प्राप्त राशि ₹33761/- को सम्बन्धित बैंक द्वारा नगर परिषद खातों में दिनांक 16.01.2024 को जमा करने पश्चात

			पश्चात (सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ संख्या-151, पेंशन रोकड़ बही पृष्ठ संख्या-61 और ग्रेच्युटी पृष्ठ संख्या-4)
5	पैरा 6.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
6	पैरा 6.2	अनिर्णीत	
7	पैरा 7	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
8	पैरा 8.1	अनिर्णीत	
9	पैरा 8.2	अनिर्णीत	
10	पैरा 8.3	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
11	पैरा 8.4	अनिर्णीत	
12	पैरा 8.5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
13	पैरा 8.6	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
14	पैरा 8.7	निर्णीत	₹1645/- की वसूली रसीद संख्या 176/17514 दिनांक 22.03.2024 को करने उपरांत
15	पैरा 8.8	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
16	पैरा 8.9	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही उपरांत
17	पैरा 8.10	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
18	पैरा 8.11	निर्णीत	₹11550 /- की वसूली रसीद संख्या 146/14587 से 146/14600 दिनांक 11.02.2022 को करने उपरांत (CB Page No. -104)
19	पैरा 8.12	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
20	पैरा 9.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
21	पैरा 9.2	निर्णीत	₹32664/- की वसूली वाउचर न. 31 दिनांक 19.11.2022 से करने उपरांत
22	पैरा 9.3	अनिर्णीत	
23	पैरा 9.4	अनिर्णीत	

24	पैरा 9.5	निर्णीत	₹470116/- पत्र संख्या 24 दिनांक 26.03.2024 को ग्रेच्युटी निधि से नगर परिषद निधि को स्थानांतरित करने उपरांत (सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ संख्या: 180)
25	पैरा 9.6	निर्णीत	₹856440/- पत्र संख्या 641 दिनांक 04.10.2023 को ग्रेच्युटी निधि से नगर परिषद निधि को स्थानांतरित करने उपरांत (सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ संख्या: 112)
26	पैरा 9.7	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही उपरांत
27	पैरा 9.8	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही उपरांत
28	पैरा 10.1	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
29	पैरा 10.2	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
30	पैरा 11	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
31	पैरा 12.1	अनिर्णीत	
32	पैरा 12.2	अनिर्णीत	
33	पैरा 12.3	अनिर्णीत	
34	पैरा 12.4	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही पश्चात
35	पैरा 13.1	अनिर्णीत	
36	पैरा 13.2	अनिर्णीत	
37	पैरा 13.3	निर्णीत	₹983/- की वसूली रसीद संख्या 176/17515 दिनांक 22.03.2024 को करने उपरांत
38	पैरा 13.4	निर्णीत	₹719/- की वसूली रसीद संख्या 176/17516 दिनांक 22.03.2024 को करने उपरांत
39	पैरा 13.5	अनिर्णीत	
40	पैरा 13.6	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
41	पैरा 13.7	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही पश्चात
42	पैरा 13.8	अनिर्णीत	

43	पैरा 13.9	अनिर्णीत	
44	पैरा 13.10	अनिर्णीत	
45	पैरा 13.11	निर्णीत	आवश्यक स्पष्टीकरण पश्चात
46	पैरा 13.12	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही पश्चात
47	पैरा 14	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
48	पैरा 15	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
49	पैरा 16	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित

दिनांक 31.03.2021 तक अनिर्णीत पैरे	195
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाये गये पैरे	26
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	60
दिनांक 31.03.2023 तक शेष पैरे	161

परिशिष्ट - "क" पैरा सं 5(क) के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION of Municipal Council Rohru, Distt. Shimla							
YEAR	Name of Head	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	Interest Received (Saving)	TOTAL	Expenditure	CLOSING BALANCE
2021-22	Own Sources	830553.64	5831817.00	1141142.00	7803512.64	7325585.76	477926.88
	Grant In Aid	35754289.81	22743806.00	0.00	58498095.81	22205172.72	36292923.09
	Total	36584843.45	28575623.00	1141142.00	66301608.45	29530758.48	36770849.97
2022-23	Own Sources	477926.88	4281958.14	2401227.00	7161112.02	4963721.72	2197390.30
	Grant In Aid	36292923.09	30628725.00	0.00	66921648.09	17170573.38	49751074.71
	Total	36770849.97	34910683.14	2401227.00	74082760.11	22134295.10	51948465.01
Total as per General Cash Book as on 31.03.2023.....							51948465.01
Total as per Bank account's as on 31.03.2023							51971269.01
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on							(-) 22804
Detail of Difference							
Add: Interest credited to Axis Bank account number 3996 on March 31, 2023, has not been recorded in the cash book as of March 31, 2023							(+)60302
Add: Cheque number 000157, dated February 9, 2023, issued to HDFC Bank, has not been debited by the bank as of March 31, 2023.							(+)1214
Less: Embezzlement amount prior to 31.03.2010							(-)38712
Net Difference							Nil
Detail of Bank Accounts and FDR's as on 31.03.2023							
(1) HP state co-op bank a/c no 43210165987							959402.57
(2) Punjab national bank a/c no. 4536000100010253							932513.29
(3) Punjab national bank a/c no. 4536000100139479							4240486.00
(4) Icici Bank A/c No. 373301000357							15780125.00
(5) HDFC bank A/c 50100051659590							8607.15
(6) HDFC bank A/c 50100525796405							274418.00
(7) Axis bank A/c No.919010041623996							6373697.00
(8) HPSCB TDR Receipt No. 2846210							1719906.00
(9) HPSCB TDR Receipt No. 2728030							8686586.00
(10) HPSCB TDR Receipt No. 2728029							2895528.00
(11) HPSCB TDR Receipt No. 2845172							10100000.00
Total							51971269.01

Prepared by: [Signature]
Verified by: [Signature]
Date: [Signature]

परिशिष्ट - "ख" पैरा सं. 5 (ख) के संदर्भ में

एकल नोडल बैंक खाता द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की वित्तीय स्थिति:-

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2021-22	0	970184.00	970184.00	970184.00	0
2022-23	0	1935000.00	1935000.00	1935000.00	0

एकल नोडल बैंक खाता द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की बैंक समाधान विवरणी :-

रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अंतिम शेष	0.00
यूको बैंक रोहड़ खाता संख्या 12550110043356 अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अंतिम शेष	0.00
अंतर	शून्य


Executive Officer,
Muzaffarnagar ROHRU
Date 22/03/23

परिशिष्ट - "अ" धारा 6 के अन्तर्गत

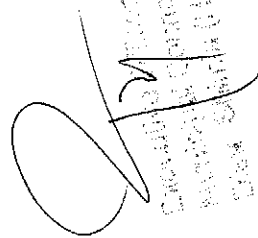
TDR's Statement of Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (H.P.)

Sl. No.	FDR No.	Date of investment	Amount Invested (₹)	Date of maturity (₹)	Period of Investment	Rate of Intt. (%)	Maturity value of FDR (₹)	Interest Earned during the year (₹)	Face value of FDR at the close of year (₹)	Remarks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TDR (General Fund)										
1	HPSCB TDR no. 2313151	19.09.2021	1632498/-	19.09.2022	12M	5.25	1719906/-	87408/-	1719906/-	
	HPSCB TDR no. 2846210	19.09.2022	1719906/-	19.09.2023	12M	5.50	1816470/-	96564/-	1816470/-	
Face value of TDR's as on 31.03.2023 Rs. 1719906/-										
2	HPSCB TDR no. 2728030	28.10.2021	8245120/-	28.10.2022	12M	5.25	8686586/-	441466/-	8686586/-	
	--do--	28.10.2022	8686586/-	28.10.2023	12M	5.50	9174293/-	487707/-	9174293/-	
Face value of TDR's as on 31.03.2023 Rs. 8686586/-										
3	HPSCB TDR no. 2728029	28.10.2021	2748373/-	28.10.2022	12M	5.25	2895528/-	147155/-	2895528/-	
	HPSCB TDR no. 2728029	28.10.2022	2895528/-	28.10.2023	12M	5.50	3058097/-	162569/-	3058097/-	
Face value of TDR's as on 31.03.2023 Rs. 2895528/-										
4	HPSCB TDR no. 2525061	16.03.2021	10100000/-	16.03.2022	12M	5.35	10651288/-	551288/-	10100000/-	Interest amount
	HPSCB TDR no. 2728029	16.03.2022	10100000/-	16.03.2023	12M	5.35	10651288/-	551288/-	10100000/-	has been credited to the savings bank account.
	HPSCB TDR no. 2845172	16.03.2023	10100000/-	16.03.2024	12M	7.10	10836420/-	551288/-	10100000/-	
Face value of TDR's as on 31.03.2023 Rs. 10100000/-										
Total of Face Values of TDR's from General Fund as on 31.03.2023 Rs. 23402020/-										

83

TDR (Pension Fund)							
	HPSCB TDR no. 2728335	10.09.2021	2571446/-	10.09.2022	12M	5.25	2709128/-
	HPSCB TDR no. 2846471	10.09.2022	2709128/-	10.09.2023	12M	5.50	2861231/-
Face value of TDR's as on 31.03.2023 Rs. 2709128/-							
2	HPSCB TDR no. 2315536	22.06.2021	989037/-	22.06.2022	12M	5.25	1040926/-
	HPSCB TDR no. 2845953	22.06.2022	1040926/-	15.07.2023	12M	5.25	1098831/-
Face value of TDR's as on 31.03.2023 Rs. 1040926/-							
Total Face Values of TDR's from Pension Fund as on 31.03.2023 Rs. 3750054/-							

TDR (Gratuity Fund)							
1	HPSCB TDR no. 2315738	22.04.2021	846871/-	22.04.2022	12M	5.25	892215/-
	HPSCB TDR no. 2315738	22.04.2022	892215/-	22.04.2023	12M	5.25	939987/-
Face value of TDR's as on 31.03.2023 Rs. 892215/-							
2	HPSCB TDR no. 2315737	22.04.2021	564605/-	22.04.2022	12M	5.25	594835/-
	HPSCB TDR no. 2315737	22.04.2022	594835/-	22.04.2023	12M	5.25	626684/-
Face value of TDR's as on 31.03.2023 Rs. 594835/-							
Total Face Values of FDR's from Gratuity Fund as on 31.03.2023 Rs. 1487050/-							


 Director, Pension & Gratuity
 Government of India (G.O.I.)
 New Delhi (U.P.)

परिशिष्ट - "च" पैरा सं 7(क) (ख) क संश्लेषण

Municipal Council Rohru, Dist. Shimla (H.P.)

Statement of Grants received during 2021-22 and expenditure made during 2021-22

Sr. No.	Sanctioning Authority	Letter No. & Date	Purpose	Opening Balance	Receipt during	Total	Expenditure during	Closing Balance as on	Remarks
1	Director, UD, HP Shimla (RGURF)		RGURF (For C/O car parking)	2986950.00	0.00	2986950.00	0.00	2986950.00	
2	Dist. TDO Shimla (Parking)		Construction of Parking	1759484.00	0.00	1759484.00	0.00	1759484.00	
3	Director, Urban Development, Shimla (5th SFC)	UD-HC(X10)-1/2021-SFC-15750-816 Dt. 16.07.2021 Rs. 12348504 & UD-HC(X10)-1/2021-37896-37959 Dt. 18.01.2022 Rs. 662286 & through NEFT in Axis Bank A/c 23996 on 15.02.2022 Rs. 112800	Maintenance of assets, Delegation functions and Honorarium of elected Representatives	22114040.81	13123590.00	35237630.81	10860212.72	24377418.09	
4	Director Urban Development, Shimla (14th 15th CFC)	UD-HC(X10)-1/2020-14835-866 Dt. 02.07.2021 Rs. 4064241 & UD-HC(X10)-1/2020-38071-38141 Dt. 18.01.2022 Rs. 3677874 & UD-HC(X10)-1/2020-16300-366 Dt. 23.04.2021 Rs. 43341.	Development Works.	5812826.00	7785456.00	13598282.00	7085670.00	6512612.00	
5	Director, Urban Development, Shimla (ULB Roads)		For maintenance of ULB Roads	619929.00	0.00	619929.00	619929.00	0.00	
6	Deputy Commissioner, Shimla (MPLAD)	Letter No. VKV/2021-9846-47 Dt. 10.11.2021 Rs. 200000.-	PCC R/wall Fencing fl/o. Jhusi Near kiria temple dinesh H. of Dr. Satish Viji, Gangoli Ward No.-6	250000.00	200000.00	450000.00	250000.00	200000.00	
7	Deputy Commissioner, Shimla (MPLAD)		Under MPLAD(S) for C/O Toilet in Aradhana Public School Rohru	200000.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	
8	Deputy Commissioner, Shimla		Under Road M/T from Rohru Satdham to Sidhram Nalla ward no. 4	200000.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00	
9	Director, Urban Development, Shimla (Sewerage)		Repair of Roads, Street & Sewerage Development Works	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	
10	Director, Urban Development, Shimla		Letter of sanction not provided for audit scrutiny.	954600.00	0.00	954600.00	954600.00	0.00	

85-

11	Director, Urban Development, Shimla (DAY NULM)		Revolving Fund of SHGs and C/O of Shelter under DAY-NULM.	256460.00	0.00	256460.00	256460.00	0.00	
12	Director, Urban Development, Shimla (SBM)		IEC Activities for Swachh Survekshan Awareness.	300000.00	0.00	300000.00	300000.00	0.00	
13	Director, Urban Development, Shimla (Solid Waste Management)		For IEC Activities Under SBM Urban.	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	
14	Director, Urban Development, Shimla (PMAY)	UD-H(F)(2)-3/18 MIS-HFA-6908-6946 Dt. 17.04.2021 Rs. 500000	For Construction of house Under PMAY.	100000.00	500000.00	600000.00	400000.00	200000.00	
15	Director, Urban Development, Shimla (MMSAGY)	UD-H(F) Mis-MMSAGY-II-Loose-20008-20027 Dt. 10.08.2021 Rs. 180000 & Through NEFT on Dt. 15.02.202. Rs. 474600		0.00	654600.00	654600.00	398141.00	256459.00	
16	Block Development Office Rohru	Letter No.-64 Dt. 08.04.2021 Rs. 175000	Fencing & Protection wall in DSP office Rohru mohal Amount transfer to MC Rohru	0.00	175000.00	175000.00	175000.00	0.00	
17	Under Covid-19 Fund form UD Shimla	UD-H(C)(17)-3/2021 COVID-19 FUND-11747-11810 Dt. 24.05.2021 Rs. 130000 & UD-H(C)(17)-3/2021 COVID-19 FUND-11811-11874 Dt. 24.05.2021 Rs. 168000 & through NEFT RS. 7160	Cremation/burial of dead bodies of Covid-19 Rs. 1.30 lacs and Incentive to Sanitation workers Rs. 1.68 Lacs.	0.00	305160.00	305160.00	305160.00	0.00	
Total				35754289.81	22743806.00	58498095.81	22205172.72	36297923.09	


 Director, Urban Development, Shimla
 Date: 08.04.2021

Municipal Council Kohru, Distt. Shimla (H.P.)									
Statement of Grants received during 2022-23 and expenditure made during 2022-23									
Sr. No.	Sanctioning Authority	Letter No. & Date	Purpose	Opening Balance	Receipt during	Total	Expenditure during	Closing Balance as on	Remarks
1	Director, UD, HP Shimla (RGURF)		RGURF (For C/O car parking)	2986950.00	0.00	2986950.00	0.00	2986950.00	
2	Distt. TDO Shimla (Parking)		Construction of Parking	1759484.00	0.00	1759484.00	0.00	1759484.00	
3	Director, Urban Development, Shimla (5th SFC)/(6th SFC)	UD-HC(10)-1/2022-SFC Award-25021-25084 Dt. 05.08.2022 Rs. 14909318	Maintenance of assets, Delegation functions and Honorarium of elected Representatives	24377418.09	14909318.00	39286736.09	10673165.38	28613570.71	
4	Director Urban Development, Shimla (15th CFC)	UD-HC(10)-1/2020-7920-88 Dt. 11.04.2022 (un-tide) Rs. 2451916 & UD-HC(10)-1/2020-I-CFC release-281110-28179 Dt. 31.08.2022 (un-tide) Rs. 2451916 & UD-HC(10)-1/2020-I-CFC release-28040-28109 Dt. 31.08.2022 (tide) Rs. 3677874 & UD-HC(10)-1/2020-I-CFC release-60550-622 Dt. 02.03.2023 Rs. 2546220 & UD-HC(10)-1/2020-I-CFC release-60623-850 Dt. 02.03.2023 (tide) Rs. 3819331.	Development Works.	6512612.00	14947257.00	21459869.00	5568799.00	15891070.00	
5	Deputy Commissioner, Shimla (MPLAD)	Letter No. VKV/2021-9846-47 Dt. 10.11.2021	PCC R/wall Fencing H. of Jnanu Near kina temple dinesh H. of Dr. Satish Vili, Gangoli Ward No.-6	2000000.00	0.00	2000000.00	2000000.00	0.00	
6	Director, Urban Development, Shimla (PMAY)		For Construction of house Under PMAY.	2000000.00	0.00	2000000.00	2000000.00	0.00	
7	Director, Urban Development, Shimla (MMSAGY)	Through NEFT on Dt. 06.08.2022 Rs. 150350 & 06.09.2022 Rs. 121800		256459.00	272150.00	528609.00	528609.00	0.00	

8	Block Development Office Rohru	Letter No.-7034 Dt. 23.03.2023 Rs. 500000	1- C/o Children Park at Ramleela Ground Rohru as 1st & final installment. Rs. 3 lacs 2- C/o rain shelter at chitgaon by pass road near civil hospital rohru as 1st & final installment Rs. 2 lacs	0.00	500000.00	500000.00	0.00	500000.00	49751074.71	
Total				36292923.09	30628725.00	66921648.09	17170573.38			

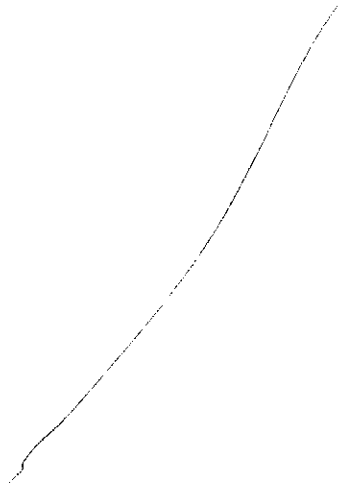
237

Executive Officer,
Municipal Council Rohru
Dist. Shimla (H.P.)

Statement of grants expenditure made during 04/2021 to 03/2023 and UC sent during 04/2021 to 03/2023

Sr.No.	Name of Head	Expenditure made during the year	Amount of UC Sent during the year	Amount of UC not Sent during the year
1	Director UD Shimla (HP) (5th SFC)	21533378.10	0.00	21533378.10
2	Director UD Shimla (HP) (15th CFC)	12654469.00	0.00	12654469.00
3	Director UD Shimla (HP) (Day-NULM)	256460.00	0.00	256460.00
4	Director UD Shimla (HP) (ULB's Roads)	619929.00	0.00	619929.00
5	Director UD Shimla (HP) (SBM)	300000.00	0.00	300000.00
6	Director UD Shimla (HP) (Sewerage)	100000.00	0.00	100000.00
7	Director UD Shimla (HP) (MPLAD)	650000.00	0.00	650000.00
8	Deputy Commissioner, Shimla	200000.00	0.00	200000.00
9	Director UD Shimla (HP)	954600.00	0.00	954600.00
10	Director Urban Development (HP) (SWM)	100000.00	0.00	100000.00
11	Director Urban Development (HP) (PMAY-HFA)	600000.00	0.00	600000.00
12	Director UD Shimla (HP) (MMSAGY)	926750.00	0.00	926750.00
13	COVID-19	305160.00	0.00	305160.00
14	BDO Rohru	175000.00	0.00	175000.00
	Total	39375746.10	0.00	39375746.10


Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt Shimla (H.P.)



House Tax Statement					
Year	Opening Balance (₹)	Demand (₹)	Total (₹)	Collections (₹)	Closing Balance (₹)
2021-22	14841002	3477169	18318171 ✓	1434600	16883571 ✓
2022-23	16883571	3308976	20192547 ✓	284313	19908234 ✓

Sanitation Tax Statement					
Year	Opening Balance (₹)	Demand (₹)	Total (₹)	Collections (₹)	Closing Balance (₹)
2021-22	3639990	0	3639990 ✓	0	3639990 ✓
2022-23	3639990	0	3639990 ✓	0	3639990 ✓

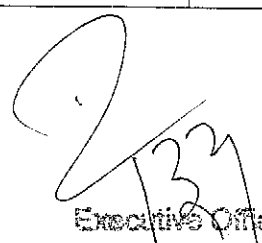
Rent Statement					
Year	Opening Balance (₹)	Demand (₹)	Total (₹)	Collections (₹)	Closing Balance (₹)
2021-22	367193	1805358	2172551 ✓	1442747	729804 ✓
2022-23	729804	2021808	2751612 ✓	1274115	1477497 ✓


Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt Shimla (H.P.)

Detail of shopkeepers whose rental agreements not renewed till March-23

Name of Shopkeeper	Shop No.	Due date of renewal of agreement	Remarks
Sh. Luxmi Chand S/o Padam Chand	10	Oct- 21	Due to court case
Sh. Parkash Chand S/o Anant Ram	11	Oct- 21	Notice issued
Sh. The Rohru The- Co-op union Rohru	13,14,15,16.	Oct- 21	Due to court case
Sh. Sia Ram S/o Sh. Jawhar Lal	17	Oct- 21	Due to death
Sh. Yashwant Singh S/o Sh. Mohar Singh	18	Oct- 21	Due to death
Sh. Dhirju Ram S/o Sh. Dhan Jiw	19	Oct- 21	Notice issued
Sh. Om Parkash Sood S/o Sh. Durga Dass	22	Oct- 21	Due to court cases.
Sh. Rakesh Kumar S/o Vatan Singh	27	Oct-21	Due to court case
Sh. Geeta Ram S/o Sh. Rama Nand	28	Oct- 21	Notice issued
Sh. Mohinder Singh S/o Sh. Jhina Singh	31	Oct- 21	Due to Death
Sh. Prem Lal S/o Thebad	42	Oct- 21	Notice issued
Sh. Dhani Ram S/o Sh. Belu Ram	43	Oct- 21	Due to death
Sh. Karam Dass S/o Sh. Kalsi Ram	45	Oct- 21	Due to Death
Sh. Roshan Lal S/o Sh. Bholu Ram	47	Oct- 21	Notice issued
Sh. Sarwan Sing S/o Sh. Assa Ram	48	Oct- 21	Notice issued
Sh. Sita Ram S/o Belu Ram	54	Oct-21	Due to court case
Sh. Kurpu Ram S/o Shoju Ram	55	Oct-21	Due to court case
Sh. Narender Singh S/o Sh. Rattan Dass	57	Oct- 21	Notice issued
Sh. Sita Ram S/o Kalsi Ram	60	Oct- 21	Due to death
Sh. Jagdish Singh S/o Sh. Roop Singh	61	Oct- 21	Due to court case
Sh. Subedar Singh S/o Sh. Musu	70	Oct- 21	Due to court case
Sh. Gulam Mohamad S/o Sh. Mohmad Abdulla	82	Oct- 21	Notice issued

Sh. Jiwa Ram S/o Sh. Manas Ram	86	Oct- 21	Notice issued
Sh. Kashmiri Lal S/o Sh. Govind Singh	89	Oct- 21	Due to court case
Sh. Rulda Ram S/o Sh. Sewak Ram	90	Oct- 21	Notice issued
The BEEO P.S Building Ramleel Ground	94	Oct- 21	-
Sh. Subash Chand S/o Sh. Padam Chand	100	Oct- 21	Due to court case


 Executive Officer,
 Municipal Council ROHRU
 Dist. Shimla (H.P.)

परिशिष्ट-"ज" पैरा सं= 17 के संबंध में

CERTIFICATE

Certified that No mobile tower has been installed/Functioning on Municipal Council Land during 04/2021 to 03/2023 and Rs. 177501/- is due for recovery from mobile tower company before 01.4.2021 in terms of mobile tower fees as per audit report 04/19 to 03/21.


Executive Officer
Municipal Council ROHR.
Dist. Shimla (H.P.)

परिशिष्ट - "अ" पैरा सं १५(ख) के संदर्भ में

Details of salary paid to employees without the creation or sanction of posts							
Months	Sh. Parmod Kumar	Sh. Gaurav Kumar	Sh. Chottu	Sh. Jaswant	Sh. Aman Kumar	Sh. Akshay	Sh. Govinda
Amount of Salary paid upto 31.03.2021	369635.00	369635.00	369635.00	369635.00	369635.00	369635.00	369635.00
Amount of Salary paid during 01.04.2021 to 31.03.2023							
Apr-21	8525.00	8525.00	8525.00	8525.00	8525.00	2475.00	8525.00
May-21	8250.00	8250.00	8250.00	8250.00	8250.00	0.00	8250.00
Jun-21	9300.00	9300.00	9300.00	9300.00	9300.00	9000.00	9300.00
Jul-21	4200.00	1200.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	2700.00
Aug-21	0.00	0.00	9300.00	9300.00	9300.00	9300.00	1800.00
Sep-21	7200.00	6900.00	9300.00	9300.00	9300.00	8700.00	8100.00
Oct-21	900.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	8100.00	9000.00
Nov-21	9300.00	9300.00	9300.00	9300.00	8100.00	7800.00	9300.00
Dec-21	7500.00	8400.00	9000.00	6900.00	2700.00	4200.00	9000.00
Jan-22	0.00	5700.00	3900.00	9300.00	9300.00	6300.00	9300.00
Feb-22	8700.00	7800.00	9300.00	9300.00	5400.00	9300.00	6900.00
Mar-22	8400.00	7500.00	6600.00	8400.00	8400.00	4200.00	2700.00
Apr-22	3900.00	9400.00	9400.00	3900.00	9400.00	9400.00	9400.00
May-22	0.00	4550.00	10500.00	2100.00	7000.00	10500.00	5950.00
Jun-22	0.00	7000.00	10850.00	10850.00	10850.00	6650.00	10500.00
Jul-22	0.00	10500.00	10500.00	7350.00	10500.00	10500.00	8400.00
Aug-22	0.00	10850.00	10850.00	10500.00	9450.00	9450.00	10850.00
Sep-22	0.00	10850.00	9800.00	10850.00	10850.00	7700.00	10850.00
Oct-22	0.00	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	5250.00	6650.00
Nov-22	0.00	10850.00	10850.00	10850.00	6650.00	7700.00	10500.00
Dec-22	0.00	7000.00	10500.00	5600.00	0.00	10500.00	7000.00
Jan-23	0.00	4550.00	7350.00	10850.00	10500.00	3850.00	1050.00
Feb-23	0.00	10850.00	10500.00	10850.00	10850.00	6300.00	10150.00
Mar-23	0.00	9800.00	9800.00	6650.00	9800.00	9800.00	0.00
Total	76175.00	188575.00	222175.00	206725.00	202925.00	175975.00	176175.00
G/Total	445810.00	558210.00	591810.00	576360.00	572560.00	545610.00	545810.00

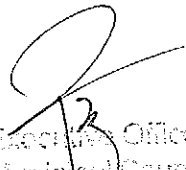

Executive Officer,
Municipal Council ROHR,
Distt Shimla (H.P.)

FINANCIAL POSITION (Pension Fund) of Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (HP)					
YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	TOTAL PAYMENTS	CLOSING BALANCE
2021-22	3663447.00	965735.00	4629182.00	550662.00	4078520.00
2022-23	4078520.00	871401.00	4949921.00	885398.00	4064523.00
Total as per cash book as on 31.03.2023					4064523.00
Total as per bank accounts as on 31.03.2023 (Detail Given Below)					4064523.00
Difference between cash book and bank accounts as on 31.03.2023					0.00
Detail of bank accounts as on 31.03.2023					
HPSCB a/c no. 43210121195					314469.00
HPSCB TDR no. 2846471					2709128.00
HPSCB TDR no. 2845953					1040926.00
Total					4064523.00


 Executive Officer,
 Municipal Council Rohru,
 Distt. Shimla (HP)

परिशिष्ट- "ठ" पैरा सं १० (ख) के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION (Gratuity Fund) of Municipal Council Rohru, Distt. Shimla (HP)					
YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	TOTAL PAYMENTS	CLOSING BALANCE
2021-22	2276985.00	403110.00	2680095.00	0.00	2680095.00
2022-23	2680095.00	392693.00	3072788.00	217290.00	2855498.00
Total as per cash book as on 31.03.2023					2855498.00
Total as per bank accounts as on 31.03.2023 (Detail Given Below)					2855498.00
Difference between cash book and bank accounts as on 31.03.2023					0.00
Detail of bank accounts as on 31.03.2023					
HPSCB a/c no. 43210121194					1368448.00
HPSCB TDR no. 2315738					892215.00
HPSCB TDR no. 2315737					594835.00
Total					2855498.00


Executive Officer,
Municipal Council ROHRU,
Distt. Shimla (H.P.)

2021-22

Ashish Ghalta & Associates
Chartered Accountant



Bagla Niwas Next to Hotel Hidimba, Theog, Shimla
HIMACHAL PRADESH 171201
Ph. 9459280140
E-mail: ashishghalta.ash@gmail.com

To
The Executive Officer
Municipal Council, Rohru

Independent Auditors' Report

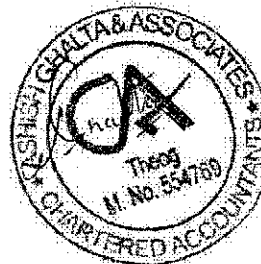
We have audited the accompanying Financial Statements of **Municipal Council, Rohru** comprising of the Balance Sheet as at 31st March 2022, Income and Expenditure Account and Cash Flow Statement as on that date. We have also referred to the accounting policies and other documents of the Council.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Authorities of the Council are responsible for the preparation of the financial statements so as to give a true and fair view in accordance with the accounting principles generally accepted in India. The Authorities are also responsible for the internal control as defined by the management to enable the preparation of financial statements that are free from any misstatements, whether due to fraud or error.

Auditors Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the financial statements prepared under the Accrual Based System of the Council. We have conducted the audit in an independent and fair manner in accordance with the auditing standards of India and standards applicable to financial audit under double-entry method. We have followed the procedures mentioned in our detailed audit plan to collect evidence about the disclosures made in the financial statements and have made the necessary risk assessments based on our judgement and experience. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.



Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt. Shimla (H.P.)

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the information given to us, the said accounts read with notes thereon, if any, give a true and fair view -

- (1) *In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Council as at 31/03/2022 and*
- (2) *In the case of the Income and Expenditure Account of the Surplus for the year ended on that date. In Our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, the particulars given in the said Double Entry Report are presenting the true and fair Income & Expenditure of the Council.*
- (3) *In the case of Cash Flow Statement as on that date.*

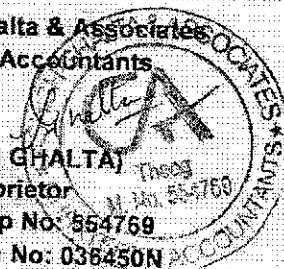
Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. We report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- b) In our opinion proper books of accounts have been kept by Municipal Council as far as appears from our examination of those books.
- c) The Balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by this Report is in agreement with the books of account.
- d) In our opinion the Balance Sheet and the Income & Expenditure Account comply with the Accounting Standards to the extent applicable.

Place: Shimla
Date : 28/01/2022
UDIN : 23554769BGYTPX5443

For Ashish Ghalta & Associates
Chartered Accountants
(ASHISH GHALTA)
Proprietor
Membership No: 554769
Registration No: 036450N



Municipal Council, Rohru
Balance Sheet as at 31st March 2022

Description of Items	Schedule No.	Amount(Rs.) 31.03.2022	Amount(Rs.) 31.03.2021
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
a) Council Fund	B-1	37,920,651.97	37,442,349.45
b) Current Liabilities & Provisions	B-2	5,892,140.00	5,376,530.00
Total Liabilities		43,812,791.97	42,818,879.45
ASSETS			
Non -Current Assets			
a) Fixed Assets	B-3	328,401.00	332,316.00
b) Investments	B-4	27,697,950.00	26,781,246.00
Current Assets			
a) cash and cash equivalents	B-5	15,786,440.97	15,705,317.45
Total Assets		43,812,791.97	42,818,879.45

Subject to our audit of even date

For Ashish Ghalta & Associates
Chartered Accountant

CA Ashish Ghalta Theog
(Proprietor) M. No. 554769
Membership No. 554769
Firm Regd. No. 036450N
UDIN: 23554769BGYTPX5443
Place: Theog
Date: 28/01/2022

For Executive Officer

Municipal Council, Rohru
Executive Office,
Municipal Council ROHRU
Distt. Shimla (H.P.)

Executive Officer,
Municipal Council ROHRU,
Distt. Shimla (H.P.)

Schedule B-1**Council Fund**

Particulars	Amount(Rs.)
Opening Balance	37,442,349.45
Less: Excess of Expenditure Over Income	478,302.52
Closing Balance as on 31.03.2022	37,920,651.97

Schedule B-2**Provisions**

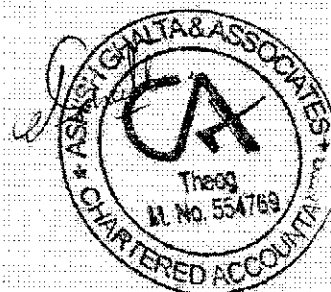
Particulars	Amount
Audit Fee Payable	105,000.00
Gratuity Fund	2,334,835.00
Pension Fund	3,452,305.00
Total	5,892,140.00

Schedule B-4**Investment in FDs**

Particulars	Amount
Co -Op Bank FDR 1	1632498
Co -Op Bank FDR 2	8245120
Co -Op Bank FDR 3	2748373
Co -Op Bank FDR 4	10100000
Hp Co-operative Bank FDR 1 (Out of Pension Account)	2,571,446.00
HP Co-Operative Bank FDR 2(Out of Pension Account)	989,037.00
HP Co-operative Bank FDR 1(Gratuity Account)	846,871.00
HP Co-operative Bank FDR 2(Gratuity Account)	564,605.00
Total Investment in FD	27,697,950.00

Schedule B-5**Cash and Bank Balances**

Particulars	Amount
Co -Operative Bank A/c 5987	1727929.57
PNB A/c 10253	1065442.39
PNB A/c 13979	4368345
ICICI A/c 000357	2321128
HDFC A/c 9590	93602.01
Axix Bank A/c 23996	4429700
Hp Co-operative Bank 1195(Pension Account)	1,268,619.00
HP Co-operative Bank A/c 1194(Gratuity Account)	511,675.00
Total Cash and Bank Balances	15,786,440.97



Schedule 1

Interest Received (on Bank Accounts)

Particulars	Amount(Rs.)
Co-Operative Bank A/c 5987	18,917.00
HDFC A/c 9590	1,713.00
PNB 10253	33,392.00
PNB 13979	120,087.00
ICICI A/c No. 357	130,377.00
Hp Co-operative Bank 1195(Pension Account)	5,297.00
Hp Co-operative Bank FDR 1(Pension Account)	130,685.00
HP Co-Operative Bank FDR 2(Pension Account)	52,415.00
HP Co-operative Bank A/c 1154(Gratuity Account)	33,376.00
HP Co-operative Bank FDR 1(Gratuity Account))	53,662.00
HP Co-operative Bank FDR 2 (Gratuity Account))	35,776.00
AXIS Bank Ac No. 23995	192,890.00
FDR 1(Co-Operative Bank)	82,966.00
FDR 2(Co-Operative Bank)	420,900.00
FDR 3(Co-Operative Bank)	140,300.00
Total	1,452,753.00

Schedule 2

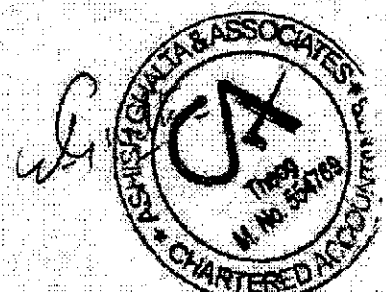
Income From Own Sources

Particulars	Amount(Rs.)
NOC Fee	339,010.00
Birth, Death, Marriage, & Copying (Fee)	12,394.00
Challan & Fine	85,500.00
Tender Fee	80,500.00
Rental Income	1,490,824.00
House Tax	1,990,122.00
Slaughter Fee	108,670.00
Garbage Collection Charges	709,500.00
Map Approval Fee	275,344.00
Misc. Income & Reverse Entries	
Reverse Entries	27,366.00
Other Misc. Income	360,741.00
Total	5,479,971.00

Schedule 3

Revenue Grants

Particulars	Amount(Rs.)
Director Urban Development (PMAY)	500,000.00
Director Urban Development (MMSAGY)	654,600.00
Director Urban Development (14/15th CFC)	7,749,275.00
Director Urban Development (5th SFC)	13,068,377.00
BDO Rohru	375,000.00
UD COVID-19 for Cremation/Burial	130,000.00
UD COVID-19 Incentive Money to Sanitation Worker	168,000.00
Total	22,645,252.00



Schedule 4

Salary & Wages	
Particulars	Amount(Rs.)
Net Salary Paid To Staff	6,204,084.00
CPS/NPS	720,911.00
CPS Arrear	29,064.00
Salary Tds	47,332.00
Salary of Chowkidar	267,096.00
Promotional Increment (Hari Singh)	168,000.00
Pension	98,208.00
DA Arrear	76,071.00
Pension & Gravity	953,064.00
Supervisor's Salary	163,381.00
Medical Reimbursement	59,863.00
EPF	56,281.00
Wages	505,494.00
TA	19,546.00
Total	9,368,395.00

Schedule 5

Employees Insurance	
Particulars	Amount(Rs.)
PLI	926,540.00
GSLI	12,600.00
Total	939,140.00

Schedule 6

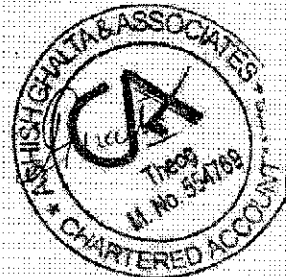
Telephone Bill	
Particulars	Amount(Rs.)
Mobile Bill	6,000.00
Telephone Bill	15,327.00
Total	21,327.00

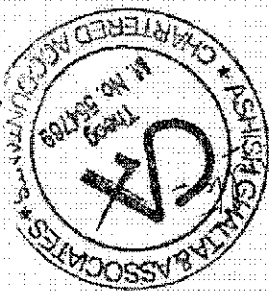
Schedule 7

Repairs & Maintenance	
Particulars	Amount(Rs.)
Vehicle Repairs & Maintenance	89,470.00
Office Repairs & Maintenance	45,332.00
Other Repairs & Maintenance	6,964.00
Repairs of Water Pipeline	40,895.00
Total	182,661.00



Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Dist. Sonbhat (H.P.)





Handwritten signature

Particulars	Amount(Rs.)
Director Urban Development (PMAY)	500,000.00
Director Urban Development (MMSAGY)	654,600.00
Director Urban Development (14/15th CFC)	7,749,275.00
Director Urban Development (5th SFC)	13,068,377.00
BDO Rohru	375,000.00
UD COVID-19 for Cremation/Burial	130,000.00
UD COVID-19 Incentive Money to Sanitation Worker	168,000.00
Total	22,645,252.00

Revenue Grants

Schedule 3

Particulars	Amount(Rs.)
NOC Fee	339,010.00
Birth, Death, Marriage, & Copying (Fee)	12,394.00
Challan & Fine	85,500.00
Tender Fee	80,500.00
Rental Income	1,490,824.00
House Tax	1,990,122.00
Slaughter Fee	108,670.00
Garbage Collection Charges	709,500.00
Map Approval Fee	275,344.00
Misc. Income & Reverse Entries	
Reverse Entries	27,366.00
Other Misc. Income	360,741.00
Total	5,479,971.00

Income From Own Sources

Schedule 2

Particulars	Amount(Rs.)
Co-Operative Bank A/c 5987	18,917.00
HDFC A/c 9590	33,392.00
PNB 10253	120,087.00
PNB 13979	130,377.00
ICICI A/c No. 357	5,297.00
HP Co-operative Bank 1195(Pension Account)	130,685.00
HP Co-operative Bank FDR 1(Pension Account)	52,415.00
HP Co-operative Bank FDR 2(Pension Account)	33,376.00
HP Co-operative Bank A/c 1194(Gratuity Account)	53,662.00
HP Co-operative Bank FDR 1(Gratuity Account)	35,776.00
HP Co-operative Bank FDR 2(Gratuity Account)	192,890.00
AXIS Bank A/c No. 23996	82,966.00
FDR 1(Co-Operative Bank)	420,900.00
FDR 2(Co-Operative Bank)	140,300.00
FDR 3(Co-Operative Bank)	1,452,753.00
Total	1,452,753.00

Interest Received (on Bank Accounts)

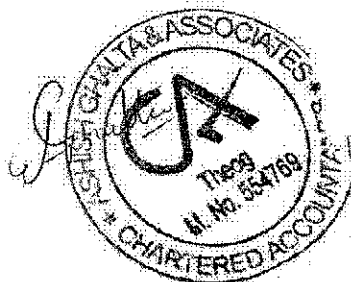
Schedule 1

Schedule 8

Development Works	
Particulars	Amount(Rs.)
Diesel & Petrol Exp	158,913.00
MMSAGY	866,875.00
Pradhan Mantri Awas Yojna	235,000.00
Swachh Survekshan	67,000.00
Fencing and Protection of Wall	175,000.00
Plan Foundation Shimla	32,109.00
Purchase of Raw Material	918,956.00
Plastic Buy Back policy	72,525.00
GST & TDS Deducted and Deposited	253,985.00
Other Development Works	10,327,219.00
Total	13,107,582.00

Schedule 9

Miscellaneous Expenses	
Particulars	Amount(Rs.)
Annual Maintenance Charges of Website	53,100.00
Brooms	5,675.00
Sanitation	236,165.00
Penalty for Illegal Dumping	25,000.00
Cremation of Unclaimed Body	10,000.00
Refund of Balance Grant UD	594,459.00
Other Misc. Exp	108,607.00
Total	1,033,006.00



Municipal Council, Rohru
Income and Expenditure for the year ended 31st March, 2022

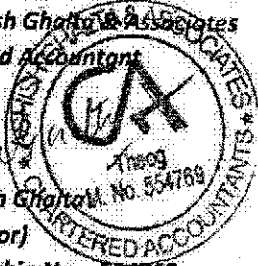
Description of Items	Schedule No.	Year Ended 31.03.2022(Rs.)	Year Ended 31.03.2021 (Rs.)
INCOME			
Interest Received (on Bank Accounts)	1	1,452,753.00	3,160,973.00
Income From Own Sources	2	5,479,971.00	5,387,092.96
Revenue Grants	3	22,645,252.00	28,587,918.00
Total Income		29,577,976.00	37,135,983.96
EXPENDITURE			
Salary & Wages	4	9,368,395.00	9,703,770.00
Employees Insurance	5	939,140.00	864,865.00
Telephone Bill	6	21,327.00	20,970.00
Repairs & Maintenance	7	182,661.00	406,135.00
Development Works	8	13,107,582.00	13,865,198.00
Miscellaneous Expenses	9	1,033,006.00	461,218.00
Garbage Collection Exp.		2,006,645.00	2,040,665.00
Depreciation		94,165.00	132,846.00
Legal Charges		15,000.00	124,000.00
Accounting Charges		104,248.00	130,000.00
Fair & Celebration Expenses		-	7,200.00
Audit Fee		15,000.00	85,000.00
Rent		72,000.00	-
Refreshment Exp		22,852.00	5,826.00
Printing & Stationary		72,500.00	30,946.00
Street Light Maintenance Expenses		1,238,846.00	1,810,139.00
Electricity Expenses		56,719.00	-
Advertisement Exp		37,430.00	11,826.00
Water Charges		12,016.00	15,808.00
Consultancy Fee		305,380.00	37,380.00
Bank Charges		-	599.04
Honorarium		393,000.00	379,500.00
Newspaper & Periodicals & Misc exp		1,761.48	-
Vehicle Insurance		-	28,707.00
Total Expenditure		29,099,673.48	30,162,598.04
Excess of Income Over Expenditure Before prior period items		478,302.52	6,973,385.92
Add/Less: Prior Period Items		-	-
Net Excess of Expenditure Transferred to Municipal Fund		478,302.52	6,973,385.92

Subject to our audit of even date

For Ashish Ghata & Associates
Chartered Accountants

For Executive Officer

CA Ashish Ghata & Associates
(Proprietor)
Membership No. : 554769
Firm Regd. No. 036450N
UDIN: 23554769BGYTPXS443
Place: Theog
Date: 28/01/2022



Municipal Council, Rohru

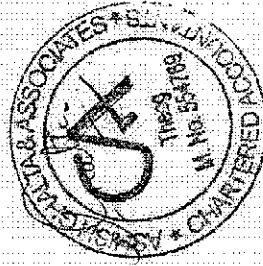
Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt Shimla (H.P.)

Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt Shimla (H.P.)

Schedule: B-3

Municipal Council, Rohru
Depreciation Chart
Fixed Assets as at March 31, 2022

Particulars	WDV as on 1.04.2021	Additions		Total	Rate of Dep. %	Depreciation	WDV as on 31.03.2022
		<180 days	>=180 days				
Furniture	153,058.00	-	90,250.00	243,308.00	10%	24,331.00	218,977.00
Electric Weighing Mach	7,480.00	-	-	7,480.00	15%	1,122.00	6,358.00
Tally Software	12,744.00	-	-	12,744.00	40%	5,098.00	7,646.00
Computers & Printers	159,034.00	-	-	159,034.00	40%	63,614.00	95,420.00
Total(Rs.)	332,316.00	-	90,250.00	422,566.00		94,165.00	328,401.00



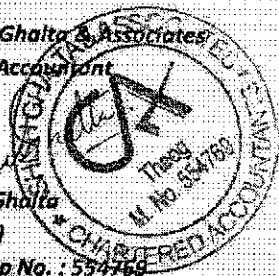
Municipal Council, Rohru
Cash Flow Statement as on 31st March 2022

Particulars	Fig. in Rs. 31.03.2022	Fig. in Rs. 31.03.2022	Fig. in Rs. 31.03.2021	Fig. in Rs. 31.03.2021
Cash flow from Operating Activities				
Deficit As Per Income & Expenditure A/c	478,302.52		6,973,385.92	
Add: Non- Cash Expenses				
Depreciation	94,165.00		132,846.00	
	572,467.52		7,106,231.92	
Less: Non-Operative Income				
Interest Received	1,452,753.00		3,160,973.00	
Revenue Grants Received	22,645,252.00		28,587,918.00	
Cash Flow before Working Capital Changes	(23,525,537.48)		(24,642,659.08)	
Working Capital Adjustments				
Add: Increase in Provisions	515,610.00		510,299.00	
NET WORKING CAPITAL CHANGES	515,610.00		510,299.00	
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES(A)		(23,009,927.48)		(24,132,360.08)
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES(B)		1,362,503.00		2,783,876.00
Purchase of Fixed Assets	(90,250.00)		(377,097.00)	
Interest Received	1,452,753.00		3,160,973.00	
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)		22,645,252.00		28,587,918.00
Grants Received	22,645,252.00		28,587,918.00	
NET SURPLUS/(DEFICIT) D=A+B+C		997,827.52		7,239,433.92
Opening cash & Cash Equivalent 1st April- E		42,486,563.45		35,247,129.53
Closing Cash & Cash Equivalent - D+E		43,484,390.97		42,486,563.45

Subject to our audit of even date

For Ashish Ghalta & Associates
Chartered Accountant

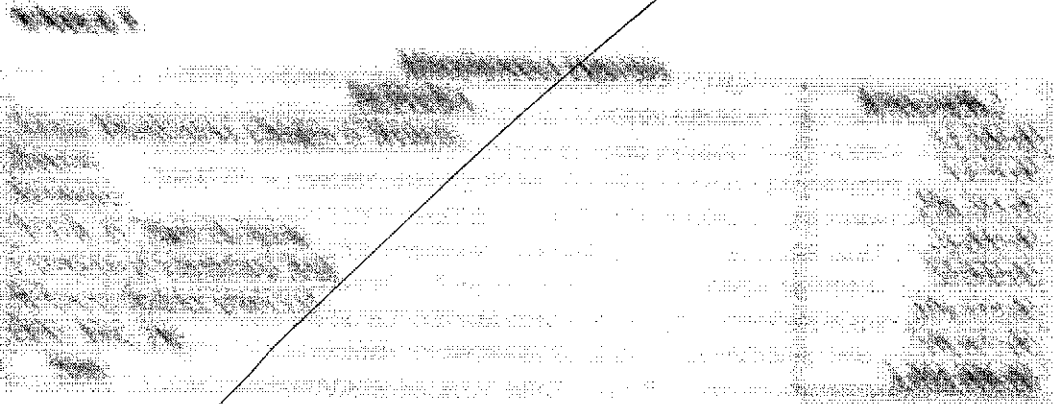
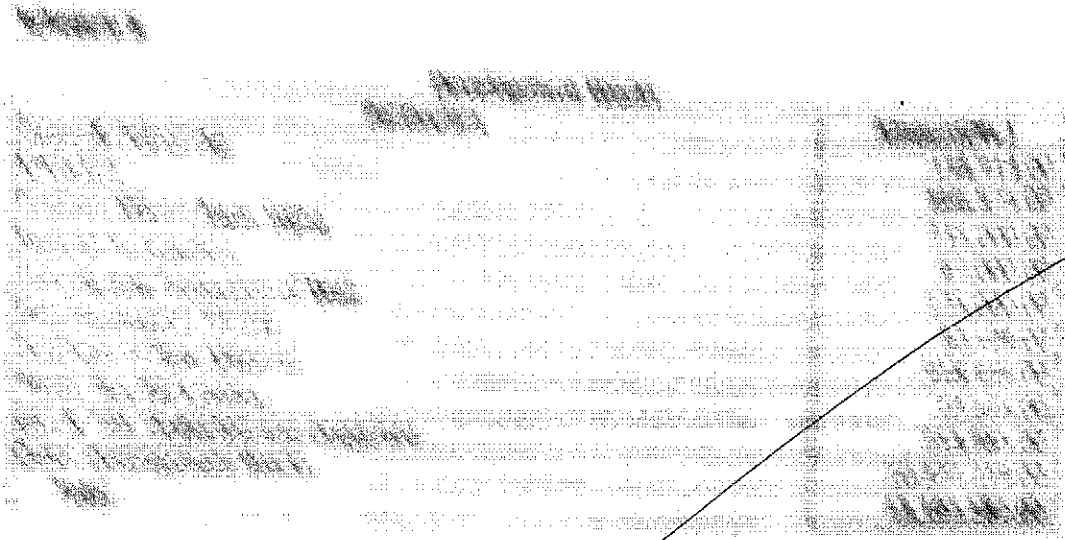
CA Ashish Ghalta
(Proprietor)
Membership No. : 554769
Firm Regd. No. 036450N
UDIN: 23554769BGYPX5443
Place: Theog
Date: 28/01/2022



For Executive Officer

Municipal Council, Rohru
Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt. Shimla (H.P.)

Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt. Shimla (H.P.)



NOTES TO ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22

ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Accounting

Accounting policies are not specifically referred to otherwise be consistent and in consonance with generally accepted accounting policies.

The accounts have been prepared on modified accrual basis

a. Investments

Investments are stated at cost

b. Inventories

Inventories are at cost or net realizable value whichever is lower

2. Revenue Recognition

Significant items of revenue of the corporation other than those mentioned are recognized on the basis of occurrence of transaction.

a) Property Tax/House Tax:

Property Taxes are recognized on Receipt Basis

b) Revenue Grants, Subsidies and Specified funds:

Revenue from Grants are recognized on Cash Basis

c) Interest on Bank Deposits is on accrual basis and subjected to bank confirmation.

d) Establishment Expenses:

Establishment expenses are considered on Cash basis

e) Security Deposits:

Confirmation regarding such current liability is not available. Security Deposits Receipts and Payments are treated as Misc. Income and Expenditure. However, it should be treated as Provisions.

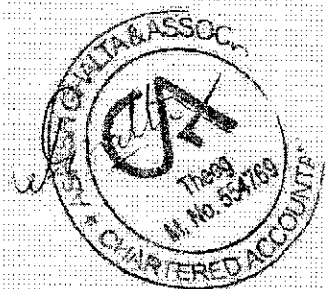
3. Current Assets and Investments

a) Cash & Bank Balances:

Bank Balances are taken as per Bank Reconciliation Statement.

b) Deposits with Bank:

Deposits with Banks are subjected to reconciliation and Bank Confirmation.



Fixed Assets

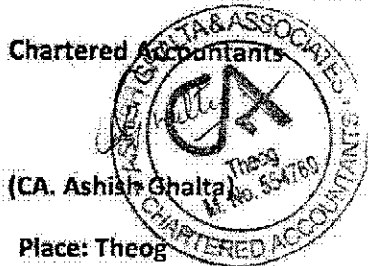
Fixed Assets bought during the year is stated at their original cost of acquisition / installation less depreciation. All direct expenses attributes to acquisition / installation of assets have been capitalized. Depreciation has been provided on the Written Down Value Method at the rates prescribed by the income tax Rules , 1962.

Sl. NO	Assets Category	Depreciation Rates
a.	Land	Nil
b.	Building	10%
c.	Building & (Residential)	5%
d.	Furniture & Fixture	10%
e.	Equipment	15%
f.	Computer	40%
g.	Vehicles (including Buses)	15%
h.	Library Books	15%
i.	Plant & Machinery	15%
j.	Other Fixed Assets	15%

Depreciation has been charged for the full year in case the asset has been acquired prior to 1st October and at half the rate in case purchase is made on or after 1st October. No depreciation has been charged / provided for asset said / disposed during the year.

For Ashish Ghalta & Associates

Chartered Accountants



(CA. Ashish Ghalta)

Place: Theog

Date : 28/01/2022

For Executive Officer

Municipal Council, Rohru
Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt. Shimla (H.P.)

33
Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt. Shimla (H.P.)

Ashish Ghalta & Associates
Chartered Accountant



Brigta Niwas Next to Hotel Hidimba, Theog, Shimla
HIMACHAL PRADESH 171201
Ph. 9459280140
E-mail: ashishghalta.ash@gmail.com

To
The Executive Officer,
Municipal Council,
Rohru.

Independent Auditors' Report

Report on the Financial Statements

We have audited the Financial Statement of **Municipal Council, Rohru** comprising of the Balance Sheet as at 31st March 2023, Income and Expenditure Account and Cash Flow Statement and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

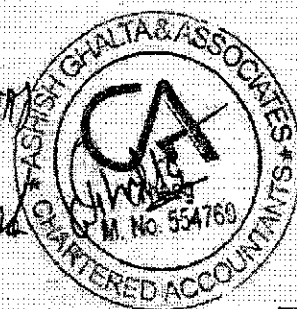
Management's Responsibility for the Financial Statements

The Authorities of the Corporation are responsible for the preparation of the financial statements so as to give a true and fair view in accordance with the accounting principles generally accepted in India. The Authorities are also responsible for the internal control as defined by the management to enable the preparation of financial statements that are free from any misstatements, whether due to fraud or error.

Auditors Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the financial statements prepared under the Accrual Based System of corporation based on **National Municipal Accounting Manual(NMAM)**.

We have conducted the audit in an independent and fair manner in accordance with the auditing standards of India and standards applicable to financial audit under double-entry method. We have followed the procedures mentioned in our detailed audit plan to collect evidence about the disclosures made in the financial statements and have made the necessary risk assessments based on our judgement and experience. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.



Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt. Shimla (H.P.)

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the aforesaid financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the corporation as at 31st March 2023 and its income and expenditure for the year ended on that date.

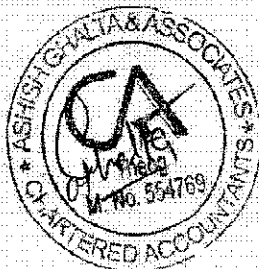
Basis for Qualified Opinion

1. Grants received by the Corporation during the current financial year have been considered as an income without considering the nature of the Grants. Most of the Grants received by the Corporation are of specific nature.

As per NATIONAL MUNICIPAL ACCOUNTING MANUAL the following Accounting Principles shall govern the recording, accounting and treatment of transactions relating to Grants:

- a. General Grants, which are of a revenue nature, shall be recognised as income on actual receipt.
- b. Grants towards revenue expenditure, received prior to the incurrence of the expenditure, shall be treated as a liability till such time that the expenditure is incurred.
- c. Grants received or receivable in respect of specific revenue expenditure shall be recognised as income in the accounting period in which the corresponding revenue expenditure is charged to the Income and Expenditure Account.
- d. Grants received towards capital expenditure shall be treated as a liability till such time that the fixed asset is constructed or acquired. On construction/acquisition of a fixed asset out of the grants so received, the extent of liability corresponding to the value of the asset so constructed/acquired shall stand reduced and the amount shall be treated as a capital receipt and shall be transferred from the respective Specific Grant Account to Capital Contribution.
- e. Grants received as a nodal agency or as implementing agency for an intended purpose, which does not, result in the creation of assets with ownership rights for the ULB shall be treated as a liability till such time it is used for the intended purpose. Upon utilisation for the intended purpose, the extent of liability shall stand reduced by the value of such utilisation and no further treatment shall be required.
- f. Grants in the form of non-monetary assets (such as fixed assets given at a concessional rate) shall be accounted for on the basis of the acquisition cost. In case a non-monetary asset is received free of cost, it shall be recorded at a nominal value (e.g. Rupee One).
- g. Income on investments made from 'Specific Grants received in advance' shall be recognised and credited to the Specific Grant, whenever accrued. Profit/loss, if any, arising on disposal of investments made from the 'Specific Grant received in advance' shall also be recognised and credited/debited to the Specific Grant.

2. All Fixed Assets have not been reflected in the financial statements. Fixed Assets before the adoption of accrual basis of accounting were charged to the Income & Expenditure Account. However, proper valuation of above mentioned assets should have been taken place as per NMAM guidelines and the same should have been reflected in the Financial Statements.

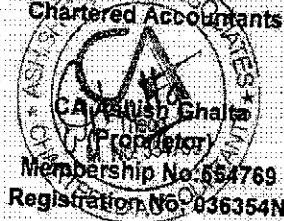


Report on Other Legal and Regulatory Requirements

We further report that:

- (a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- (b) In our opinion, the Corporation has kept proper books of account as required by law as far as it appears from our examination of the books. Books of accounts are maintained manually and in excel Format.
- (c) The Balance Sheet and Statement of Income and Expenditure dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
- (d) NMAM is silent on provision for retirement benefits to be payable to employees of Corporation nor there is any legal requirement. As per para 3.14 clause (e) of NMAM Separate Funds may also be formed for meeting the pension and other retirement benefits such as Gratuity and Leave encashment etc.
- (e) In case of Fixed Assets of the Corporation balances stated in the balance sheet are subject to physical verification, revaluation and impairment if any. In absences of information, we are not able to quantify the financial effects if any.
- (h) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - a. The Corporation has some pending litigations, which would impact its financial position.

For Ashish Ghalla & Associates
Chartered Accountants



Place: Theog
Date : 06.12.2023
UDIN : 23554769BGYTSM1543

[Handwritten Signature]
Ashish Ghalla
Proprietor

Municipal Council, Rohru
Balance Sheet of Municipal Council as on 31st March 2023

Description of Items	Schedule-No.	2022-23 Amount(Rs.)
LIABILITIES		
Reserve & Surplus		
Municipal (General) Fund	B-1	52,154,076.01
Earmarked Funds	B-2	6,920,021.00
Reserves	B-3	-
Total Reserves & Surplus		59,074,097.01
Grants, Contributions for specific purposes	B-4	-
Loans		
Secured Loans	B-5	-
Unsecured Loans	B-6	-
Total Loans		-
Current Liabilities and Provisions		
Deposits Received	B-7	-
Deposit works	B-8	-
Other Liabilities (Sundry Creditors)	B-9	-
Provisions	B-10	20,000.00
Total Current Liabilities and Provisions		-
TOTAL LIABILITIES		59,094,097.01
ASSETS		
Fixed Assets	B-11	264,323.00
Capital Work-in-Progress		-
Total Fixed Assets		264,323.00
Investments		
Investment - General Fund	B-12	28,639,124.00
Investments - Other Funds	B-13	-
Total Investments		28,639,124.00
Current Assets, Loans and Advances		
Stock in Hand (Inventories)	B-14	-
Sundry Debtors (Receivables)		-
Gross amount outstanding	B-15	-
Less: Accumulated provision against bad and doubtful Receivables		-
Net amount outstanding		-
Prepaid Expenses	B-16	-
Cash and Bank Balances	B-17	30,190,650.01
Loans, advances and deposits	B-18	-
Less: Accumulated provision against Loans		-
Net Amount outstanding		-
Total Current Assets, Loans & Advances		30,190,650.01
Other Assets	B-19	-
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off)	B-20	-
TOTAL ASSETS		59,094,097.01

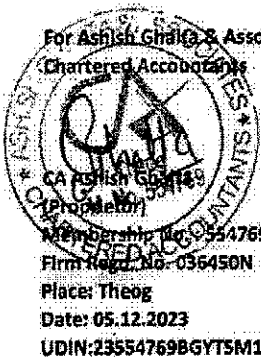
Subject to our audit of even date

For Ashish Ghai & Associates

For Executive Officer

Chartered Accountants

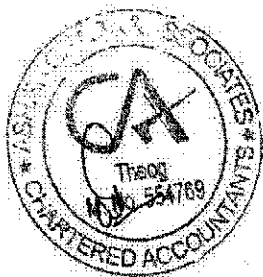
Municipal Council, Rohru



The various schedules to the Balance Sheet have been provided below:

Schedule B-1: Municipal (General) Fund

Particulars	Opening balance as per the last account (Rs.)	Additions during the year (Rs.)	Total (Rs.)	Deductions during the year (Rs.)	Balance at the end of the current year (Rs.)
1	2	3	4(2+3)	5	6(4-5)
Municipal Fund	37,920,651.97	-	37,920,651.97	965,113.00	36,955,538.97
Excess of Income & Expenditure	15,198,537.04	-	15,198,537.04		15,198,537.04
Total Municipal fund	53,119,189.01	-	53,119,189.01	965,113.00	52,154,076.01



2/3
Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt. Shimla (H.P.)

Schedule B-2: Earmarked Funds

Schedule B - 2: Special Funds/Sinking Fund/Trust or Agency Fund

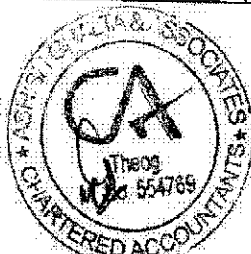
Particulars	Gratuity Fund	Pension Fund	Provident fund	Water supply fund
(a) Opening Balance	2,334,835.00	3,452,305.00	-	-
(b) Additions to the Special Fund				
(i) Transfer from Municipal Fund				
(ii) Interest/Dividend earned on Special Fund Investments	112,397.00	204,995.00	-	-
(iii) Profit on disposal of Special Fund Investments			-	-
(iv) Appreciation in Value of Special Fund Investments			-	-
(v) Contribution to Fund	280,296.00	672,768.00	-	-
(vi) Other addition (Wrongly Credited To I & E A/c in previous Years)	345,260.00	619,853.00	-	-
FY:				
2019-20	Gratuity Bank A/c 194: 24423, Pension Ac: 5618, FD 35: 145702, FD 36: 55703			
2020-21	Gratuity Bank A/c 194: 25053, FDR 9940:103768, FDR 9945:69202, Pension Ac: 6458, FD35:156775 and FD 36: 61200			
2021-22	Gratuity Bank A/c 194: 33376, FDR 9940:53662, FDR 9945:35776, Pension Ac: 5297, FD 35: 130685 and FD36: 52415			
Total (b)	737,953.00	1,497,616.00	-	-
Total (a+b)	3,072,788.00	4,949,921.00	-	-
(c) Payments out of funds				
(i) Capital expenditure on Fixed Assets				
Others:				
Sub-total				
(ii) Revenue Expenditure on Payments made out of the fund	217,290.00	885,398.00	-	-
Rent				
Other administrative charges				
Sub-total		885,398.00		
(iii) Other:				
Loss on disposal of Special Fund Investments				
Diminution in Value of Special Fund Investments				
Transferred to Municipal Fund				
Sub-total				
Total of (i+ii+iii) (c)	217,290.00	885,398.00	-	-
Net balance at the year end -- (a+b)-(c)	2,855,498.00	4,064,523.00	-	-

Schedule B-3: Reserves

Particulars	Opening balance	Additions during	Total (Rs.)	Deductions during	Balance at the end
Capital Contribution	-	-	-	-	-
Capital Reserve	-	-	-	-	-
Borrowing Redemption Reserve	-	-	-	-	-
Special Funds (Utilised)	-	-	-	-	-
Statutory Reserve	-	-	-	-	-
General Reserve	-	-	-	-	-
Revaluation Reserve	-	-	-	-	-
Total Reserve funds	-	-	-	-	-

Schedule B-4: Grants & Contribution for Specific Purposes
Amount in Rs.

Particulars	Grants from Central Government	Grants from State	Grants from	Grants from	Others
(a) Opening Balance					
(B) Profit on disposal of Grant					
Total (b)					
Total (a+b)					
(c) Payments out of funds					
Particulars	Grants from Central Government	Grants from State	Grants from	Grants from	Others
(i) Capital expenditure on					
Sub-total					
(ii) Revenue Expenditure on					
Sub-total					
(iii) Other:					
Sub-total					
Total (c) (i+ii+iii)					



Net balance at the year end -						
Total Grants & Contribution for						

Schedule B-5: Secured Loans

Particulars	Current Year Amount (Rs.)
Loans from Central Government	-
Loans from State government	-
Loans from Govt. bodies &	-
Loans from international agencies	-
Loans from banks & other financial	-
Other Term Loans	-
Bonds & debentures	-
Other Loans	-
Total Secured Loans	-

Schedule B-6: Unsecured Loans

Particulars	Current Year Amount (Rs.)
Loans from Central Government	-
Loans from State government	-
Loans from Govt. bodies &	-
Loans from international agencies	-
Loans from banks & other financial	-
Other Term Loans	-
Bonds & debentures	-
Other Loans	-
Total Un-Secured Loans	-

Schedule B-7: Deposits Received

Particulars	Current Year Amount (Rs.)
From Contractors	-
From Revenues	-
From staff	-
From Others	-
Total deposits received	-

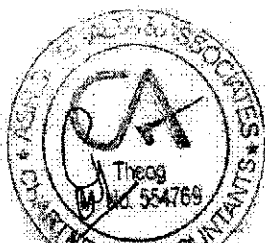
Schedule B-8: Deposits Works

Particulars	Opening balance as the	Additions during	Utilisation /	Balance
Civil Works	-	-	-	-
Electrical works	-	-	-	-
Others	-	-	-	-
Total of deposit works	-	-	-	-

Schedule B-9: Other Liabilities (Sundry Creditors)

Particulars	Current Year Amount (Rs.)
Creditors	-
Employee Liabilities	-
Interest Accrued and Due	-
Recoveries Payable (Unblock)	-
Government Dues Payable	-
Others	-
Total Other liabilities	-


 Executive Officer,
 Municipal Council ROHRU
 Distt Shimla (H.P.)



Schedule B-18: Loans, advances and deposits

Particulars	Opening Balance at 31.03.2022	Paid during the	Recovered during	Balance
Loans and advances to employees	-	-	-	-
Employee Provident Fund	-	-	-	-
Loans	-	-	-	-
Loans to Others	-	-	-	-
Advance to Suppliers and Contractors	-	-	-	-
Advance to Others	-	-	-	-
Deposit with External Agencies	-	-	-	-
Other Current Assets	-	-	-	-
Sub-Total				
Less: Accumulated Provisions	-	-	-	-
Total Loans, advances, and	-	-	-	-

Schedule B-18 (a): Accumulated Provisions against Loans, Advances, and Deposit

Particulars	2022-23	Amount (Rs.)
Loans to Others	-	-
Advances	-	-
Deposits	-	-
Total Accumulated Provision	-	-

Schedule B-19: Other Assets

Particulars	2022-23	Amount (Rs.)
Deposit Works	-	-
Total Other Assets	-	-

Schedule B-20: Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off)

Particulars	2022-23	Amount (Rs.)
Loan Issue Expenses Deferred	-	-
Discount on Issue of Loans	-	-
Deferred Revenue Expenses	-	-
Others	-	-
Total Miscellaneous expenditure	-	-



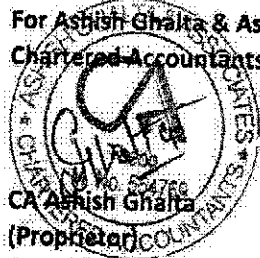
Municipal Council, Rohru
Income & Expenditure Account for the year ended 31.03.2023

No. Item/ Head of Account	Schedule No .	2022-23 Amount (Rs.)
INCOME		
Tax Revenue	I-1	235,281.00
Assigned Revenues & Compensation	I-2	-
Rental Income from Municipal Properties	I-3	1,322,587.00
Fees & User Charges	I-4	2,370,002.14
Sale & Hire Charges	I-5	-
Revenue Grants, Contributions & Subsidies	I-6	30,652,875.00
Income from Investments	I-7	1,227,317.00
Interest Earned	I-8	1,222,642.00
Other Income	I-9	281,206.00
Total – INCOME		37,311,910.14
EXPENDITURE		
Establishment Expenses	I-10	12,588,821.00
Administrative Expenses	I-11	683,196.10
Operations & Maintenance	I-12	8,531,048.00
Interest & Finance Expenses	I-13	-
Programme Expenses	I-14	-
Revenue Grants, Contributions & subsidies	I-15	-
Provisions & Write off	I-16	-
Miscellaneous Expenses	I-17	246,230.00
Depreciation		64,078.00
Total – EXPENDITURE		22,113,373.10
Gross surplus/ (deficit) of income over expenditure before Prior Period Items		15,198,537.04
Add: Prior period Items (Net)	I-18	
Gross surplus/ (deficit) of income over expenditure after Prior Period Items		15,198,537.04
Less: Transfer to Reserve Funds		
Net balance being surplus/ deficit carried over to Municipal Fund		15,198,537.04

Subject to our audit of even date

For Ashish Ghanta & Associates

Chartered Accountants


CA Ashish Ghanta
(Proprietor)

Membership No. : 554769

Firm Regd. No. 036450N

Place: Theog

Date: 06.12.2023

UDIN: 23554769BGYTSM1543

For Executive Officer

Municipal Council, Rohru


Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Dilip Sharma (H.P.)

SCHEDULES FORMING PART OF THE INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

Schedule I-1: Tax Revenue

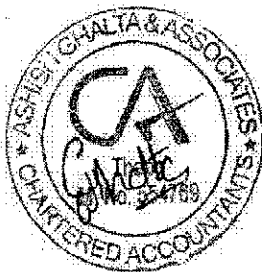
Particulars	2022-23
	Amount (Rs.)
House Tax	235,281.00
Sub-total	235,281.00
Less	
HOUSE TAX CHARGES RETURN ENTRY	
Sub-total	-
Total tax revenue	235,281.00

Schedule I-1 (a): Remission and Refund of taxes

Particulars	2022-23
	Amount (Rs.)
Water tax	-
Advertisement tax	-
Others	-
Total refund and remission of tax revenues	-

Schedule I-2 : Assigned Revenues & Compensation

Particulars	2022-23
	Amount(Rs.)
Taxes and Duties collected by others	-
Compensation in lieu of Taxes / duties	-
Compensations in lieu of Concessions	-
Total assigned revenues & compensation	-



Schedule I-3: Rental Income from Municipal Properties

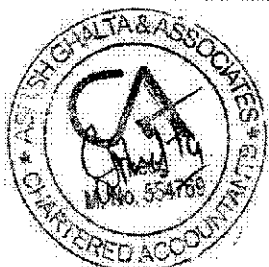
Particulars	2022-23
	Amount (Rs.)
Rent	1,247,136.00
Interest Charged on Delayed Rent	75,451.00
Sub-total	1,322,587.00
Less:	
Rent Remission and Refunds	-
Sub-total	-
Total Rental Income from Municipal Properties	1,322,587.00

Schedule I-4 : Fees & User Charges

Particulars	2022-23
	Amount (Rs.)
NOC Fee & Permission	155,600.00
Birth, Death, Marriage, & Copying (Fee)	33,312.00
Slaughter Fee	96,470.00
Advertisement Exp	1,390.00
Garbage Collection Charges	688,900.00
MAP APPROVAL FEE	239,882.00
Permission	12,882.00
RTI	6.00
Direct Deposit HDFC Bank 9590 Map Approval	59,360.14
(Direct Deposit 5987) Liquor Cess	606,650.00
Tender Form Fee	475,550.00
Sub-total	2,370,002.14
Less:	
Rent Remission and Refunds	-
Sub-total	-
10.1 Total income from Fees & User	2,370,002.14

Schedule I-5 : Sale & Hire Charges

Particulars	2022-23
	Amount (Rs.)
Total Income from Sale & Hire charges – income head-wise	-



33
Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt Shimla (H.P.)

Schedule I-6: Grants, Contributions & Subsidies

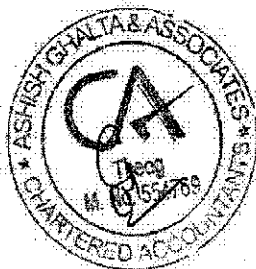
Particulars	2022-23
	Amount (Rs.)
DC Grant	500000.00
Director Urban Development (MMSAGY)	298300.00
Director Urban Development (14/15th CFC)	14947257.00
Director Urban Development (5th SFC)	14909318.00
Total Revenue Grants, Contributions &	30,652,875.00

Schedule I-7: Income from Investments

Particulars	2022-23
	Amount (Rs.)
FDR A/c No. 2525061(Co-Operative Bank)	551,288.00
FDR A/c No. 2313151(Co-Operative Bank)	87,408.00
FDR A/c No. 2718030(Co-Operative Bank)	441,466.00
FDR A/c No. 2728029(Co-Operative Bank)	147,155.00
Dividend	
Income from projects taken up on commercial basis	
Profit in Sale of Investments	
Others	
Total Income from Investments	1,227,317.00

Schedule I-8: Interest Earned

Particulars	2022-23
	Amount (Rs.)
Co-Operative Bank A/c 5987	614,134.00
HDFC 9590	773.00
HDFC96405	5,068.00
PNB 10253	26,906.00
AXIS Bank Ac No. 23996	202,968.00
PNB 139479	108,261.00
ICICI A/c No. 357	264,532.00
Total. - Interest Earned	1,222,642.00

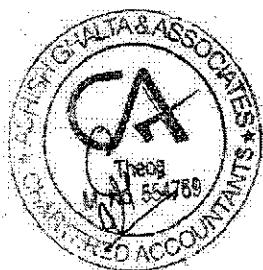


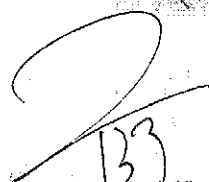
Schedule I-9: Other Income

Particulars	2022-23
	Amount (Rs.)
Misc Income	57,406.00
Direct deposit of salary of independent engineer	200,000.00
Earnest Money	23,800.00
Total Other Income	281,206.00

Schedule I-10: Establishment Expenses

Particulars	2022-23
	Amount (Rs.)
Net Salary Paid To Staff	8,187,510.00
CPS/NPS	773,064.00
Salary Tds	24,528.00
Salary of Independent Engineer	400,000.00
Pension & Grativity	953,064.00
Supervisor's Salary	228,763.00
Medical Reimbursement	119,602.00
PF & PLI	963,601.00
GSLI	10,800.00
Wages	806,700.00
Leave Encashment	97,107.00
TA	8,082.00
TDS On Salary	16,000.00
Total establishment expenses – expense head wise	12,588,821.00



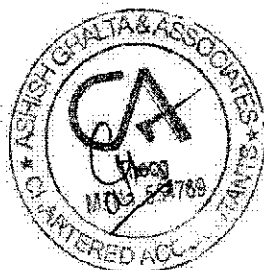

Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt Shimla (H.P.)

Schedule I-11: Administrative Expenses

Particulars	2022-23
	Amount (Rs.)
Mobile Bill	5,500.00
Audit Fee	20,000.00
Telephone Bill	12,372.00
Electricity Expenses	5,196.00
Publication Charges	16,385.00
Water Charges	27,950.00
Professional Fee	59,500.00
Bank Charges	1,854.10
Honorarium	470,280.00
Refreshment Exp	45,619.00
Printing & Stationary	18,540.00
Total administrative expenses – expense head wise	683,196.10

Schedule I-12: Operations and Maintenance

Particulars	2022-23
	Amount (Rs.)
Vehicle Repairs & Maintenance	14,780.00
Office Repairs & Maintenance	4,310.00
Computer Repairs & Maintenance	3,356.00
Others(Public Toilet ,etc.)	64,360.00
Led Street Light Repairs	65,760.00
Repayment of Security & Earnest Money	977,039.00
Diesel & Petrol Exp	156,207.00
MMSAGY	329,200.00
PMAY	2,100.00
Plan Foundation Shimla	63,100.00
Purchase of Raw Material (Cement ,sand)	510,065.00
Plastic Buy Back policy	105,525.00
GST & TDS Deducted and Deposited on development works	88,994.00
Labour Exp	105,062.00
Other Development Works (Path ,Drains, Widining of Roads Tiles	2,457,061.00
Street Light Maintenance & Electricity Exp	960,879.00
Door to Door Garbage Collection Exp	2,623,250.00
Total administrative expenses – expense head wise	8,531,048.00



Schedule I-13: Interest & Finance Charges

Particulars	2022-23
	Amount (Rs.)
Interest on Loans from Banks & Other Financial Institutions	-
Other Interest	-
Bank Charges	-
Other Finance Expenses	-
Total Interest & Finance Charges	-

Schedule I-14: Programme Expenses

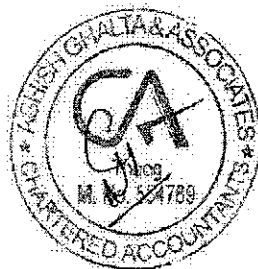
Particulars	2022-23
	Amount (Rs.)
Election Expenses	-
ORGANIZATION OF FESTIVAL (SHIVRATRI FAIR)	-
Share in Programmes of others	-
Total Programme Expenses	-

Schedule I-15: Revenue Grants, Contributions & Subsidies

Particulars	2022-23
	Amount (Rs.)
Revenue Grants, Contributions & Subsidies	-
Total Revenue Grants, Contributions & Subsidies	-

Schedule I-16: Provisions & Write off

Particulars	2022-23
	Amount (Rs.)
Provisions for Doubtful receivables	-
Provision for other Assets	-
Assets written off	-
Miscellaneous Expense written off	-
Total Provisions & Write off	-



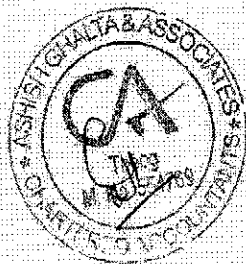

Executive Officer,
Municipal Council ROHRU
Distt Shimla (H.P.)

Schedule I-17: Miscellaneous Expenses

Particulars	2022-23
	Amount (Rs.)
Brooms	8,725.00
Sanitization	23,943.00
Cremation of Unclaimed Body	10,000.00
Sign Board Cost	66,552.00
Walls Repair and Paint	49,900.00
Other Misc. Exp	26,722.00
Water Cooler	9,388.00
Cement Store	15,000.00
Dumping Site	36,000.00
Total Misc. Exp	246,230.00

Schedule I-18: Prior Period Items (Net)

Particulars	2022-23
	Amount (Rs.)
Income	
Prior Period Audit Fee	-
Other – Revenues	-
Other income	-
Sub – Total Income (a)	-
Expenses	
Refund of Taxes	-
Other Expenses	-
Sub – Total Income (b)	-
Total Prior Period (Net) (a-b)	-



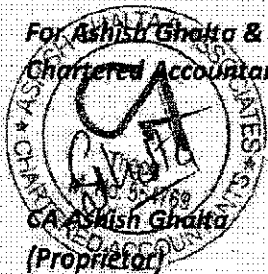
Municipal Council, Rohru
Cash Flow Statement as on 31st March 2023

Particulars	Fig. in Rs. 31.03.2023	Fig. in Rs. 31.03.2023
Cash flow from Operating Activities		
Surplus As Per Income & Expenditure A/c	15,198,537.04	
Add: Non- Cash Expenses		
Depreciation	64,078.00	
	15,262,615.04	
Less: Non-Operative Income		
Interest Received	2,449,959.00	
Revenue Grants Received	30,652,875.00	
Cash Flow before Working Capital Changes	(17,840,218.96)	
Working Capital Adjustments		
Add: Net Increase in Provisions & Emarked Funds	82,768.00	
NET WORKING CAPITAL CHANGES	82,768.00	
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES(A)		(17,757,450.96)
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES(B)		2,449,959.00
Purchase of Fixed Assets		
Interest Received	2,449,959.00	
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)		30,652,875.00
Grants Receivd	30,652,875.00	
NET SURPLUS/(DEFICIT) D=A+B+C		15,345,383.04
Opening cash & Cash Equivalent 1st April- E		43,484,390.97
Closing Cash & Cash Equivalent - D+E		58,829,774.01

Subject to our audit of even date

For Ashish Ghanta & Associates
Chartered Accountant

For Executive Officer



Membership No. : 554769
Firm Regd. No. 036450N
UDIN: 23554769BGYTSM1543
Place: Theog
Date: 28/01/2022

Municipal Council, Rohru

[Signature]
Executive Officer
Municipal Council ROHRU
Distt. Shimla (H.P.)

Municipal Council, Rohru

F.Y.: 2022-23

NOTES TO ACCOUNTS

Significant Accounting Policies

1. Basis of accounting

The financial statements are prepared on a going concern and under historical cost basis under accrual basis of accounting. The method of accounting is the double entry system.

2. Recognition of revenue

i. Revenue

a Property and Other Taxes are recognized in the period in which they become due and demands are ascertainable.

b Revenues in respect of Profession Tax on Organizations / entities are accrued in the year to which it pertains and when demands are raised.

c Advertisement taxes are accrued based on Demand or the contract.

d Revenue in respect of Trade License Fees is accrued in the year to which it pertains and when Demands are raised.

e Assigned revenues like Entertainment Tax, Duty / Surcharge on transfer of Immovable properties are accounted during the year only upon actual receipt. However, at year-end, they are accrued if sanction order (or proceedings) is passed and the amount is ascertained.

f Other Incomes, which are of an uncertain nature or for which the amount is not ascertainable or where demand is not raised in regular course of operations, is recognized on actual receipt.

ii. Provision against receivables a Prudential norms are applied based on type of income and age of receivable. Based on the principle on provisioning, incomes that have been accrued and are doubtful of recovery are provided for.

3. Recognition of expenditure

a Expenses on Salaries, bonus and other allowances are recognized on actual Payment basis.

b All revenue expenditures are treated as expenditures in the period in which they are incurred.

c In case of works, expenditures are accrued as soon as the work has been measured and becomes due for payment.

d Provision for expenses are made at the year-end for all bills received upto a cut off date.

